लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 19 नवम्बर, 1971/28 कार्तिक, 1893 (शक)

No. 5, Friday, November 19, 1971/Kartika 28, 1893 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	..	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
121. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि	Increase in the Dearness Allowance of the Central Government Employees	..	1—5
123. एच० एस०-748 विमान सम्बन्धी तकनीकी समिति के निष्कर्षों के तुरन्त प्रकाशन की मांग	Demand for immediate Publication of the findings of Technical Committee on HS-748 Aircraft	..	5—7
125. फ्रांसीसी आर्थिक मिशन द्वारा 'मिराज' लड़ाकू विमान के बारे में रखा गया प्रस्ताव	Proposals made by French Economic Mission re : Mirage Fighter Aircrafts	..	8—9
126. सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये अल्प बचत योजना	Small Savings Scheme for Employees of Public Undertakings	..	9—10
128. राज्यों द्वारा विकास निधि का उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation of Development Fund by States	..	11—13
130. मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices	..	13—16
131. गंगा जल दूषण जांच आयोग की सिफारिशें	Recommendations of the Ganges Water Pollution Inquiry Commission	..	16—17
133. रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कृषि ऋण सम्बन्धी आदर्श विधेयक परिचालित किया जाना	Circulation of a Model Bill on Farm Credit by the Reserve Bank of India	..	17—19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
122. आयुध कारखानों का पुनर्गठन	Reorganisation of Ordnance Factories	..	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
124. विदेशों में तेल खोज कार्य के संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव	Proposal for undertaking Joint Oil Exploration Ventures in Foreign Countries ..	19—20
127. मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई प्रवृत्ति	Growing Trend of Inflation ..	20—21
129. पर्यटक यातायात में सुधार करने के लिये छोटे हवाई अड्डों के बीच हवाई टैक्सी सेवा	Air Taxis between smaller Airports to improve Tourist Traffic ..	21
132. एच० एस०-748 विमानों का परीक्षण	Performance Test of HS-748 Planes	21—22
134. सेना कर्मचारियों द्वारा नदिया के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को पीटा जाना	Beating of A. D. Ms. of Nadia by Army Personnel ..	22
135. भारत और नेपाल के बीच विमान सेवा	Air Services between India and Nepal ..	22—23
136. इंडियन ओवरसीज बैंक, गोआ के एजेंट द्वारा गबन	Money defrauded by the Agent of the Indian Overseas Bank, Goa ..	23
137. 'फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया' को हुआ घाटा	Loss suffered by Fertilizer Corporation of India ..	24
138. बोल्गा रेस्तरां, नई दिल्ली द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of Income-tax by Volga Restaurant, New Delhi ..	24
139. नायक जयपालसिंह की गिरफ्तारी	Arrest of Nayak Jaipal Singh ..	24
140. विदेशी तेल कम्पनियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने से इंकार	Refusal by Foreign Oil Companies to Increase the Production Capacity ..	25
141. रूसी विशेषज्ञों की सहायता से एक स्वतंत्र विमान डिजाइन ब्यूरो की स्थापना	Setting up of an Independent Aeronautics Design Bureau with the help of Russian Experts ..	25
142. पश्चिमी देशों के सहायता संघ से अधिक सहायता की मांग	Increased Aid from Western Aid Consortium ..	25—26
143. आधुनिकतम और उन्नत लड़ाकू विमान बनाने के लिए अनुसंधान	Research to Produce an Ultra-modern and Sophisticated Fighting Plane ..	26
144. केरल में नेल्लियामपथी स्थान पर एक पर्यटन केन्द्र खोलने की योजना	Plan to start a Tourist Centre at Nelliampathi, Kerala ..	26
145. छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins ..	27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
146. परिशोधित उत्पादों के जमा हो जाने के परिणामस्वरूप गोहाटी तेलशोधक कारखाने का बन्द किया जाना	Closure of Gauhati Refinery due to Accumulation of finished products ..	27
147. पर्यटन-प्रचार में सुधार करने के लिए कार्यवाही	Steps to improve publicity regarding Tourism ..	27—28
148. बैंक ऋणों के लिए ब्याज की विभेदक दरें	Differential rates of interest for Bank Loans ..	28
149. कानपुर हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य	Construction work at Kanpur Air-port ..	28
150. अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Chief Ministers and State Finance Ministers for raising additional resources ..	29
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
794. सिक्कों की ढलाई	Production of Coins	29—30
795. आयकर के एक लाख रुपयों से अधिक की बकाया राशि वाले व्यक्ति एवं कम्पनियां	Arrears of Income-tax Amounting to more than Rs. 1 lakh against Individual and Firms ..	30—31
796. मैसर्स मोरीकर मोटर्स त्रिवेंद्रम से बकाया आय कर की वसूली	Recovery of Income-Tax Arrears from M/s Morikar Motors Trivandrum ..	31—32
797. पश्चिम बंगाल में पुनर्वास-कार्य	Rehabilitation Works in West Bengal ..	32
798. बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिये राहत तथा उनके पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal for Relief and Rehabilitation of persons affected by Floods	32
799. सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी	Employees Belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Under-takings ..	33
800. सैनिक इंजीनियरी सेवा के सिविल तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करना	Fixation of Seniority of Civil Technical and Non-Technical personnel of M. E. S. ..	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
801.	सेना के डाक्टरों की पदोन्नति के बारे में राजपत्र अधिसूचनाएं जारी करने में देरी	Delay in Issue of Gazette Notification Re : Promotion of Doctors in Army ..	34
802.	श्री डोम मोरिस द्वारा प्रस्तुत किये गये गोआ सम्बन्धी पर्यटन साहित्य का प्रकाशन	Printing of Tourist Literatures on Goa Submitted by Shri Dom Moraes ..	34—35
803.	सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Officers of Public Undertakings ..	35
804.	संयुक्त राष्ट्र विकास निधि के साथ सहयोग की सात वर्षीय योजना	Seven Year Plan of Cooperation with U. N. Development Fund	35—36
805.	पेट्रोल स्टेशनों के माध्यम से उर्वरक का वितरण	Distribution of Fertiliser Through Petrol Stations ..	36
806.	आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Drought Affected Areas of Andhra Pradesh ..	36—37
807.	तमिलनाडु जल प्रदाय और जल निकास बोर्ड द्वारा विश्व बैंक से सहायता का मांगा जाना	World Bank Assistance Sought by Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board ..	37
808.	वजीर सुल्तान टुबैको कम्पनी	Vazir Sultan Tobacco Company	37—38
809.	बाढ़ग्रस्त राज्यों को दी गई सहायता	Aid given to States Affected by Floods ..	38
810.	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए मैसूर को सहायता	Assistance to Mysore for Areas affected by Drought ..	38—39
811.	'फिनाइल' और 'इथाइल' ऐलकोहल का उत्पादन	Production of Phenyl and Ethyl Alcohol ..	39
812.	सोडा ऐश तथा ग्लास निर्माताओं की बैठक	Meeting of Soda Ash Manufacturers and Glass Manufacturers ..	39—40
813.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में उत्पादन में विलम्ब	Delay in Production in Madras Fertilizers Limited ..	40—41
814.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर में तालाबन्दी	Locking out of the Bharat Earth Movers Limited Bangalore ..	41
815.	सरकारी उपक्रमों की परिचालन दक्षता के सम्बन्ध में समिति	Committee on Operational Efficiency of Public Undertakings ..	41—42

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
816. केरल में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना	Establishment of Petro-Chemical Complex in Kerala ..	42
817. नाईलन टैक्सटाइल फिलेमैन्ट यार्न एककों की स्थापना करने हेतु आवेदन पत्र	Applications for setting up Nylon Textile Filament Yarn Units ..	42
818. एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को सौंपे गये मामले	Cases referred to Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission ..	42—43
819. बरौनी में बाढ़ से हुई क्षति	Damage caused by Floods in Barauni ..	43
820. अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण बिहार में हुई क्षति के अध्ययन के लिये तकनीकी दल	Technical Team to Study Damage caused by Heavy Rains and Floods in Bihar ..	43—44
821. कानपुर में मिश्रित इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Alloy Steel Plant at Kanpur ..	44
822. जम्मू क्षेत्र में युद्धविराम रेखा के साथ पाकिस्तान द्वारा स्थापित किये गये बुर्ज	Towers set up by Pindi Along Truce Line in Jammu Area ..	44
823. भारत अर्थ मूवर्स, बंगलौर के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Employees of Bharat Earth Movers, Bangalore ..	45
824. पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा राजस्थान से लद्दाख तक की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंगें बिछाया जाना	Mining of International Border from Rajasthan to Ladakh by Pakistani Troops ..	45
825. निर्वाह सूचकांक	Cost of Living Index ..	46
826. भारत अर्थ मूवर्स कर्मचारियों को राज-सहायता प्राप्त परिवहन तथा कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था	Facilities for subsidised Transportation and Welfare Amenities to the Employees of Bharat Earth Movers ..	46—47
827. दिल्ली में विभिन्न पार्टियों को जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया अग्रिम धन	Money Advanced by Life Insurance Corporation to Various Parties in Delhi ..	47
828. विदेशी तेल शोधक कारखानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Oil Refineries ..	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
829.	देश में नये तेल शोधक कारखानों की स्थापना	Setting up New Oil Refineries in the Country ..	48
830.	विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधक कारखाने के करारों का पुनरीक्षण	Revision of Refinery Agreements with Foreign Oil Companies ..	48—49
831.	संयुक्त पूंजी कम्पनियों में रोजगार की संभावनाओं में कमी	Decline in Employment Potential of Joint Stock Companies	49
832.	करेंसी नोट छापने के लिए प्रयुक्त कागज	Paper Used for Printing of Currency Notes ..	50
833.	औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋण	Loan Given by I. F. C. to Industrial Units ..	50—51
834.	सीमा शुल्क सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिश	Recommendations of Customs Study Team ..	51—52
835.	इंडियन एयर लाइंस द्वारा की गई उड़ानें	Flights Operated by Indian Airlines ..	52—53
836.	दिल्ली छावनी स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में की गई जालसाजी	Fraud Committed at State Bank of India, Delhi Cantonment ..	53—54
837.	पाकिस्तान द्वारा हवाई उल्लंघन के बारे में 'एयर चीफ मार्शल' द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Air Chief Marshal Regarding Air Space Violations by Pakistan ..	54
838.	भारत में तेल की खोज के लिए आयल इंडिया लि० के साथ सहयोग करने के बर्मा आयल कम्पनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाना	Rejection of Offer of Burmah Oil Company to Associate with Oil India Ltd., for Exploration of Oil in India ..	54—55
839.	गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के विमान सेवा मार्ग	Routes Operated by Private Airlines ..	55—56
840.	छम्ब सीमा रेखा के निकटवर्ती पाकिस्तानी ग्रामों से लोगों का हटाया जाना	Disappearance of Civilians from Pakistani villages along Chhamb Border Line ..	56
841.	फिरोजपुर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना का जमाव	Concentration of Pakistani Military on Ferozpur Section ..	56
842.	गुजरात में पर्यटन केन्द्रों में होटल निर्माण की योजना	Scheme to Construct Hotels at Tourist Centres in Gujarat ..	56—57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
843.	सामान्य व्यक्ति के लिए होटलों तथा 'हॉलीडे होम्स' की स्थापना	Establishment of Hostels and Holiday Homes for the Common man ..	57—58
844.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर भत्ता और मकान किराया भत्ता	City Compensatory and House Rent Allowance to Central Government Employees ..	58—59
845.	मुद्रा सप्लाई की अग्रेतर कमी पर नियंत्रण रखना	Restraint in Further Decreases in Money Supply ..	59
846.	एयर इंडिया द्वारा होटल उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव	Air India's Proposal to Enter Hotel Industry ..	59—60
847.	विजय बैंक लिमिटेड, बम्बई	Vijaya Bank Limited, Bombay ..	60
848.	राजस्थान की सीमा पर बाड़मेर में पाकिस्तानी सेना का भारी जमाव	Heavy Pakistani Military Concentration on Barmer border of Rajasthan ..	60
849.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा धन बाहर भेज देना	Repatriation of Funds by Foreign Oil Companies ..	61
850.	भारत में कर अपवंचन	Tax Evasion in India ..	61—62
851.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मुनाफों में कमी	Reduction in Profits of O. N. G. C. ..	62
852.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा नये वेतन-मानों के लिये अभ्यावेदन	Representation from Employees of Oil and Natural Gas Commission for new Pay Scales	62
853.	पूना के निकट भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	I. A. F. Plane mishap near Poona	63
854.	भारतीय अर्थ व्यवस्था पर डालर बचाओ योजना का प्रभाव	Impact of Save Dollar Plan on India Economy ..	63
855.	पर्यटक स्थल के रूप में बाक-खाली फ्रेजरगंज का विकास	Development of Bakkhali (Fraserganj) as a Tourist Centre ..	63—64
856.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि	Increase in Prices of Petroleum products by Foreign Oil Companies ..	64
857.	भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव	Concentration of Pakistani forces on Indo-Pak borders ..	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
858.	एच० एस० 748 विमान की उड़ान क्षमता के बारे में राम अमृतम समिति के निष्कर्ष	Findings of Ramamritham Committee on the Flight performance of H. S. 748 Aircraft ..	65
859.	भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Establishment of Oil Refinery North West Region of India ..	65
860.	चीन के राडार और प्रक्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र	Chinese Radar and Missile Testing Centres..	65—66
861.	विदेश यात्रा पर शुल्क लगाने का प्रभाव	Effects of imposition of duty on Foreign Travel ..	66
862.	मोहन प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन द्वारा आय-कर की अदायगी	Payment of Income Tax by Mohan Printing Press, Ujjain ..	66—67
863.	तेल शोधक कारखानों में हाई स्पीड वाले डीजल तेल और मिट्टी के तेल के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of High Speed Diesel and Kerosene Oil in Oil Refineries ..	67
864.	तेल का पता लगाने के लिये देश की तटरेखा का सर्वेक्षण	Survey of Country Coastline for finding out Oil ..	67—68
865.	गुजरात में दूसरा तेल शोधक कारखाने के लिये योजना	Plan for Second Refinery in Gujarat ..	68
866.	बाढ़ पीड़ितों के लिये विदेशों से सहायता	Aid from Foreign Countries for Flood Victims ..	68—69
867.	जनरल याह्या खां द्वारा युद्ध की धमकियां	War threats of General Yahya Khan ..	69
868.	भावी तेल नीति के निर्धारण के लिये उच्चस्तरीय नीति निर्धारण निकाय की नियुक्ति	Appointment of High Level Policy Planning Body for formulation of future oil policy..	69
869.	राज्यों द्वारा निश्चित राशियों से अधिक धन निकालना	Overdrafts by States	70
870.	आय-कर की बकाया राशि की वसूली	Recovery of arrears of income tax ..	70—71
871.	इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा जिन मार्गों पर विमान नहीं चलाये जाते उन मार्गों के लिये गैर-सरकारी चालकों को परमिट देने का निर्णय	Decision to grant permits to private operators for operating on route not operated by India Airlines ..	72

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
872.	देश में नेप्था की आवश्यकता Requirements of Naphtha in the country ..	72—73
873.	सार्वजनिक जमाकर्ताओं के साथ कारोबार करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा न्यू दिल्ली कोआपरेटिव बैंक, खारी बावली को दिये गये निदेश Directions given by the Reserve Bank of India of New Delhi Cooperative Bank, Khari Baoli regarding transaction of business with public depositors ..	73—74
874.	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा Foreign exchange earnings of India Tourism Development Corporation ..	74
875.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में कथित धोखाधड़ी Alleged swindling in the Central Bank of India, New Delhi ..	74—75
876.	भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के कार्य के बारे में किया गया सर्वेक्षण Survey conducted by Indian Institute of Management, Ahmedabad on the working of Indian Airlines ..	75
877.	राज्यों के साथ वित्तीय सम्बन्ध Financial Relations with States ..	75—76
878.	घाटे की अर्थ व्यवस्था Deficit Financing ..	76
879.	भारत को बेचे गये सीकिंग हेलीकाप्टर Seaking Helicopters sold to India	76—77
880.	उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता Financial Assistance to U. P., Bihar and West Bengal ..	77
881	पश्चिम बंगाल के आयुध कारखाने के कर्मचारियों का बर्खास्त किया जाना Dismissal of Employees of Ordnance Factories of West Bengal ..	78
882.	पश्चिम बंगाल के आयुध कारखानों के उत्पादन में वृद्धि Increase in Production in West Bengal Ordnance Factories ..	78—79
883.	पश्चिमी सीमा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गायब हो जाना Missing Important Documents pertaining to Western Border ..	79
884.	बाढ़ पीड़ितों के लिये उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता Financial Assistance to U. P. for Flood Victims	79—80
885.	हिन्दी दैनिक 'अवन्तिका' के भागीदारों तथा मालिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिया जाना Loans to Partners and Proprietors of the Hindi Daily 'Avantika' from Nationalised Banks ..	80

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
886. मैसर्स मेहता प्रिंटिंग प्रैस उज्जैन और दैनिक अवन्तिका द्वारा आय कर का भुगतान	Payment of Income-tax by M/s Mehta Printing Press. Ujjan and "Daily Avantika" ..	80
887. भारतीय रुपये का मूल्य	Value of Indian Rupee ..	80—81
888. महाराष्ट्र के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये आर्थिक सहायता	Financial assistance to Maharashtra for drought-affected areas ..	81
889. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इंजीनियरों और चिकित्सा स्नातकों को ऋण दिया जाना	Loans granted to Engineering and Medical Graduates by Nationalised Banks in Madhya Pradesh ..	82
890. उत्तर प्रदेश में रिक्शा चालकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loans granted by Nationalised Banks to Rikshaw Pliers in U. P. ..	82
891. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण	Loans granted by Nationalised Banks to Farmers ..	82
892. जिले बहराइच में लीड बक	Lead Bank in the District of Bahraich ..	83
894. पश्चिम बंगाल में मुर्शीदाबाद महल और गौड़ में पर्यटकों के आकर्षण के लिये उपाय	Steps to increase attraction for Tourists at Murshidabad Palace and Gour in West Bengal ..	83
895. ईशापुर गन एण्ड शैल फैक्ट्री के उत्पादन में कमी	Decrease in production of Inchapore Gun and shell Factory ..	83
896. दानापुर छावनी में बाढ़ जल	Flood water in Danapur Cantonment ..	84
897. बरौनी तेल शोधक कारखाने को भारी घाटा	Sustaining of Heavy Losses by Barauni Oil Refinery ..	84
898. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा सरकार द्वारा आयातित अपरिष्कृत तेल का शोधन करने से इंकार	Refused by Foreign Oil Companies for Refining Government Imported Grude ..	84
899. मैसर्ज सोना सिंह एण्ड सन्स मोतिया खान दिल्ली द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by M/s Sona Singh & Sons, Motia Khan, Delhi ..	85
900. बिड़ला बन्धुओं द्वारा एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act by Birlas ..	85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
901. पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए चार स्टार वाले होटल खोलने की स्वीकृति	Permission to set up Four Star Hotels ..	85—86
902. गैर बैंककारी कम्पनियों को बैंककारी पद्धति के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में बैंककारी आयोग के पैनल द्वारा जांच	Enquiry by a Panel of Banking Commission re. Bringing of Non-Banking Companies under Banking System ..	87
903. इंडियन एयर लाइन्स द्वारा नई सेवाएं आरम्भ करना	Introduction of new Services by Indian Airlines ..	87
904. देश में अधिक दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का उत्पादन	Production of Long Range Guns in the Country ..	87—88
905. भारत स्थित अमरीकी तेल कंपनी की नीति के बारे में श्री एस० एस० खरे का वक्तव्य	Statement made by Shri S. S. Khare regarding Policy of American Oil Company in India ..	88—89
906. पर्यटक आकर्षण के लिये महाकवि सूरदास के जन्म स्थान का विकास	Development of Birth Place of Mahakavi Surdas for Tourist Attraction ..	89
907. एयर इंडिया न्यूयार्क के लिए जम्बो विमान के उद्घाटन उड़ान में शामिल होने के लिए संसद् सदस्यों को निमंत्रण	Invitation to Members of Parliament by Air India to Join its Inaugural Jumbo Flight to New York ..	89—91
908. 'सेल्फ रिमूवल प्रोसीजर' के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to Review the working of Self-Removal Procedure ..	91
909. निषिध वस्तुओं को ले जाते हुए अरब नौकाओं (दो) का रोका जाना	Interception of Arab Dhows Carrying Contraband Goods ..	91—92
910. उत्तर पश्चिम भारत में तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of Oil Refinery in North West India ..	92
911. जीवन बीमा निगम की शाखाओं में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर (डी) की नियुक्ति	Posting of A. B. M. (D) in the Branches of L. I. C. ..	93—94
912. जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च, 1971 तक प्रस्तावों को स्वीकार न किया जाना	Non-Acceptance of the Proposals by Life Insurance Corporation by the 31st March, 1971 ..	94

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
913. विदेशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by Foreign Countries	94—95
914. छोटे, मध्यम वर्ग जमाकर्ताओं की जमा राशि प्राप्त करना	Securing of Deposits of the Small Middle Class Depositors ..	95—96
915. सैनिक गुप्तचर संगठन में असैनिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग	Utilization of Services of Civilian Specialists in Military Intelligence Organisation ..	96
916. अनाज के लिये बैंकों द्वारा अग्रिम राशि दिये जाने पर नियंत्रण	Control on Bank Advances against Foodgrains ..	96
917. इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया में भर्ती	Recruitment in the Indian Airlines and Air India ..	96—97
918. सरकारी उपक्रमों में भर्ती के लिये परीक्षा करवाने हेतु संघ लोक सेवा आयोग में एक पृथक सेल स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Separate Cell in Union Public Service Commission to hold Examination for Recruitments in Public Undertakings	97
919. देश में नए तेल कुओं की खुदाई और नए तेल क्षेत्रों का पता लगाने का कार्यक्रम	Programme for Drilling of New Oil Wells and to Locate New Oil Belts in the Country ..	97—98
920. आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नेफा में स्थलों की खोज	Sites in Nefa Explored by Oil India Ltd. ..	98
921. पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का खोला जाना	Opening of Nationalised Banks in Rural Areas of West Bengal ..	99
922. कलकत्ता स्थित मैसर्स स्मिथ स्टनीस्ट्रीट कम्पनी के बन्द होने की सम्भावना	M/s Smith Stanistreet, Calcutta facing Closure ..	99
923. मैसर्स स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट, कलकत्ता में कुप्रबन्ध	Mismanagement in M/s Smith Stanistreet Co., Calcutta ..	99—100
924. गुजरात राज्य उर्वरक निगम को सरकारी क्षेत्र की कम्पनी में परिवर्तित करना	Conversion of Gujarat State Fertilizer Corporation into a Public Sector Company .	100
925. दिल्ली और मद्रास के बीच इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का दिन में ठीक समय से उड़ान भरने और उतरने की दर	Rate of Punctuality in the departure and arrivals of the Indian Airlines day flights between Delhi and Madras ..	100

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
926. दिल्ली में होटलों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Setting up Hotels in Delhi ..	101
927. भारतीय सशस्त्र सेना में पाकिस्तानी गुप्तचर	Pakistani Spies in the Indian Armed Forces ..	101
928. मनीआर्डरों द्वारा पेंशन का भुगतान	Giving pension through money orders ..	101—102
929. केरल में एक नायलोन फिलामेंट यार्न फैक्ट्री का स्थापित किया जाना	Setting up of a Nylon Filament Yarn Factory in Kerala ..	102
930. पराबिकुलम, जिला पालघाट, केरल में पर्यटक केन्द्र की स्थापना की योजना	Plan for Establishing a Tourist Centre at Parambikulam, District Palghat, Kerala ..	102
931. कोट्टायम (केरल) के निकट कुमाराकोम का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to Develop Kumarakom near Kottayam (Kerala) into a Tourists Centre ..	102—103
932. वायु सेना के भर्ती अधिकारी द्वारा केरल का दौरा	Visit to Kerala by Air Force Recruiting Officer ..	103
933. कर से प्राप्त राजस्व में भाग के बारे में कलकत्ता के महापौर से ज्ञापन	Memorandum from Mayor of Calcutta on Share in Tax Revenues ..	103—104
934. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा घोषित अधिक लाभांश	Higher Dividends declared by Foreign Oil Companies ..	104
935. वाल्गा रेस्तरां, नई दिल्ली और उससे सम्बद्ध रेस्तरां समूह का आयकर की वसूली के लिये आय निर्धारण	Assessment of Income of Volga Restaurant, New Delhi and the Group for recovery of Income-Tax ..	105
936. सीमा शुल्क विभाग द्वारा सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold by Customs Department ..	105—106
937. अतिरिक्त संसाधनों का जुटाया जाना	Mobilisation of Additional Resources ..	106
938. अत्याधुनिक और बहु-उद्देशीय राडार व्यवस्था के विकास में आत्मनिर्भरता	Achievement of Self-sufficiency in Development of Sophisticated and Complex Radar System ..	106—107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
939. बंगला देश की समस्या के परिणाम स्वरूप मितव्ययिता के लिये किये गये उपाय	Economy measures taken as a result of Problems Relating to Bangla Desh ..	107—108
940. उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही	Steps to achieve self-sufficiency in Fertilizers ..	108
941. सामान्य बीमा कम्पनियों के महा-प्रबन्धकों द्वारा धन का कथित दुरुपयोग	Alleged Misappropriation of Funds by General Managers of General Insurance Companies ..	108—109
942. पेट्रोल पम्प के व्यापारियों को दी जाने वाली कमीशन की दर	Rate of commission Allowed to Petrol Pump Dealers ..	109
943. भारत में एकाधिकार प्राप्त विदेशी कम्पनियां	Foreign Monopolists in India ..	109—110
944. भारत स्थित विदेशी एकाधिकार कम्पनियों द्वारा पाकिस्तान को युद्ध उपकरण तथा रसायनों की सप्लाई	Supply of War Equipment and Chemicals to Pakistan by Foreign Monopolist concerns in India ..	110
945. मध्य प्रदेश में लोगों से आयकर की बकाया राशि	ncome-tax due from individuals in Madhya Pradesh	110
946. लेखा वाह्य धन का पता लगाने के लिये छापे	Raids to unearth unaccounted money	111—112
947. उज्जैन (मध्य प्रदेश) में हवाई पट्टी के निर्माण का निर्णय	Decision to construct an Air-strip Ujjain (Madhya Pradesh) ..	112
948. कोचीन हवाई अड्डे पर वर्तमान हवाई पट्टी के विस्तार के लिये भूमि	Land for expansion of existing Runway at Cochin Airport ..	112—113
949. वास्तविक से कम तथा अधिक मूल्यों के बीजक बनाने के बारे में जांच पड़ताल सम्बन्धी समिति	Committee to Examine Manipulations in Invoicing ..	113
950. रुपये का डालर तथा स्टर्लिंग से विसम्बन्धीकरण	Delinking of Rupee from Dollar and Sterling ..	113—114
952. इंडियन एयरलाइन्स की कार्य प्रणाली के बारे में सेन समिति का प्रतिवेदन	Sen Committee's report on the working of Indian Airlines ..	114

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
953.	बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar for flood Victims	114—115
954.	नारकोटिक्स विभाग के बारे में पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन	Report of Reorganisation Committee on Narcotics Department	115—116
955.	नारकोटिक विभाग में कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची रखना	Maintenance of Seniority Lists of Staff in Narcotics Department	116
956.	विदेशों से प्राप्त ऋणों का भुगतान	Repayment of Loans received from Foriegn Countries	117
957.	पंजाब और पश्चिम बंगाल में भू-राजस्व की बकाया राशि	Outstanding Amount of Land Revenue in Punjab and West Bengal	117
958.	आयकर की बकाया राशि	Arreas of Income-tax	117—118
959.	ग्वालियर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की मांग	Demand for an Oil Refinery in Gwalior	118—119
960.	राष्ट्रीयकृत बैंकों से जालसाजी करके धन निकाला जाना	Fraudulent withdrawals from Nationalised Banks	119
961.	पूर्वी बंगाल-त्रिपुरा सीमा पर चीन और पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त सशस्त्र मिजो विद्रोहियों को तैनात करना	Deploying of Chinese Pak trained armed Miza rebels on East Bengal Tripura Border	119—120
962.	एयर इंडिया द्वारा सितम्बर और अक्तूबर, 1971 में उद्घाटन उड़ानों का आयोजन	Inaugural flights arranged by Air India during September and October, 1971	120—121
963.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उर्वरक खरीदने के लिये ऋण दिया जाना	Loans given by Nationalised Banks for purchase of Fertilizers	121
964.	पर्यटकों का भारत न आना	Tourists avoiding India	122
965.	नई दिल्ली स्थित वोल्गा रेस्तरां द्वारा देय आयकर का निर्धारण करने वाले आयकर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against income-tax authorities assessing Income-tax due from volga Restaurant, New Delhi	122
966.	पुरुलिया स्थित सैनिक स्कूल का बन्द किया जाना	Closure of Sainik School, Purulia	123
967.	छोटे सिक्कों की जमाखोरी	Hoarding of Small Coins	123—124
968.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशि	Deposits in the Nationalised Banks	124

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
969.	चीनी के कारखानों पर केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Arrears of Central Taxes against Sugar Factories ..	124
970.	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम के अधीन पंजीकरण	Registration under Monopolies and Restrictive Trade Practice Act ..	124—125
971.	पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की मात्रा तथा उसका मूल्य	Quantity and Value of Export of Petroleum products ..	125
972.	तेल कम्पनियों के प्रबन्ध में भाग लेने के सम्बन्ध में कर्मचारियों की मांग	Demand of workers for participation in Managements of Oil Companies ..	126
973.	सुरक्षा के लिये आसाम सीमा पर सेना का तैनात किया जाना	Deployment of Military for Security along Assam Border ..	126
974.	औषधि निर्माता कम्पनियों को कच्चा माल सप्लाई करने की प्रक्रिया	Procedure for supply of raw materials to Manufacturing Companies ..	126—127
975.	दुर्गापुर युनाइटिड बैंक में डाका	Dacoity in Durgapur United Bank ..	127
976.	उत्तरी क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं में सुधार करने हेतु शिमला सम्मेलन में किये गये निर्णय	Decisions taken at Simla Conference for improving Tourist Facilities in the Northern Region ..	127—128
977.	केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय में एस० ए० एस० लेखा पालों के वेतनों का संरक्षण	Protection of Pay of S. A. S. Accountants of AGCR. ..	128—129
978.	मिट्टी के तेल/एल० डी० ओ० तथा इंडेन गैस की फुटकर बिक्री के लिए एजेन्सियों की स्थापना	Establishment of Agencies of Kerosene L. D. O. and Indian Gas Retail Outlets ..	129
979.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों की वसूली	Recovery of Loans granted by Nationalised Banks to Farmers ..	130—131
980.	कृषि भूमि पर से सम्पत्ति कर की वसूली	Realisation of Wealth Tax on Agricultural Lands ..	131
981.	भारतीय नौसेना के लिये मोटर तारपीडो नौकाओं की खरीद	Purchase of Motor Torpedo Boats for Indian Navy ..	131
982.	बिहार में पेट्रोलियम की खोज	Exploration of Petroleum in Bihar	131
983.	देश में पेट्रोलियम की कमी	Shortage of Petroleum in the Country ..	132

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
984. बिहार को सहायता	Assistance to Bihar	.. 132—133
985. देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने का निर्णय	Decision to set up Coal-Based Fertilizer Plants in the Country	.. 133
986. राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट	Overdrafts by States	.. 133—134
987. धन की कमी का योजना के परिव्यय पर प्रभाव	Effect on the outlay of Plan due to Financial Stringency	.. 134—135
988. मत्स्य उद्योग में एकाधिकार	Monopoly in Fishing Industry	.. 135
989. इडियन एयर लाइन की बोइंग 737 की उद्घाटन उड़ान	Inaugural Flight of the Boeing 737 of the Indian Airlines	.. 135—136
990. भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्यालय भवन के लिये दिया गया किराया	Rent Paid by India Tourism Development Corporation for Office Accommodation	.. 136
991. भारत में विदेशी औषध कारखाने	Foreign Drug Firms in India	.. 136—137
992. शिवसागर, आसाम में तेल के नए क्षेत्र	New Oil Field in Sibsagar, Assam	.. 137
993. शिश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक	Annual Meeting of World Bank and International Monetary Fund	.. 138—139
डिवाइन लाइट मिशन के अनुयायियों द्वारा "टाइम्स आफ इंडिया" के कार्यालय पर आक्रणम के बारे में	Re. Attack on the Times of India office by followers of Divine Light Mission	.. 139—140
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 140—145
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
कार्यवाही सारांश	Minutes	145
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
पंद्रहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन	Fifteenth and Seventeenth Reports	.. 145
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
चौथा, पांचवां, सातवां, और आठवां प्रतिवेदन	Fourth, Fifth, Seventh and Eighth Reports	.. 145—146
सभा का कार्य	Business of the House	.. 146—147
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Report of University Grants Commission for 1969-70	.. 148—153

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan ..	148
श्री रेणुपद दास	Shri R. P. Das ..	148—149
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	149—150
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder ..	150—151
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat ..	151—152
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh ..	152—153
श्रीमती एम० गौडफ्रे	Shrimati M. Godfrey ..	153
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report ..	153—154
पुरः स्थापित किए गए विधेयक	Bills introduced ..	154—167
(एक) श्री जगन्नाथ राव जोशी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (सप्तम अनुसूची का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule) by Shri Jagannathrao Joshi ..	154
(दो) श्री एस० सी० सामन्त का राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण योजना विधेयक, 1971	National Rifle Training Scheme Bill by Shri S. C. Samanta ..	154
(तीन) श्री एस० सी० सामन्त का राजनीतिक पीड़ित सहायता विधेयक, 1971	Political Sufferers Aid Bill by Shri S. C. Samanta ..	155
(चार) श्री एस० सी० सामन्त का मजूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1971 (धारा, 1,15 आदि का संशोधन)	Payment of Wages (Amendment) Bill, 1971 (Amendment of Sections 1, 15, etc.) by Shri S. C. Samanta ..	155
(पांच) श्री एस० सी० सामन्त का जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण विधेयक, 1971	Hoarding and Profiteering Prevention Bill by Shri S. C. Samanta ..	155—156
(छह) श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (नये अनुच्छेद 15 क का अन्तः स्थापन)	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new Article 15A) by Shri C. K. Chandrappan ..	156
(सात) श्री मल्लिकार्जुन का राजनीतिक दलबदल रोक विधेयक, 1971	Prevention of Political Defection Bill by Shri Mallikarjun ..	156
(आठ) श्री एस० एम० सिद्धय्या का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 15 and 16) by Shri S. M. Siddayya ..	157

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(नौ) श्री दीनेन भट्टाचार्य का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1971 (धारा 2 का संशोधन तथा धारा 9 ख आदि का लोप)	Industrial Disputes (Amendment) Bill (Amendment of Section 2 and omission of Section 9B etc.) by Shri Dinen Bhattacharyya	.. 157
(दस) श्री डी० के० पंडा का संविधान (संशोधन) विधेयक 1971 (नये अनुच्छेद 141 क का अन्तः स्थापन)	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new Article 141A) by Shri D. K. Panda	.. 157—158
(ग्यारह) श्री मधु दण्डवते का बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1971 (धारा 2, 10 आदि का संशोधन)	Payment of Bonus (Amendment) Bill (Amendment of Sections 2, 10 etc.) by Prof. Madhu Dandavate	.. 158
डा० कर्णी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 16 क) का अन्तः स्थापन	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new Article 16A) by Dr. Karni Singh	.. 158
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	Motion to consider—Negatived	.. 158
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	.. 159—160
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	.. 160—161
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	.. 161—162
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	.. 162
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	.. 162—163
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	.. 163—164
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	.. 164—167
श्री अटल बिहारी बाजपेयी का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थापन)	Constitution (Amendment) Bill (Substitution of Article 370) by Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 168—171
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	.. 168
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 168—169
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	.. 169
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	170
श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा	Shri Inder J. Malhotra	.. 170—171
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	171
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	.. 171—172
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	.. 172

LOK SABHA
लोक-सभा

शुक्रवार, 19 नवम्बर, 1971/28 कार्तिक, 1893 (शक)
Friday, November 19, 1971/Kartika 28, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री मोहनराज कालिंगारायर (पोल्लाची)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वह वायुसेना में विमान-चालक थे ।

अध्यक्ष महोदय : हां । निश्चय ही । मैं पहले उनका स्वागत अपने कक्ष में कर चुका हूं । जब श्री सेझियान ने बताया कि वह बड़ी सुन्दर विजय प्राप्त करके आये हैं तो मैंने कहा कि वह स्वयं भी बहुत सुन्दर हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे आशा है कि यह अन्य सदस्यों पर व्यंग्य नहीं है । सभी अपने आपको सुन्दर समझते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : स्वयं अपनी नजरों में, कभी कभी अन्य लोगों की नजरों में नहीं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि

+

*121. **श्री अमरनाथ चावला** :
श्री निहार लास्कर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाह सूचकांक में दस अंकों की औसत वृद्धि हो गई है जिससे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने मंहगाई भत्ते में वृद्धि पाने के अधिकारी हो गये हैं ;

(ख) क्या वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जीवन निर्वाह सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि के पश्चात् केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कब की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बारह महीने की औसत सितम्बर 1971 के लिये 228.16 है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की मंजूरी की सिफारिश करते समय, वेतन आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बारह महीने की औसत जब 228 तक पहुंच जाय तो उसकी समीक्षा की जाय। स्थिति की ससीक्षा करने के प्रश्न की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री अमर नाथ चावला : सरकार को यह किस तारीख को मालूम हुआ था कि मूल्य सूचकांक 228 तक पहुंच गया है, और यह मामला वेतन आयोग को कब सौंपा गया ?

श्री के० आर० गणेश : बारह महीने का औसत 228 अंक तक पहुंचा और सरकार को इस संबंध में अक्तूबर में पता लगा, और इसके तुरन्त बाद ही यह मामला वेतन आयोग को सौंप दिया गया।

श्री अमर नाथ चावला : सरकार के अनुमान से वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन कब पेश कर देगा ?

श्री के० आर० गणेश : इस संबंध में पूर्वानुमान लगाना सरकार के लिये कठिन है। हमें तो यही आशा है कि वेतन आयोग इस पर शीघ्र ही विचार करेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : उसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका उत्तर तो पहले भी मिल चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे मंत्री महोदय के उक्त उत्तर से बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा है कि मामला वेतन आयोग को सौंप दिया गया था। इसी वर्ष 15 जून को इस प्रश्न के उत्तर में इन्हीं मंत्री महोदय श्री के० आर० गणेश ने कहा था :—

"मूल्य सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कर्मचारियों और सरकार के मध्य केवल इतना ही मतभेद है कि कर्मचारी तो यह कहते हैं कि भत्ता 215 अंकों के पश्चात् 10 अंक बढ़ने पर दिया जाना चाहिये जब कि सरकार यह मानती है, और वेतन आयोग ने भी इसे स्वीकारा है, कि 218 अंकों के बाद 10 अंकों की वृद्धि होने पर दिया जाये जिसका अर्थ है कि मूल्य सूचकांक के 218 से 228 पहुंचने पर दिया जाये। विवादग्रस्त बात तो बस इतनी ही है।" बाद मे एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि :

"सरकार 12 महीने के औसत मूल्य सूचकांक में वृद्धि पर और इसके 228 अंक तक पहुंचने पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने को वचनबद्ध है। कर्मचारियों और सरकार के बीच तो मतभेद इतना है कि यह संख्या 225 हो अथवा 228"

इससे अधिक स्पष्ट बात तो नहीं हो सकती। गत जून में इस स्पष्ट आश्वासन के पश्चात् और साथ ही उस समय इस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा इस सभा में बड़े स्पष्ट ढंग से यह कहे जाने के बाद भी कि यदि सूचकांक 228 तक पहुंचा तो स्वतः ही वृद्धि दी जायेगी, तो फिर सरकार इस मामले को वेतन आयोग को सौंपकर विलम्ब करने की नीति क्यों अपना रही है, और मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने के अपने वचन को पूरा क्यों नहीं कर रही है।

श्री के० आर० गणेश : इसमें विलंब करने की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि ज्यों ही अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक 228 तक पहुंचा सरकार ने यह मामला वेतन आयोग को सौंप दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वेतन आयोग को क्यों सौंपा।

श्री के० आर० गणेश : द्वितीय वेतन-आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में कहा है कि उन्होंने अन्तरिम राहत की सिफारिश की थी और वे इस समय महंगाई भत्ता देने के मानदण्ड में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते और यदि सरकार द्वारा मूल्यों को बढ़ने से रोकने हेतु किये सभी प्रयत्नों के बावजूद मूल्य बढ़े तो 228 अंक पहुंचने पर स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा तथा कर्मचारियों के वेतन आदि, अन्य मामूली रियायतों, जिनमें महंगाई भत्ता देना भी शामिल है, पर फिर से विचार किया जायेगा क्योंकि इस आयोग के आने पर गजेन्द्र गडकर आयोग द्वारा पहले निर्धारित किया गया मानदण्ड लागू नहीं रह जाता। इसीलिये इस मामले को वेतन आयोग को सौंपा गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कहना तो ठीक है कि गजेन्द्र गडकर फार्मूला अब लागू नहीं होता क्योंकि इस आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें नहीं पेश की हैं। जब वह सिफारिशें पेश करेगा तो उसके बाद ही नये फार्मूले या मानदण्ड का प्रश्न उठेगा। वेतन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहयता के प्रश्नों को परस्पर न मिलायें क्योंकि ये दोनों मामले भिन्न-भिन्न हैं। यह बात पहले उद्धृत की जा चुकी है। हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जितने अधिक आप प्रश्न पूछेंगे उतनी ही उलझन पैदा होगी। हमने कहा था कि 228 अंक पहुंचने पर हम स्थिति पर पुनः विचार करेंगे और हम इसके लिये वचनबद्ध हैं और पुनर्विचार का कार्य वेतन आयोग को मामला सौंप देने से आरम्भ हो गया है। यदि आप और अधिक प्रश्न पूछेंगे और तथ्यों को अपने अपने ढंग से स्पष्ट करेंगे तो इससे और अधिक भ्रम पैदा होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister's reply here contradicts what he had said earlier when this matter was raised. He has backed out of what he had said before. Previously he had said that there would be an automatic increase. He never said that the matter would be referred to the Pay Commission. If he had said so, let him tell when and where? Let him read out those words. How does the Pay Commission come in to the picture. The disputed point was that the employees wanted the increase on 225 where as the hon. Minister had said that it could be given on 228. The Government did not accede to the figure 225. But there was no mention of referring it to the Pay Commission. This is simply defying the House.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह तो नहीं कहा कि नहीं देना चाहते। वह कहते हैं कि यह अंक पहुंच गया है और वह इस पर वचन बद्ध हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह अपने बचन से मुकर गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझा हूं उससे तो लगता है कि उन्होंने कहा है कि वे वचन बद्ध हैं ; प्रश्न तो केवल वेतन आयोग को सौंपने का है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know Sir, whether you are yourself giving some decision. Can an hon. Minister reply to one question in two different and contradictory terms at different times ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार वचन बद्ध है और प्रश्न केवल वेतन आयोग को सौंपे जाने का है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वेतन आयोग की सिफारिशों को बीत चुकी तारीख से लागू किया जायेगा, अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : सिफारिशों को आने दीजिये ।

श्री प्रबोध चन्द्र : इससे सुविधा होगी ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या आपने श्री प्रबोध चन्द्र द्वारा पूछे गये प्रश्न को अनुमति नहीं दी है ? यह बहुत सम्बंधित प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न था ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मान लीजिए कि वेतन आयोग कहता है कि इसे बीत चुकी तारीख से लागू किया जाये तो क्या इसे स्वीकार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जो प्रश्न 'मान लीजिए' से आरम्भ हो उसे पूछने की अनुमति नहीं दी जाती ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस प्रकार से तो मैंने व्यक्त किया है । उन्होंने ऐसे नहीं पूछा था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गई तो सारे देश में हड़ताल हो जायेगी ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं तो केवल मामले को सरल बना रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न कीजिये ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों को बीत चुकी तारीख से लागू किया जायेगा ? यदि सरकार यह चीज स्वीकार करले तो उन लोगों की मांग पूरी हो जायेगी ।

श्री के० आर० गणेश : यह बात तो वेतन आयोग को ही निश्चित करनी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं एक प्रश्न, उलझन पैदा करने के लिये नहीं अपितु दूर करने के लिये, पूछ सकता हूं ? उस दिन मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था—श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जून

की कार्यवाही से उद्धृत किया है कि सरकार इस पर पुनः विचार करने को कटिबद्ध है और करेगी इस बारे में कोई संकोच नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्योंकि नये वेतन आयोग ने नया फार्मूला तैयार नहीं किया है तब तक गजेन्द्र गडकर आयोग वाला फार्मूला लागू होगा ?

अध्यक्ष महोदय : पहले ही प्रश्न में 15 मिनट लग गये हैं और बाद में सदस्यगण शिकायत करते हैं।

श्री बालतन्डायुतम : यह मंत्री महोदय का कसूर है।

अध्यक्ष महोदय : आप ही इस तरह करते हैं। आप सीधा सवाल क्यों नहीं पूछते ?

श्री एस० एम० बनर्जी : अब सूचकांक 228 तक पहुंच गया है और सरकार वचनबद्ध है और मुझे विश्वास है कि सरकार अपना वचन पूरा करेगी।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह अपने वायदे से मुकर गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इसलिये अब प्रश्न तो केवल यह है कि कितनी मात्रा में मंहगाई भत्ता दिया जायेगा। बस ! मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विशिष्ट प्रश्न पर विचार कर रही है कि कितनी राशि दी जाये ?

श्री के० आर० गणेश : सारी स्थिति पर विचार हो रहा है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कौन कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सरकार अथवा वेतन आयोग ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

एच० एस०-748 विमान सम्बन्धी तकनीकी समिति के निष्कर्षों के तुरन्त प्रकाशन की मांग

*123. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत विमान इंजीनियर संघ ने मांग की है कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई एच० एस०-748 विमान सम्बन्धी तकनीकी समिति के निष्कर्षों को तुरन्त प्रकाशित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . सरकार ने तकनीकी

समिति की रिपोर्ट की जांच और क्रियान्वयन के लिये एक कृतिक दल (टास्क फोर्स) का गठन किया जिसमें नागर विमानन के महानिदेशक, इंडियन एयर लाइंस के महा प्रबन्धक और हिन्दुस्तान एरो-नॉटिक्स लि० के अध्यक्ष शामिल थे। कृतिक दल ने अपनी रिपोर्ट 7 नवम्बर, 1971 को प्रस्तुत की थी, जिसे जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रसारित कर दिया गया है। इन दोनों रिपोर्टों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

श्री एच० एम० पटेल : दो प्रतिवेदन हैं। एक को तो प्रकाशित नहीं किया गया है, केवल उसका सारांश ही प्रकाशित किया गया है। दूसरा प्रतिवेदन, मेरे विचार से प्रकाशित हो चुका है। क्या यह सच नहीं है कि दोनों प्रतिवेदन मुख्यतः परस्पर विरोधी हैं ? क्या यह सच नहीं है कि पहले तथा दूसरे आयोग ने इन में से कई विमानों का परीक्षण किया था और दोनों द्वारा कुछ विमान असन्तोषजनक पाये गये थे ? उन कमियों को सरकार किस प्रकार दूर करना चाहती है और इस बारे में उनके अन्तिम अनुदेश क्या हैं ?

डा० कर्ण सिंह : वस्तुतः इन दोनों प्रतिवेदनों में परस्पर कोई मतभेद नहीं है। पहला प्रति-वेदन तो एक बड़ा तकनीकी-प्रतिवेदन था और हमने इसे प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझा तथापि उक्त प्रतिवेदन को सभा के ग्रन्थालय में रख दिया गया है। यह प्रकाशित है और इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। यदि माननीय सदस्य इन दोनों प्रतिवेदनों को पढ़ें तो उन्हें अनुभव होगा कि इन दोनों में कोई मदभेद नहीं है। परीक्षण तो केवल पहली समिति द्वारा ही किया गया था। उन्होंने नमूने के तौर पर कुल 14 में से छः विमानों का परीक्षण किया और छः में से 5 को संतोषजनक तथा एक को सामान्य स्तर से कम पाया। इंजन सम्बन्धी एक परिवर्तन के पश्चात् उसने भी संतोषजनक ढंग से कार्य किया। सरकार विमान से यात्रा करने वाली जनता की रक्षा के प्रति बड़ी जागरूक है और इन प्रतिवेदनों को पढ़ने के पश्चात् हमें विश्वास हो गया है कि यह विमान बड़ा ही सुरक्षा-पूर्ण है। अब तक इसमें शत प्रतिशत सुरक्षा-योग्यता पायी गई है। हम इसके रख-रखाव का भी हर समय प्रयास करेंगे। मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि जनता की सुरक्षा के विरुद्ध कोई समझौता करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री एच० एम० पटेल : इस मामले में सुरक्षा का तो प्रश्न ही नहीं है। वास्तविक प्रश्न तो यह है कि यह कितने भार तक सुरक्षित है ? जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का सम्बन्ध है उसे पूरी भार-क्षमता की आवश्यकता है और उसके विमान चालकों ने इस पर आपत्ति की है। यह कहने से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता कि इसे वायु सेना द्वारा चलाया जा रहा है।

डा० कर्ण सिंह : वस्तुतः सभी परीक्षण, परिभाषानुसार, अधिकतम भार के साथ किये गये हैं क्योंकि आमतौर पर अधिकतम स्वीकृत भार के साथ ही परीक्षण किया जाता है। हां भार में अन्तर जरूर होता है क्योंकि यदि कोई विमान समुद्र तट से उड़ता है और किसी विशिष्ट तापमान पर उड़ता है तो भार की क्षमता एक विशेष स्तर पर रखी जाती है। यदि वह ऊंचाई वाले स्थान से उड़ता है तो उस समय भार में कुछ अन्तर करना पड़ता है। वस्तुतः कई मार्गों पर यह आवश्यक नहीं कि पूरा ही भार लादा जाये। परन्तु जहां तक परीक्षणों का सम्बन्ध है, वे पूरे भार से किये गये हैं और इन निष्कर्षों में यह बात कही गयी है।

श्री राम सहाय पाण्डे : मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि इसमें शत प्रतिशत सुरक्षा है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या विमान चालक को इसका विश्वास हुआ है या नहीं ?

डा० कर्ण सिंह : सच पूछिये, तो विमान चालकों द्वारा जो गत वर्ष मामला उठाया गया था वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने पूछा है कि क्या विमान चालक आश्वस्त हुए हैं अथवा नहीं। मैं और तरफ से तो नहीं बोल सकता परन्तु मुझे आशा है कि यह मतभेद अब अन्ततः समाप्त हो गया है क्योंकि वस्तुतः तो यह हमारे राष्ट्रीय परिवहन का मामला है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहूंगा जिससे पुराना मतभेद फिर पैदा हो जाये। हम एक नया करार विमान चालकों के साथ कर रहे हैं और मैं तो इस मौके पर यही आशा कर सकता हूं कि विवाद समाप्त हो जायेगा, आपत्तियां वापस ले ली जायेंगी और फिर कोई कठिनाई नहीं होगी ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह देखते हुए कि विमान चालकगण इस सम्बन्ध में अपना सन्देह प्रकट करते हैं, क्या हम और अधिक विस्तार से जांच करना तथा नमूना-परीक्षण करना चाहेंगे क्योंकि मूल प्रश्न तो उड़ान के समय इंजन की चालन शक्ति का है ? यह एक गम्भीर मामला है। क्या हम ऐसा करेंगे तथा परीक्षण हेतु तथा सभी सन्देह मिटाने के लिये और अधिक विमानों का परीक्षण करेंगे ? दूसरे, क्या यह भी सच है कि एक विदेशी विमान-निर्माता कम्पनी फोक्कर फ्रेंडशिप एंड लोक हीड दिल्ली में बड़े जोश व खरोश से कार्य कर रही है। फोक्कर्ज बन्धुओं का साहित्य बड़ी मात्रा में हम तक पहुंच रहा है। कुछ समय पूर्व, उन्होंने एक विशाल भोज दिया जहां अतिथियों को एक-एक घड़ी दी गई। वे बड़ी सक्रियता से कार्य कर रहे थे। क्या इस मामले में उनका कोई हाथ है ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक विस्तार से जांच करने का प्रश्न है, सच पूछिये तो मैं इसे आवश्यक नहीं समझता, हमने पहले ही उच्चस्तरीय लोगों की एक समिति गठित की थी जिसमें हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के अध्यक्ष जो कि एक बहुत वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी हैं, और जो कि इस बड़े कारखाने के अध्यक्ष हैं, इण्डियन एयरलाइंस के महा प्रबन्धक जो स्वयं एक वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी हैं तथा नागर विमानन महानिदेशक जो कि प्रमुख लाइसेंस प्राधिकारी हैं, शामिल हैं। इन दो विशेषज्ञों के होते हुए, मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में और आगे जांच करने की आवश्यकता रह जाती है। तथापि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन विमानों की निरन्तर जांच की जाती है और इसीलिये यदि कोई कठिनाई पैदा हुई तो हमें किसी समय भी इसका पता लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार था कि जम्बो जेट में यात्रा करने के पश्चात् वह आपकी आलोचना नहीं करेंगे।

डा० कर्ण सिंह : मैंने भी यही सोचा था। दूसरे प्रश्न के बारे में जो कि घड़ी से सम्बन्धित थी, मैंने तो यह बात पहली बार सुनी है। मुझे इससे सम्बन्धित राजनीति का कुछ पता नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, this report should have been placed on the Table instead of Library.

Dr. Karan Singh : The Library is also yours.

Shri Atal Bihari Vajpayee : So is the Table. This is the report of an important Committee. Why should it not be placed on the Table of the House ? It should form part of the proceedings of the House.

Mr. Speaker : It is placed in the Library certainly for some reason. Let me see it. What will be the use of placing it on the Table ?

Proposals made by French Economic Mission Re : Mirage Fighter Aircraft

+

*125. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri R. V. Swaminathan :
Shri Fatehsinghrao Gaekwad :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some proposals in regard to Mirage fighter aircrafts were made by a French economic Mission which visited India recently ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . फ्रांसीसी आर्थिक मिशन से काफी लम्बे दायरे में विचार विमर्श हुआ तथा इसके अन्तर्गत दोनों देशों के विमानकीय उद्योगों के बीच सहयोग के विषय पर विचारों का आदान-प्रदान भी शामिल था ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, the question relates to a particular item and it has been asked as to whether any discussion was held about Mirage aircraft. The hon. Minister has not answered this question. Does our Air Force require Mirage fighter aircraft and is Government taking any steps in that regard ? In case the hon. Minister does not want to inform this House about the steps being taken by the Government, it is another thing. But such an evasive reply can never satisfy anybody.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already replied to the hon. Member's question that discussions held with the French Economic Mission, among other things, covered matters about aeronautical industry also. All of us are aware that apart from Mirage fighter Aircraft, many other types of aircraft are also manufactured by the French Aeronautical Industry, just as we do. The question of manufacturing another Helicopter was included in the discussions. I have stated in the reply that the matters relating to Aeronautical Industry and other things includes that of mirages also. I have not said that there were no discussions about mirage fighter aircraft. But whether our Air Force requires Mirage fighter aircraft or otherwise is another question. The French Economic Mission has offered its proposals in this connection, which are under consideration of the Government.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In view of the present critical situation and the challenge being faced by us, does the Government propose to take any immediate steps in this matter or the negotiations are going to be prolonged and the decisions would be taken at a very later **stage** when we will not require these aircrafts ?

Shri Vidya Charan Shukla : They had not come to sell the aircraft. It was a question of manufacturing them. If we start manufacturing these aircrafts, it would take three or four years. This would not fulfil the immediate requirements.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : वर्तमान युद्ध कौशल में वैमानिकी क्षेत्र के महत्व को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार वायु सेना के लिए और अधिक विमान बनाने का है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हां । माननीय सदस्य को पता होगा कि कुछ समय पहले एक गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें हमारी अनुसन्धानशालाओं के तथा वायुसेना, हिन्दुस्तान एयरो-नॉटिक्स के विशेषज्ञ और अन्य जानकार व्यक्ति इस विषय पर चर्चा करने आये थे और ए० एफ० ए० (एडवांस फाईटर एयरक्राफ्ट), जिनका संचालन वायुसेना सन् 1980 के दौरान करना चाहती है, बनाने के प्रश्न पर अपने विचार प्रकट किए थे । ए० एफ० ए० परियोजना पर विचार किया जा रहा है ।

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने बाद में ईरान से 52 फैंटम विमान प्राप्त किए हैं.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न फ्रांसीसी आर्थिक मिशन के बारे में है।

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ : मैं समझता हूं कि पाकिस्तान द्वारा ईरान से लिए गये फैन्टम विमानों की कमी को पूरा करने के लिए ही फ्रांसीसी दल से बातचीत की गई थी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरी समझ में यह प्रश्न नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी नहीं समझा हूं। सम्भवतः आपके कहने का तात्पर्य है कि इस बारे में फ्रांसीसी शिष्टमण्डल से कुछ बातचीत हुई थी।

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ : मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार मिराज तथा अन्य प्रकार के विमानों के सम्बन्ध में फ्रांसीसी शिष्ट मण्डल के साथ जो चर्चा हुई है वह पाकिस्तान द्वारा ईरान के माध्यम से ही खरीदे गये फैन्टम विमानों की कमी को पूरा करने के बारे में थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है ? दूसरे, कुछ समय पूर्व "स्टेट्समैन" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि मिराज विमानों के बारे में चर्चा विशेषकर प्रधान मंत्री की पैरिस की यात्रा के दौरान की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये बातें हुई थीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का अनुमान पूर्णतः गलत है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यह मामला इतनी प्रारम्भिक अवस्था में है कि मुझे शंका है कि प्रधान मंत्री ने शायद ही इस मामले को फ्रांसीसी सरकार के साथ उठाया हो।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमारी वायुसेना की मांग पर और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तानी वायु सेना बहुत अधिक संख्या में मिराज विमान जो अत्यधिक शक्तिशाली सैनिक विमान हैं, से लैस हैं, हमारी सरकार रुपये में भुगतान की व्यवस्था के अन्तर्गत मिराज विमान खरीदना चाहती थी और फ्रांसीसी सरकार ने रुपये में भुगतान की व्यवस्था के अन्तर्गत हमारे देश को मिराज विमान बेचने से इन्कार किया था और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री का पाकिस्तानी खतरे का सामना करने के लिए मिराज विमान खरीदने का अभी भी कोई विचार है, और यदि हां, तो विमान किस प्रकार खरीदे जायेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक मेरी वर्तमान जानकारी है, मिराज विमान खरीदने के बारे में इस मिशन से कोई चर्चा नहीं हुई।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए अल्प बचत योजना

*126. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 बड़े उद्यमों के मुख्य प्रबन्धकों तथा प्रतिनिधियों की बैठक में सरकारी क्षेत्र के

उद्यमों के कर्मचारियों के लिए बीमा-युक्त एक अल्प बचत योजना के प्रस्ताव पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). उप वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 9 सितम्बर, 1971 को सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की जो बैठक हुई थी, उसमें इन उपक्रमों से एकत्रित होने वाली छोटी बचतों में वृद्धि करने के लिए कई उपायों पर विचार किया गया । इस बैठक में बीमायुक्त बचत योजना तैयार करने के लिए भी सुझाव दिया गया था ।

श्री होमीतलयार खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बचत अभियान पुनर्गठन समिति ने भी यह सिफारिश की है कि वेतन से सीधी बचत करने वाले दल में जो लोग संचयी सावधि जमा के पंचवर्षीय खाते में 5 रु० और 10 रु० जमा कराते हैं, उन्हें बीमे की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

यह सिफारिश विचाराधीन है । यदि ऐसी कोई योजना व्यावहारिक पायी गयी तो उसे संचयी सावधि जमा के सभी खातेदारों के सम्बन्ध में लागू किया जा सकता है ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : यह सिफारिश कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री के० आर० गणेश : यह अभी विचाराधीन है । ज्योंही इस पर विचार हो जायगा हम इस सम्बन्ध में सोचेंगे ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : अल्प बचत योजना आशातीत प्रगति नहीं कर रही है । मैं समझता हूं कि सरकार को यह पता है कि अल्प बचत योजना की सफलता का मूल्यों की स्थिति के साथ गहरा सम्बन्ध है और इस मूल्य वृद्धि के कारण बुद्धिजीवी तथा श्रमिक वर्गों की स्थिति अत्यन्त दयनीय होती जा रही है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार सर्वप्रथम मूल्यों को नियंत्रण में करने का है ताकि अल्प बचत योजना को सफल बनाया जा सके ?

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अल्प बचत योजना प्रगति नहीं कर रही है । अल्प बचत योजना ने पर्याप्त प्रगति की है । अनेक राज्यों में इसके लक्ष्यों की पूर्ति हो गई है । अल्प बचत के लिए हर सम्भव उपाय करने हेतु वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में हुई इस बैठक की माननीय उप-मंत्री ने अध्यक्षता की थी । एक यह सुझाव भी विचाराधीन है ।

Shri B. S. Bhaura : The hon. Minister has stated that the small savings scheme has made substantial progress. But is he aware of the fact that in most of the places the deposits under this scheme are forcible deposits and that the officers, in order to achieve the target in this connection force people to deposit in this scheme, and after the targets have been achieved the deposits are withdrawn ?

Mr. Speaker : Your question is not relevant.

राज्यों द्वारा विकास निधि का उपयोग न किया जाना

+

*128. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित संगठनात्मक ढांचे के अभाव में 10 राज्यों की विकास निधि के व्यपगत होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उन्हें दी गई विकास निधि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन राज्यों को आवंटित विकास निधि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, चालू वर्ष में किसी राज्य के आयोजना-गत व्यय में कोई कमी होने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते ।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या सरकार पिछड़े राज्यों में विकास कार्य की अपरिहार्यता को दृष्टि में रखते हुए राज्यों द्वारा निधियां उपयोग करने के लिए समयावधि बढ़ायेगी ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : वस्तुतः साधारण समयावधि में भी वे अधिक खर्च कर रहे हैं । यही मेरी कठिनाई है ।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या सरकार ने यह विचार किया है कि कृषि पुनर्वित्त निगम को, इन योजनाओं को शीघ्र तैयार करके इन राज्यों के विकास कार्य में अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेनी चाहिए ।

श्री यशवंतराव चह्वाण : पुनर्वित्त निगम का यही कार्य है । कुछ राज्यों में तो यह निगम वास्तव में कार्य कर रहा है । कुछ राज्यों में सुनियोजित रूप से एक प्रकार की संगठनात्मक संस्था है और वह उससे अधिक लाभ उठा सकते हैं । कुछ राज्यों में वास्तव में यह पीछे रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राष्ट्रपति शासन के अधीन पश्चिम बंगाल में तो यह बहुत ही पीछे है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आपके शासन के अन्तर्गत भी यही स्थिति थी । **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : क्या यह सच है कि मैसूर सहित अनेक राज्यों में छोटे किसानों को संगठित करने और उन्हें सहायता देने हेतु विकास योजनाओं के लिए आवंटित की गई निधियां उपयोग में नहीं लाई गई हैं और यह योजना कार्यान्वित नहीं हुई है ? उदाहरणार्थ, मेरे अपने राज्य मैसूर में छोटे किसानों और खेतिहरों के आवेदन-पत्र जिन पर विचार कर लिया गया है, जमा हो गये हैं और

रिजर्व बैंक ने अपनी अनुमति नहीं दी है। यहां तक कि एजेंसी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की क्रियान्विति की बहुत धीमी गति है। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार मैसूर राज्य की योजना को कार्यान्वित करने और उचित निर्धारण करने के लिए उपयुक्त अनुदेश देगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि वह मुझसे विशेष रूप से छोटे किसान योजना और सीमान्त किसान योजना के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने ठीक प्रश्न किया है। परन्तु दुर्भाग्य से यह मैसूर के बारे में ही नहीं है। व्यवहारिक रूप से समस्त राज्यों में इस योजना ने कोई प्रगति नहीं की है, और इसके लिए रिजर्व बैंक अथवा अन्य कोई बैंक जिम्मेदार नहीं है। रिजर्व बैंक ने कुछ आवश्यक अनुदेश अवश्य दिए हैं, परन्तु वास्तव में यदि योजना की प्रगति करनी है तो मौलिक बात तो यह है कि यह देखा जाये कि छोटे और सीमांत वर्ग के किसान कौन-कौन हैं।

श्री के० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि उन किसानों को निर्दिष्ट किया गया है या नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक मैं समझ सका हूं आपका प्रश्न यह था कि छोटे तथा सीमांत वर्ग के किसानों की योजना के अन्तर्गत मैसूर में कोई प्रगति हुई है या नहीं और क्या इसके लिये बैंक पर्याप्त कार्य कर रहे हैं ? आपका प्रश्न यह है जो बिल्कुल ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ एजेंसियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है और इस जिम्मेदारी को बैंकों को निभाना पड़ता है। मैं स्वयं इस मामले में काफी रुचि ले रहा हूं और मैंने उत्तर के राज्यों तथा दूसरे कम विकसित राज्यों के कृषि आयुक्तों की बैठक यह देखने के लिये बुलाई थी कि इस कार्य में कौन-कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पता चला है कि सारा मामला इसी प्रश्न से जुड़ा है कि सीमांत किसान और छोटे किसान की क्या पहचान है। कुछ राज्यों में किसानों तथा अन्य बातों के रिकार्ड की कमी है। सम्भवतः यह भी रास्ते में एक बाधा है। लेकिन अभी हाल की एक बैठक में मैंने वित्त निगमों तथा बैंकों को इन बातों का उचित ध्यान रखने को कहा है। मैं आपसे विशेष सुझाव चाहता हूं जिन्हें निश्चय ही मैं ध्यान में रखूंगा।

श्री के० लकप्पा : मेरा सुझाव है ...(**व्यवधान**)... पांडे जी मैं अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया हूं। अधिकारियों ने सीमांत किसानों की पहचान की है तथा सूची बनाई है। लेकिन किस प्रक्रिया तथा एजेन्सी द्वारा यह योजना कार्यान्वित की जाये, इसकी स्वीकृति अभी रिजर्व बैंक ने नहीं दी है। सारी कठिनाई यही है। यही कारण है कि मैं इस बारे में जानना चाहता था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस ओर ध्यान दूंगा। यदि पहचान की प्रक्रिया पूरी हो गयी हो तो मैं इस ओर अवश्य ध्यान दूंगा।

श्री राम सहाय पांडे : यदि आप बैंकिंग का काम डाकघरों द्वारा चलायें तो आप देश के गरीब तथा छोटे किसानों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। आप उनसे अच्छी तरह सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

Mr. Speaker : What is the use of wishing me with folded hands after asking a question ?

श्री राम सहाय पांडे : मैं जानता हूं कि मैं आपकी अनुसति न लेने का दोषी हूं लेकिन मैं आवेश में आ गया था क्योंकि .....

Mr. Speaker : There is no question of being guilty. I know that you are anxious.

श्री राम सहाय पांडे : मैं एक व्यवहारिक सुझाव दूंगा । यह देश के भाग्य तथा छोटे किसानों का प्रश्न है ।

Mr. Speaker : But do it in a proper manner. You know how much pains I have to take on each question. I have to carry the House further.

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that heavy floods caused a severe set back to the development works in Bihar, U.P. and, Bengal ? Is it a fact that he is ready to render special assistance to the States which have suffered heavy losses ? Is it also a fact that these, State Governments requested him for this special aid and, if so, what was his reaction ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि वह विशेष ब्योरेवार सूचना चाहते हैं तो वह विशेष प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका मैं उत्तर दूंगा ।

Shri Ramavatar Shastri : I know about Bihar.

Shri Yashvantrao Chavan : He knows something about Bihar. I also had been there and studied the state of affairs there.

बिहार सरकार की निश्चय ही कुछ मांगें हैं । हमने, हमेशा की तरह, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों का दल उधर भेजा । वह वहां गया । उसने ऋण, सहायता आदि की अधिकतम सीमा के बारे में सिफारिश की थी । और कई मदों के अन्तर्गत काफी राशि स्वीकृत भी की जा चुकी है । राशि का असली भुगतान विभिन्न मदों पर हुए वास्तविक व्यय पर निर्भर करता है । मेरे पास इस समय यहां आंकड़े नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य विशेष प्रश्न पूछें तो मैं आंकड़े दे सकता हूं ।

Rise in Prices

+

*130. **Shri Hemendra Singh Banera :**
Shri Jagannathrao Joshi :
Shri P. Gangadeb :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the prices have gone up in the country after the presentation of the budget this year ;

(b) if so, the percentage of price increase ;

(c) the names of consumer goods the prices, of which have increased and the extent of increase in their prices, commodity-wise ; and

(d) the steps taken by Government in this regard and the results achieved thereby ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) से (घ) . एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) . 30 अक्टूबर, 1971 को समाप्त सप्ताह के लिये चुनी हुई महत्वपूर्ण उपभोक्ता

वस्तुओं का थोक मूल्य सूचक अंक (1961-62=100) और 29 मई, 1971 (बजट पूर्व सप्ताह) के मुकाबले में इन में हुए परिवर्तन संलग्न सारणी में दिये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1050/71**]

(घ) सरकार अर्थ-व्यवस्था की मूल्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों पर बारीकी से नजर रख रही है और समय-समय पर उत्पन्न होने वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं। कई जिंसों के सम्बन्ध में मूल्य और वितरण पर नियंत्रण जारी है, रि-रोलरों द्वारा बनाई जाने वाली इस्पात की वस्तुओं को हाल ही में इस सूची में शामिल कर लिया गया है। सरकार दालों से भिन्न अनाजों की बड़े पैमाने पर वसूली कर रही है और इन्हें देश भर में उचित मूल्य राशन की दुकानों का जाल बिछा कर निर्धारित मूल्य पर बेचा जा रहा है ; राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया है कि वे सरकारी वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करें। कपड़े की नियंत्रित किस्मों की बढ़ती हुई कमी को देखते हुए मिलों को कहा गया है कि वे अपना उत्पादन बढ़ायें और ऐसे कपड़े की बिक्री के सम्बन्ध में होने वाली गड़-बड़ी को रोकें। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि वे कपड़े के प्रत्येक मीटर पर प्रति मीटर उपभोक्ता मूल्य की मोहर लगाये, कपास खाद्य तेलों, तेलहन, इस्पात, सोडा ऐश जैसे कुछ आवश्यक कच्चे माल के पर्याप्त आयात की व्यवस्था की जा रही है ताकि देश में इनके उत्पादन की कमी को पूरा किया जा सके और इस प्रकार उपभोक्ता और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिये मूल्यों में स्थिरतः लायी जा सके। उद्योगों के काम आने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में आयात की व्यवस्था करने के बारे में तत्काल उपाय किये जा रहे हैं ताकि औद्योगिक उत्पादन बिना किसी रोक-टोक के चलता रहे। हाल में, केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत करने के और शरणार्थियों के सम्बन्ध में होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये नये साधन जुटाने के सम्बन्ध में कदम उठाये गये हैं। कुल मांग को नियंत्रित रखने के लिये सरकार प्रायः प्रतिबन्धात्मक ऋण नीति अपना रही है ; चीनी के मूल्यों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मिलों और व्यापारियों को बैंक ऋण की उपलब्धता पर और रोक लगा दी गयी है। सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोकने के लिये वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम की विभिन्न त्रुटियां दूर कर दी गयी हैं और खाद्य तेलों और तेलहनों के अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदाओं सहित वायदे के सौदों पर पाबन्दी लगा दी गयी है और गुड़ के वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

अनुमान है कि सरकार द्वारा अपनाये गये विभिन्न उपायों से मूल्यों का मौजूदा दबाव कुछ कम हो जायगा। बड़े पैमाने पर इस्पात के आयात से और हाल में, अतिरिक्त आयातों के लिये अतिरिक्त मुक्त विदेशी मुद्रा जारी करके बुनियादी कच्चे माल की कमी को दूर करने में सहायता मिली है। आपातकालीन स्तर पर सोडा ऐश का आयात करने के कारण मूल्य-वृद्धि रुक गयी है। खाद्य तेलों और तेलहनों के लगातार आयात से खाद्य तेलों, वनस्पति और साबुन के मूल्यों में स्थिरता लाने में सहायता मिली है। फिर भी यह कहा जा सकता है इनमें कुछ कदम अभी हाल ही में उठाये गये हैं और इन का पूरा प्रभाव अभी महसूस नहीं हुआ है। मूल्यों में मौसमी गिरावट आनी शुरू हो गयी है और उठाये गये विभिन्न कदमों से आगामी महीनों में मूल्यों में और कमी हो जानी चाहिए।

Shri Hemendra Singh Banera : He has given a statement and there has been a discussion in the House also. The situation is going to deteriorate with the growing possibilities of Indo-Pak war. Keeping this in view, is there any short term action under their consideration ? He has stated certain remedial measures in the statement but is there any programme for facilities to be provided within a short time ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो भी उपाय किये गये हैं वे अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों हैं, जिनके लिए आप ने कहा है कि वे ठीक हैं...

Shri Hemendra Singh Banera : Mine is a specific question. What steps have they taken to overcome the present situation in the country and what steps have they taken to implement it ? He has given remedial orders under the plan but what is being done to implement them ?

Shri Yeshwantrao Chavan : Implementation is in progress.

Shri Hemendra Singh Banera : I want a clarification. Will there be discussion in the House on this subject.

Mr. Speaker : It will be seen later on.

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपनी नवीनतम बुलेटिन में कहा है कि देश में मूल्य फिर बढ़ रहे हैं जिसका कारण सट्टे का व्यापार है ? घाटे की अर्थ व्यवस्था .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना समय भूमिका बांधने में बर्बाद न करें। उन्हें सीधे-प्रश्न पर आना चाहिये।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : घाटे की अर्थव्यवस्था न करने सम्बन्धी सरकार के निदेशों के बावजूद भी घाटे की अर्थ व्यवस्था के आंकड़े 600 करोड़ तक पहुंच गये हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है, और यदि हां, तो मूल्यों को किस प्रकार नियंत्रित किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अभी घाटे की अर्थ व्यवस्था की वास्तविक मात्रा बताना कठिन है। यदि माननीय सदस्य रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के सन्दर्भ में कह रहे हैं तो यह सच है कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकार का व्यय तथा सरकार को दी जा रही ऋण सुविधा कुछ सीमा तक इसके लिये जिम्मेवार है। एक तरह से यह ठीक भी है क्योंकि कुछ राज्यों में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की समस्या है। केन्द्रीय सरकार की स्थिति भी यही है क्योंकि इसे भी ऋण की सुविधाएं प्रदान करनी हैं जैसे पर्याप्त स्टाक रखने के लिये खाद्यान्न निगम को ऋण देना पड़ता है।

इसके दो ही समाधान हो सकते हैं, एक यह कि हम व्यापारियों और सट्टे वालों को उदारता से ऋण न दें। जैसे कि मैंने एक दिन कहा था कि हम व्यापारियों और सट्टे का व्यापार करने वालों को ऋण सुविधाएं देने में सख्ती से काम लेंगे।

दूसरा समाधान है अधिक साधन जुटाना। हमने इस दिशा में कुछ कदम उठाये हैं और सभी राज्य सरकारें अधिक साधन जुटाने के लिये कदम उठा रही हैं। कुछ अध्यादेश इसी उद्देश्य से जारी किये गये थे। घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सामना करने का यह दूसरा उपाय है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि बंगला देश शरणार्थियों के व्यय के लिये 5000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० पी० शर्मा।

श्री भागवत झा आजाद : हमने उस विवरण को भी पढ़ा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

श्री ए० पी० शर्मा : विवरण से स्पष्ट है कि अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। सरकार का हमेशा यही रवैया रहा है कि महंगाई उस सीमा तक न बढ़े कि सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देना पड़े। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करेगी ?

Shri Yeshwantrao Chavan : It would have been better had you come earlier. The question was raised and reply given in the matter of referring this case for the advice of Pay Commission.

Shri A. P. Sharma : Why has it been sent to the Pay Commission which has already given its advice.

Mr. Speaker : It has already been replied to.

प्रो० मधु दंडवते : उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करने के लिये क्या सरकार इन वस्तुओं का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करेगी ? उत्पादकों को उचित दरें दिलाने तथा उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्या सरकार के लिये खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके बिचौलियों को हटाना सम्भव होगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ये अच्छे विचार हैं, हमें इस पर विस्तारपूर्वक विचार करना पड़ेगा। आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना सिद्धान्ततः एक अच्छा विचार है लेकिन वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें विचार करना है कि प्रशासनिक दृष्टि से यह किस प्रकार व्यवहार्य है। स्वाभाविक है कि हमें सर्वसाधारण के उपयोग की वस्तुओं के नियंत्रण पर विचार करना पड़ेगा। कुछ वस्तुओं पर हमारा नियंत्रण है। हमने राज्य सरकारों को निदेश जारी किये हैं कि अन्न की वितरण प्रणाली को नियमित रखें। चीनी तथा मिट्टी के तेल के मूल्यों पर हमने नियंत्रण रखा है। इन वस्तुओं के वितरण कार्य को क्या हम अपने हाथ में लें, इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा।

गंगा जल दूषण जांच आयोग की सिफारिशें

*131. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा जल दूषण जांच आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में, सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी नहीं। कार्यवाही अभी भी हो रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० लकप्पा : क्या यह सच है कि मुंगेर में गंगा जल दूषण के मामले में जिसके परिणाम-स्वरूप कई जानें गई हैं और नगरपालिका को नुकसान पहुंचा है, आयोग ने सिफारिश की है कि एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाये और सम्बन्धित अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाये ? यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : आयोग ने यह निष्कर्ष निकाले हैं कि इसके लिये कतिपय अधिकारी जिम्मेदार थे और इसने यह भी सुझाव दिया है कि उनके विरुद्ध एक विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिये । केन्द्रीय सतर्कता आयोग की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुये कथित अधिकारियों के विरुद्ध एक विभागीय जांच की जा रही है ।

श्री के० लकप्पा : क्योंकि बरौनी तेल शोधन कारखाना औद्योगिक मल स्राव का मूल कारण है जिससे पूरा क्षेत्र दूषित हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि उन लोगों को जिनका इस जल दूषण के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ है, कोई मुआवजा दिया गया है जो कि उन अधिकारियों की गलती और कर्तव्य की लापरवाही का परिणाम था और जहां तक इन अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था का सम्बन्ध है, क्या पीड़ितों को मुआवजा देने के बारे में नुकसान का निर्धारण किया गया है और यदि हां, तो उस पर इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्होंने सम्बद्ध राज्य सरकार को क्या अनुदेश दिये हैं ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, वह मैंने बता दी है । जहां तक नुकसान का प्रश्न है, उस समय अनुमान लगाये नुकसान के लिये कुछ मुआवजा दिया गया था ।

श्री के० लकप्पा : पिछले मंत्री श्री द० रा० चह्वाण ने भी मुआवजे की बात को मान लिया है और उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं । अगला प्रश्न ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कृषि ऋण सम्बन्धी आदर्श विधेयक परिचालित किया जाना

*133. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कृषि ऋण सम्बन्धी एक आदर्श विधेयक राज्य सरकारों में परिचालित किया है और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के विकास के लिये वित्त देने में अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे शीघ्रता से अधिनियम का रूप देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो विधेयक के मुख्य उपबन्ध क्या हैं ; और

(ग) विधेयक के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने क्या विचार प्रकट किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). कृषि के लिये ऋण देने वाले वाणिज्यिक बैंकों पर प्रभाव डालने वाले राज्यीय अधिनियमों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल ने राज्य सरकारों से निम्नलिखित बातों पर विचार करने के लिये कहा है :—

(i) राज्यीय कानूनों के कुछ उपबन्धों में फेरबदल करना ; और

(ii) वाणिज्यिक बैंकों से दिये जाने वाले कृषि ऋण के प्रवाह को निरन्तर और तेज करने के लिये प्रशासनिक प्रक्रिया को उदार बनाना। दल की अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि विभिन्न राज्यीय कानूनों को अलग-अलग और थोड़े थोड़े करके संशोधित करने के बजाय रिपोर्ट में सुझाये गये विभिन्न संशोधनों को समाविष्ट करते हुए एक समेकित कानून बनाना आसान और श्रेयस्कर होगा। इस प्रयोजन से विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में एक आदर्श विधेयक का मसौदा शामिल किया था जिसे रिपोर्ट के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों को प्रचारित किया गया है। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें आदर्श विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें एवं राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली अन्य प्रशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में बताया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1051/71]**

(ग) विधेयक के मसौदे पर इस समय राज्य सरकारें विचार कर रही हैं। किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक इस मसौदे पर किये गये निर्णय की औपचारिक सूचना नहीं दी है परन्तु बहुत सी राज्य सरकारों ने प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ दल की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिये पहले ही कार्यवाही कर ली है। वैधानिक उपायों पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

श्री डी० के० पंडा : निर्धनों, छोटे कृषकों और भूमिहीन लोगों को, जो वस्तुतः खेती कर रहे हैं कृषि के लिये ऋण देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि कुछ वर्ग बटाई पर खेती करते हैं, जैसा कि सभी राज्य सरकारों को अनुदेशों के भेजे जाने के पश्चात् पता लगा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन अनुदेशों के भेजे जाने की तिथि के बाद कोई प्रगति हुई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसा मैंने कहा है, राज्य सरकारों को निश्चित वैधानिक अथवा प्रशासनिक उपायों को लागू करने के बारे में ये हिदायतें अथवा सिफारिशें थी। ये निर्देश नहीं थे जो कि उनके कार्य में सुविधा पहुंचाने के लिये हम भेज सकते हैं। विशेषज्ञ दल ने एक आदर्श विधेयक भी तैयार किया था क्योंकि उसमें अनेक राज्य अधिनियमों में जैसे स्टाम्प शुल्क अधिनियम और कुछ अन्य स्थानीय राज्य अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। मैं मुख्य मंत्रियों से मिला हूं और इन सिफारिशों की क्रियान्विति की अत्यावश्यकता का हवाला देते हुए उनसे अनुरोध किया है। यदि वे इन सिफारिशों को लागू करते हैं तो इससे बैंकों को आगे के कार्य करने में सुविधा हो जायेगी और वे कृषकों को ऋण दे सकेंगे। उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की मैं अभी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुख्य उत्तर में मैंने कहा है कि कुछ प्रशासनिक उपाय किये गये हैं। किसी भी राज्य सरकार द्वारा अब तक विधान का अधिनियमन नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि वे इसे शीघ्र ही अधिनियम का रूप दे देंगे।

श्री डी० के० पंडा : मेरे प्रश्न का उत्तर शायद अब भी नहीं दिया गया है। मेरे प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में यह कहा गया था कि प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ दल की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिये पहले ही कार्यवाही कर ली है। क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है अथवा क्या उन्हें मालूम है कि राज्य सरकार द्वारा कितनी वास्तविक प्रगति की गई है ? क्या उन्होंने आपके अनुदेशों का पालन किया है ? क्या वास्तव में प्रगति हुई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कानून बनाने की तरफ मोटी प्रगति होनी चाहिये। उन्हें निश्चय ही कानून पास करना होगा। प्रशासनिक दिशा की ओर एक सिफारिश है कि राज्य सरकारों को अधिकारों के बारे में, स्वामित्व के बारे में रेकार्ड को सुधारने का प्रयास करना चाहिये। उनमें से कुछ ने कहा है कि वे उपाय कर रहे हैं। वास्तव में क्या किया गया है मुझे नहीं पता है लेकिन मुख्य सिफारिश विभिन्न राज्य अधिनियमों में संशोधन करके व्यापक कानून बनाने के बारे में है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आयुध कारखानों का पुनर्गठन

*122. **श्री पीलू मोदी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आयुध कारखानों के अकस्मात् अथवा उतावलेपन में किए जाने वाले पुनर्गठन के विरुद्ध 28 आयुध कारखानों की औद्योगिक परिषद द्वारा हाल ही में पास किए गये संकल्प की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक परिषद् के ऐसे प्रेक्षणों के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) आयुध कारखाने के डायरेक्टोरेट जनरल के संगठन की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए तथा उसे धारारेखित करने के हेतु कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। औद्योगिक समिति के टिप्पणी का तद्यपि कोई अवसर नहीं आया है।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा इसके हरेक पहलुओं पर पूरी तरह विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

विदेशों में तेल खोज कार्य के संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव

*124. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में तेल खोज कार्य के संयुक्त उद्यम के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तेल खोज के कार्य संयुक्त रूप से किन किन देशों में किये जायेंगे ;

(ग) तेल खोज कार्य में भाग लेने की इच्छुक फर्मों के नाम क्या हैं ;

(घ) उक्त तेल खोज कार्य देश की आवश्यकता को पूरा करने में कहां तक सहायक होंगे ; और

(ङ) इससे अशोधित तथा अन्य तेल पर खर्च होने वाली कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई प्रवृत्ति

*127. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन में और योजना आयोग द्वारा हाल ही में किये गये आर्थिक मूल्यांकन में यह बताया गया है कि हमारी अर्थ व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे हाल की वार्षिक रिपोर्ट में जिसका सम्बन्ध जुलाई 1970 से जून 1971 तक की अवधि से है यह कहा गया है कि "यद्यपि अर्थ-व्यवस्था चौथी आयोजना के दूसरे वर्ष लगातार विकास की लक्षित दर प्राप्त कर सकी है, पर इस समय यह गम्भीर परिस्थितियों में से गुजर रही है । अर्थ व्यवस्था के जिन पहलुओं पर सबसे अधिक चिन्ता है उनमें सर्वप्रथम मूल्य सम्बन्धी स्थिति है । वर्ष का श्रीगणेश मूल्यों पर बहुत ऊंचे दबाव से हुआ । इसके उपरान्त विभिन्न उपाय किये जाने के परिणामस्वरूप मूल्यों में कुछ नरमी आई । परन्तु हाल के ही महीनों में मूल्यों ने एक बार फिर अपना सिर उठाया है ।" रिपोर्ट में, मूल्यों की स्थिरता बनाये रखने और मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि तथा वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि के बीच उपयुक्त सन्तुलन बनाये रखने पर जोर दिया गया है ।

जहां तक योजना आयोग का संबंध है वह इस समय, चौथी आयोजना का मध्यावधि मूल्यांकन कर रहा है । इस मूल्यांकन के पूरा हो जाने के पश्चात् ही आर्थिक स्थिति के बारे में इसके विचारों का पता चल सकेगा ।

(ग) सरकार को स्थिति की पूरी जानकारी है और अनुचित मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । राजस्व के क्षेत्र में, केन्द्र और राज्य दोनों के आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत करने के लिए पहले से ही उपाय किये गये हैं, पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के उद्देश्य से हाल ही में कई उपायों की घोषणा की गई है । मुद्रा संबंधी क्षेत्र में, मुद्रास्फीति के दबाव के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए,

सरकार की ऋण नियन्त्रण संबंधी नीतियों को अनुकूल बनाया गया है और प्रायः प्रतिबन्धात्मक ऋण नीति का अनुसरण किया जा रहा है। मुख्य अनाजों को उचित मूल्य/राशन की दुकानों के जाल के जरिये नियत मूल्यों पर बेचा जा रहा है और राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे सरकारी वितरण-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनायें/अधिकतर अत्यावश्यक वस्तुओं के मामले में, मूल्यों और/या उनमें वितरण पर बराबर नियंत्रण रखा गया है। हाल ही में यह नियंत्रण रि-रोलरों द्वारा बनाई गई इस्पात की वस्तुओं पर भी लागू कर दिया गया है। सूती कपड़ा मिलों से कहा गया है कि वे नियन्त्रित किस्मों के कपड़े का उत्पादन बढ़ायें और कपड़े के प्रत्येक मीटर पर प्रति मीटर उपभोक्ता मूल्य की मोहर लगायें। सट्टेबाजी की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम 1952 की कुछ त्रुटियों को दूर कर दिया गया है ; खाद्य तेलों और तेलहनों के वायदे के सौदों पर, जिनमें अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी के संविदा भी शामिल हैं, पिछले महीने रोक लगा दी गयी और गुड़ के वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसके अलावा देश में कपास, खाद्य तेलों, इस्पात और सोडा ऐश, जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में जो कमी हुई है, उसे पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक आयात की व्यवस्था की जा रही है।

पर्यटक यातायात में सुधार करने के लिये छोटे हवाई अड्डों के बीच हवाई टैक्सी सेवा

*129. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटक यातायात में सुधार करने के लिये छोटे हवाई अड्डों के बीच हवाई टैक्सियां चलाने के लिये गैर-सरकारी कम्पनियों को अनुमति देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अभिवृद्धि को विशेष रूप से दृष्टि में रखते हुए उन मार्गों पर जहां इंडियन एयरलाइन्स अपनी विमान सेवायें परिचालित नहीं करते, निजी परिचालकों को वैमानिक टैक्सी सेवायें स्थापित करने देने की अनुमति प्रदान करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

एच० एस-748 विमानों का परीक्षण

*132. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री प्रवीन सिंह सोलंकी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने 6 एच० एस–748 विमानों के परीक्षण में केवल एक विमान को सफल पाया है और शेष विमान उचित स्तर तक नहीं पहुंच सके थे ;

(ख) क्या सरकार समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के शेष 8 विमानों की भी इस समिति द्वारा जांच करवायेगी जिससे यदि उनमें कोई खराबियां हों, तो उनका पता चल सके ;

(ग) क्या समिति के निष्कर्ष इन विमानों के संचालन के बारे में विमान चालकों की शिकायतों की पुष्टि करते हैं ; और

(घ) इन विमानों की खराबियों को दूर करने और उन्हें उड़ान के अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । समिति द्वारा उड़ान परीक्षण किये गये छः विमानों में से पांच विमानों का कार्य-निष्पादन पर्याप्त संतोषप्रद था । छठे विमान ने भी एक इंजन परिवर्तन के बाद संतोषजनक रूप से कार्य किया ।

(ख) सरकार ने बाकी विमानों को समिति द्वारा परीक्षा की आवश्यकता नहीं समझी । परन्तु इन विमानों की इंडियन एयरलाइंस द्वारा निर्धारित जांचें करायी गयी हैं और वे संतोषप्रद पाये गये हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इनके उचित संधारण एवं ओवरहॉल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

सेना कर्मचारियों द्वारा नदिया के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को पीटा जाना

*134. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1971 के "जुगान्तर" (कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगाली दैनिक) में सैनिकों द्वारा नदिया के दो अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों की बुरी तरह पिटाई 12 सैनिक गिरफ्तार शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) सेना के पांच कार्मिकों को तथा तीन सिविलियनों को जो इस मामले में अभियुक्त है न्यायिक हवालात में न्यायाधीन हैं ।

Air Service between India and Nepal

*135. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a team appointed by Government of India had gone to Kathmandu in August, 1971 for talks in connection with the air service between Nepal and India ;

(b) whether Nepal had asked for certain special facilities from India in the course of the talks with the team ;

(c) if so, the demands made by Nepal Government and those, out of them, accepted by Government of India ;

(d) the time by which air-flights are likely to be started between India and Nepal from Raxaul, Muzaffarpur etc. aerodromes, in the wake of the talks, referred to above ; and

(e) whether the number of air-flights between India and Nepal is expected to be increased by the end of this year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. In response to an invitation from the Government of Nepal, discussions between the air transport delegations of the Government of India and His Majesty's Government of Nepal were held at Kathmandu between 17th and 20th August, 1971.

(b) and (c). The Nepalese authorities wished to amend the India-Nepal Air Services Agreement with a view to expand Royal Nepal Airlines Corporation flights to India and also to commence international services through India to other neighbouring countries. It was decided that the two delegations would resume their talks, at a mutually convenient date after collecting further data and studying matters in greater detail.

(d) There is no such proposal.

(e) No, Sir.

इंडियन ओवरसीज बैंक, गोआ के एजेंट द्वारा गबन

*136. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक, सैंट ऐस्टेवम ब्रांच, इलहास, गोआ के एजेंट ने बैंक की 4.8 लाख रुपये की राशि का कथित गबन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन ठगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). इण्डियन ओवरसीज बैंक, सैंट ऐस्टेवम ब्रांच इलहास, गोआ के वर्तमान एजेंट पर आरोप लगाया गया है कि उसने 1966 में जब वह बम्बई में फोर्ट शाखा में सहायक लेखाकार था आयात सम्बन्धी जाली दस्तावेजों के आधार पर 4,34,154 रुपये की रकम भारत से बाहर सिंगापुर भेजने की अनुमति दे दी थी । बैंक ने सूचना दी है कि इससे बैंक को रकम की कोई हानि नहीं हुई है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच-पड़ताल के अनुसार, 1665-66 में किसी समय कुछ व्यक्तियों ने जाली लाइसेंसों के आधार पर अनधिकृत रूप से भारतीय मुद्रा सिंगापुर भेजने का सापराध षड्यंत्र किया था ।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच पड़ताल पूरी कर ली है और ज्यों ही उन्हें दण्ड विधान संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत, सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायुक्त से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जायगा, इस षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों पर जिनमें इण्डियन ओवरसीज बैंक की सैंट ऐस्टेवम शाखा का वर्तमान एजेंट भी शामिल है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419,420,467,471 के साथ पठित धारा 120–ख और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 23 के साथ पाठित धारा 4 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जायगा ।

'फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया' को हुआ घाटा

*137. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर आफ इंडिया को गत 5 वर्षों से घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों में 'कारपोरेशन' को वर्ष वार कितना घाटा हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार 'कारपोरेशन' को हुये घाटे के कारणों की जांच करने के लिये कोई जांच आयोग नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं। भारतीय उर्वरक निगम को केवल वर्ष 1966-67 में हानि हुई थी। तब से (अर्थात् 1967-68 से) निगम को लाभ हो रहा है।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठता।

वोल्गा रेस्तरां, नई दिल्ली द्वारा आय-कर की अदायगी

*138. **डा० सरदीश राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वोल्गा रेस्तरां, नई दिल्ली और उनके "ग्रुप" पर आय-कर की अदायगी न करने के लिये मुकदमा चलाने के बजाय उनका पक्ष लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

नायक जयपाल सिंह की गिरफ्तारी

*139. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1971 में आसाम के उत्तरी कछार पहाड़ियों में बन्दरपुर-लुमडिंग सेक्सन के बन्दरखल रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा आसाम क्षेत्र में सेना की यूनिट का एक नायक गिरफ्तार किया गया था जिसके पास 36,62,072 रुपये की भारतीय मुद्रा थी ; और

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, तथापि जो धन राशि इसमें अन्तर्ग्रस्त है वह 3,662.72 रुपये है और 36,62,072 रुपये नहीं है।

(ख) नाइक का समरी कोर्ट मार्शल किया गया है तथा एक वर्ष का कठिन कारावास सिविल जेल में तथा नौकरी से बरखास्त कर दिया गया है।

Refusal by Foreign Oil Companies to increase the Production capacity

*140. **Shri R. V. Bade :**
Shri M. R. Gopal Reddy :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether certain foreign oil companies have expressed their inability to increase their production capacity even after Government's request in this regard ; and

(b) if so, the names of those foreign oil companies and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The response of Esso and Caltex companies to temporarily increase the operating level of their refineries in August 1971 on an immediate basis was not prompt enough, though there was no refusal as such. All the three companies were able to process additional crude in September.

रूसी विशेषज्ञों की सहायता से एक स्वतंत्र विमान डिजाइन ब्यूरो की स्थापना

*141. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विमान विशेषज्ञों का एक दल एक स्वतंत्र विमान डिजाइन ब्यूरो की स्थापना के बारे में अपनी रिपोर्ट देने के लिये भारत आया था ;

(ख) क्या इस दल ने इस परियोजना के लिये तकनीशनों और इंजीनियरों को तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये सुविधाओं का मूल्यांकन करने हेतु कुछ शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं तथा कारखानों का दौरा किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सोवियत वायुयान विशेषज्ञों का एक दल आजकल भारत आया हुआ है जो कि एक डिजाइन ब्यूरो की स्थापना की सम्भावनाओं की जांच कर रहा है ।

(ख) और (ग) . जी हां । इस दल ने कुछ शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों का दौरा किया और अधिक सूचना देना लोकहित में नहीं होगा ।

पश्चिमी देशों के सहायता संघ से अधिक सहायता की मांग

*142. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों की सहायता के लिये भारत को मजबूर होकर जो अपने संसाधनों को उन पर लगाना पड़ा उसकी क्षतिपूर्ति के लिये भारत ने 15 सदस्यीय पश्चिमी देशों के सहायता संघ से और अधिक सहायता देने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित 15 सदस्यीय पश्चिम देशों के सहायता संघ से कोई सहायता प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) नई दिल्ली में विश्व बैंक के स्थानीय मिशन ने, भारत के आर्थिक विकास में अपनी रुचि के अनुरूप, हाल में, पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के बढ़ते हुये भार और भारत की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो 26 अक्टूबर को पेरिस में बुलाई गयी भारत सहायता संघ की विशेष बैठक का विचाराधीन विषय-पत्र था। भारत सरकार के प्रतिनिधि ने भी इस बैठक में भाग लिया था। सहायता संघ ने 1971-72 के वित्तीय वर्ष में शरणार्थियों के सहायता कार्य पर 70 करोड़ डालर (525 करोड़ रुपये) के व्यय का अनुमान लगाया और शरणार्थियों की सहायता के कारण पड़ने वाले भार को दूर करने के लिये विशेष सहायता देने की आवश्यकता को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। सहायता संघ की बैठक के अन्त में जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–1052/71]**

(ख) शरणार्थियों की सहायता के लिये अब तक मिली सहायता का एक बड़ा भाग (अब तक लगभग 133 करोड़ रुपये की सहायता के वचन प्राप्त हो चुके हैं)–भारत सहायता संघ के देशों से प्राप्त हुआ है। आशा है इन देशों से अतिरिक्त सहायता जल्दी ही प्राप्त हो जायगी।

आधुनिकतम और उन्नत लड़ाकू विमान बनाने के लिये अनुसंधान

*143. **श्री एम० कल्याणासुन्दरम्** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स ऐसे आधुनिकतम और उन्नत लड़ाकू विमान बनाने के लिये अनुसंधान कर रहा है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा 1980 से किया जा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड उन्नत लड़ाकू विमानों की डिजाइन के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहा है।

(ख) अनुसंधान अभी भी जारी है।

केरल में नेल्लियामपथी स्थान पर एक पर्यटन केन्द्र खोलने की योजना

*144. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेल्लियामपथी, जिला पालघाट, केरल में सरकार की योजना एक पर्यटन केन्द्र खोलने की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक कोई निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

छोटे सिक्कों की कमी

*145. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे सिक्कों की उपलब्धता में कोई सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में छोटे सिक्कों की उपलब्धि में काफी सुधार हुआ है ।

(ख) स्थिति में और भी सुधार हो जायगा अगर (क) छोटे सिक्कों का गलाया जाना और गलाने के प्रयोजन से ऐसे सिक्कों को जमाखोरी करना कानून की दृष्टि से अपराध घोषित कर दिये जाने तथा (ख) 10 पैसे, 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्कों के उत्पादन की गति को तेज करने के उद्देश्य से इन सिक्कों के बनाने के काम आने वाली मिश्रित धातुओं में परिवर्तन कर दिये जाने के परिणामस्वरूप स्थिति और सुधर जायगी ।

परिशोधित उत्पादों के जमा हो जाने के परिणामस्वरूप गोहाटी तेल शोधक कारखाने का बन्द किया जाना

*146. **श्री रेणुपद दास** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वेगनों के आने जाने में अव्यवस्था के कारण गोहाटी तेल शोधक कारखाने में परिशोधित उत्पाद जमा हो जाने से तेल शोधक कारखाने के बन्द होने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) कारखाने के लिए रेल वेगनों की सप्लाई को नियमित करने को लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन प्रचार में सुधार करने के लिये कार्यवाही

*147. **श्री हरी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय भारत के बारे में तथा यहां पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विदेशी पर्यटकों को समुचित रूप से परिचित कराने में असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटन प्रचार में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को भारत आने के लिये आकर्षित करने के लिये विश्व की सभी प्रमुख पर्यटक मार्केटों में तीव्र प्रचार अभियान प्रारम्भ कर दिये हैं। एयर इण्डिया के सहयोग से इंगलैंड, यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका से विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिये आकर्षित करने के लिए प्रचार अभियान और तीव्र कर दिये गये हैं। विदेशों में किये गये हमारे प्रचार की सफलता 1969 तथा 1970 में आने वाले पर्यटकों की दर्ज की गई क्रमशः 30 % तथा 15% वृद्धि से प्रदर्शित होती है।

(ख) इस दिशा में निरंतर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बैंक ऋणों के लिए ब्याज की विभेदक दरें

*148. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही क्षेत्र के लोगों के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज की विभेदक दरों के प्रश्न की जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया था ; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). डिप्टी गवर्नर डा० आर० के० हजारी की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

कानपुर हवाई-अड्डे पर निर्माण कार्य

*149. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई आश्वासनों के बावजूद भी कानपुर हवाई-अड्डे पर निर्माण का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ;

(ख) क्या कानपुर हवाई-अड्डे पर यात्रियों के ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो हवाई अड्डे के भवन का निर्माण आरम्भ करने में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एक सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भूमि के एक उपयुक्त प्लाट के रक्षा मंत्रालय से नागर विमानन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। निर्माण कार्य को चालू योजना की अवधि के दौरान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

*150. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर में नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें अतिरिक्त संसाधनों आदि को बढ़ाने में राज्यों को सक्षम बनाने सम्बन्धी उपायों पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये थे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). 12 अक्टूबर, 1971 को राज्यपालों/राज्यों के मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें राज्य सरकारों के बजटों के घाटों और पूर्वी-बंगाल से आये शरणार्थियों के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे बोझ के सन्दर्भ में, राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाये जाने से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था। विचार विमर्श के परिणामस्वरूप निम्नलिखित मुद्दों पर सामान्य सहमति व्यक्त की गयी :

(1) राज्यों की सरकारें, नये उपायों द्वारा और गैर-जरूरी तथा प्राथमिकता प्राप्त मदों से भिन्न मदों के खर्च में और कमी करके, अपने आयोजनागत और आयोजना-भिन्न दायित्वों की पूर्ति के हेतु साधन जुटाने के लिए अपने प्रयत्नों में वृद्धि करेंगी।

(2) कृषि-क्षेत्र के अधिक सम्पन्न वर्ग से पर्याप्त साधन जुटाने की आवश्यकता स्वीकार की गयी। यह निश्चय किया गया कि एक समिति कृषि से प्राप्त होने वाली आय पर कर लगाने की समस्याओं का अध्ययन करे।

(3) राज्यों ने यह स्वीकार किया कि पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की सहायता के खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार की सहायता करने के लिए व्यापक रूप से परिचालित होने वाले कुछ साधनों पर अतिरिक्त कर/अधिभार शुल्क लगाया जाये।

अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि इन उपायों से कितनी प्राप्ति होगी।

सिक्कों की ढलाई

794. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्कों की ढलाई सीमित रखी गई थी जिसके परिणामस्वरूप अलीपुर, बम्बई और हैदराबाद की टक्सालों में लाखों मानव-घंटों की हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या इन टक्सालों में सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गणेश) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि अलीपुर, बम्बई और हैदराबाद स्थित भारत सरकार की टक्सालों में सिक्कों की ढलाई कम किये जाने के परिणामस्वरूप लाखों मानव-घण्टों की हानि हुई है। लेकिन, चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1968-69 और 1969-70 के वर्षों के लिये सिक्कों की मांग में कमी कर दी गई थी इसलिये पहले जो 60 घण्टे प्रति सप्ताह काम किया जाता था, उसकी बजाय नवम्बर 1968 से 48 घण्टे प्रति सप्ताह किया जाने लगा। इसलिये 1969-70 के वर्ष में पहले के वर्षों की तुलना में सिक्कों का कम उत्पादन हुआ परन्तु टक्सालों में फालतू क्षमता का उपयोग, कुछ हद तक, विदेशी सरकारों के लिये सिक्कों तथा अमुद्रित सिक्कों (क्वाइन ब्लैंक) का उत्पादन करने के लिये किया गया था।

(ग) और (घ). टक्सालों में सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार पहले ही कई कदम उठा चुकी है। अक्तूबर/नवम्बर, 1970 से अलीपुर और हैदराबाद की टक्सालों में 60 घण्टे प्रति सप्ताह के हिसाब से काम शुरू हो गया है। बम्बई की टक्साल में जुलाई 1970 से प्रति सप्ताह 54-54 घण्टे की दो पारियों में काम शुरू हो गया है और क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये सिक्कों के उत्पादन में लगे श्रमिकों की संख्या, पहले जनवरी, 1971 में तथा उसके बाद मई, 1971 में बढ़ा दी गई है। उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से अलीपुर टक्साल में, पहले चरण में कलकत्ता स्थित चांदी शोधनशाला से लगभग 175 श्रमिक लेकर वहां के श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की गई। हैदराबाद टक्साल में भी श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस समय, तीनों टक्सालों में प्रतिदिन कुल मिलाकर 50 लाख सिक्कों का उत्पादन हो रहा है और ज्यों ही सिक्कों के काम आने वाली मिश्र-धातु में किये गये परिवर्तन सम्बन्धी सरकार के फैसले को व्यावहारिक रूप दिया जायेगा त्यों ही सिक्कों की संख्या में और वृद्धि हो जायेगी।

आयकर के एक लाख रुपयों से अधिक की बकाया राशि वाले व्यक्ति एवं कम्पनियां

795. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने व्यक्ति और कम्पनियां हैं जिनकी ओर एक लाख से अधिक रुपये आयकर के रूप में बकाया हैं ; और

(ख) इस बकाया राशि को एकत्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 31 मार्च, 1971 की स्थिति के अनुसार जिन कर निर्धारितियों की तरफ आयकर की 1 लाख रुपये से अधिक रकम बकाया थी, उनकी कुल संख्या 6,052 है।

(ख) उक्त 6,052 मामलों में अन्तर्ग्रस्त आयकर की बकाया रकम को वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र करने में बहुत अधिक समय लगेगा।

तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले (मामलों) के सम्बन्ध में सूचना चाहते हों तो वह उपलब्ध करायी जायेगी ।

आयकर की बकाया की शीघ्र वसूली के लिये सरकार द्वारा पहले से ही किये गये उपायों का विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है । सरकार ने करों की बकाया की वसूली के लिये निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये हैं :—

(i) वसूली का कार्य जो अभी तक राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, आयकर विभाग द्वारा स्वयं अपने हाथ में ले लेना । विभागीय अधिकारियों ने आयकर आयुक्तों के सभी अधिकार क्षेत्रों में वसूली का कार्य पूर्णत: अथवा अंशत: अपने हाथों में ले लिया है ।

(ii) कर्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना, जिसके अधीन करों की वसूली का कार्य रेंज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशिष्ट कर्तव्य बना दिया गया है, 1966 में लागू की गई थी और पिछले वर्ष इस योजना का और आगे विस्तार कर दिया गया है ।

(iii) बकाया सम्बन्धी मांगों की वसूली का कार्य निपटाने के लिये सरकार पिछले वर्ष आय-कर अधिकारियों (वसूली) के 60 पद मंजूर किये गये ।

(iv) विभाग द्वारा रेखित चैकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निश्चित आयकर कार्यालयों में अदायगी के लिये विशेष प्राप्ति काउंटरों का खोला जाना ।

(v) ऐसे निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है ।

(vi) पूरे देश से बकाया बेबाकी पखवाड़े मनाये जा रहे हैं । इस अवधि में, अनिर्णीत समायोजनों/मूल सुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों की तरफ बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है ।

(vii) कलकत्ता, केरल, दिल्ली, नागपुर तथा हैदराबाद में हाल ही में कर-वसूली आयुक्त तैनात किये गये हैं । कर वसूली अधिकारियों पर प्रशासनिक अधिकार रखने के अतिरिक्त, उन्हें 1 जनवरी, 1972 से विभागीय कर वसूली अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दायर की गई अपीलों की सुनवाई का अपीलीय अधिकार भी प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त कुछ अपर आयकर-आयुक्तों को अनन्य रूप से वसूली कार्य सौंपा हुआ है ।

मैसर्स मोरीकर मोटर्स त्रिवेंद्रम से बकाया आयकर की वसूली

796. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मोरीकर मोटर्स त्रिवेन्द्रम की ओर आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उन्हें क्या-क्या छूट दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स मोरीकर मोटर्स, त्रिवेंद्रम की ओर वसूली के लिए आय-कर की कोई बकाया नहीं है। इसलिये आयकर की बकाया को वसूल करने के लिये कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) उन्हें कोई रियायतें मंजूर नहीं की गई हैं।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास-कार्य

797. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जोरदार रोजगार कार्यक्रमों तथा लघु पैमाने की जल-विकास योजनाओं को इस राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देने वाले पुनर्वास कार्यों के साथ समन्वित कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जी हां। राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि सड़कों तथा तटबन्धों आदि के मरम्मत सम्बन्धी व्यापक कार्यों तथा ग्रामीण रोजगार के जोरदार कार्यक्रम और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।

बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिये राहत तथा उनके पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

798. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही की बाढ़ के कारण उत्पन्न राहत तथा पुनर्वास सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिये केन्द्र सरकार से 71 करोड़ रुपये के मूल्य का अनुदान तथा ऋण देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य को केवल लगभग 31 करोड़ रुपये के मूल्य का ही अनुदान और ऋण देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस राज्य में राहत तथा पुनर्वास सम्बन्धी विभिन्न उद्देश्यों के लिये दिये ऋणों तथा अनुदान का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने, 1971-72 और 1972-73 के दो वर्षों की अवधि के लिये, विभिन्न राहत, पुनर्वास और मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक रकमों का अनुमान, 74.95 करोड़ रुपया लगाया था। जिस केन्द्रीय अधिकारी दल ने आवश्यक रकमों का अनुमान लगाने के लिये सितम्बर 1971 में उक्त राज्य का दौरा किया था, उसने राज्य सरकार के साथ विस्तार पूर्वक बातचीत करने के बाद, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिये, व्यय की अधिकतम राशि, 31.51 करोड़ रुपया निर्धारित की थी। राज्य सरकार के लिये अब तक 5 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है, जिसमें 2 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो कृषि मंत्रालय ने खेती के काम आने वाली वस्तुओं के लिये दी थी। राज्य सरकार को अनुदान और ऋण के रूप में आगे और सहायता, व्यय की प्रगति के आधार पर दी जायेगी, जिसके बारे में राज्य सरकार से सूचना मांगी गयी है।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

799. **श्री अम्बेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक सरकारी उपक्रम में प्रत्येक ग्रेड में कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग क्या है ; और

(ख) प्रत्येक सरकारी उपक्रम में प्रत्येक ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें पहली जनवरी 1971 की स्थिति के अनुसार 84 उपक्रमों के कर्मचारियों की कुल संख्या और उसके अनुपात में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता का श्रेणी-वार ब्यौरा दिया गया है । शेष उपक्रमों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1053/71**]

सैनिक इंजीनियरी सेवा के सिविल तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करना

800. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक इंजीनियरी सेवा के सभी सिविल तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की वरिष्ठता अब अखिल भारतीय आधार पर नियत की जाती है जबकि पहले यह कमांडानुसार की जाती थी ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ऐसा किया जा रहा है ;

(ग) क्या सैनिक इंजीनियरी सेवा के सिविल कर्मचारियों के अन्त: कमान्ड स्थानान्तरण को अभी भी अनुमति नहीं दी जाती है और सेना कमांडों के मुख्य इंजीनियरों द्वारा इस बारे में आवेदन पत्र भी मुख्य इंजीनियर शाखा, नई दिल्ली को प्रेषित नहीं किये जाते हैं, जिससे कि सैनिक इंजीनियरी सेवा के सिविल कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयां होती हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है और इस सम्बन्ध में उदारता बरतने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जी नहीं । केवल कुछ वर्गों के तकनीकी तथा गैर तकनीकी क्लास-III कर्मचारी जैसे सुपरिंटेंडेंट्स ग्रेड-I इंचार्ज सब डिवीजन तथा आफिस सुपरिंटेंडेंट को अखिल भारतीय नामावली में वरिष्ठता के लिये 9 मार्च 1970 से लाया गया है ।

(ग) से (ङ). जहां तक सम्भव है, क्लास III तथा क्लास चार कर्मचारियों को जो कमांड नामावली पर होते हैं, सामान्यतया कमांड में स्थानान्तरित किया जाता है तथा अन्तर कमांड स्थानान्तरण केवल प्रशासनिक या करुणाजन्य आधार पर केवल किये जाते हैं । पारस्परिक अन्तर कमांड स्थानान्तरणों के आवेदनों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है । कनिष्ठ वर्गों के स्थानान्तरणों को कमांड में ही सीमित रखना कर्मचारियों के अपने ही हित में है ।

सेना के डाक्टरों की पदोन्नति के बारे में राजपत्र अधिसूचनाएं जारी करने में देरी

801. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के अनेक डाक्टरों को, जिनकी समय समय पर पदोन्नति होती है, पदोन्नति की तारीख से लगातार वर्षों तक ऊंचे पदों के वेतन से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि सेना मुख्यालय में सशस्त्र सेना चिकित्सा निदेशालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि सेना के पदोन्नत डाक्टरों की पदोन्नति की अधिसूचनाएं राजपत्र में भेजने में वर्षों लग जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार ऐसे कितने डाक्टर सेना में रहे, जिन्हें राजपत्र अधिसूचनाओं के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ी ; और

(ग) सरकार द्वारा इन विषयों के बारे में सशस्त्र सेना चिकित्सा निदेशालय और सेनामुख्यालय की कार्य प्रक्रिया को दोष रहित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे कि पद तथा वेतन में वृद्धि की अधिसूचना अधिक से अधिक छह महीनों में राजपत्र में प्रकाशित की जा सके ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। सेना चिकित्सा कोर के अफसरों की पदोन्नति सम्बन्धी राजपत्र अधिसूचनाओं के प्रकाशन में अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है। तथापि अभी भी कुछ कैप्टनों के सम्बन्ध में राजपत्र अधिसूचनाएं प्रकाशित होनी हैं जो कि 1970 तथा 1971 में छै वर्ष गणना योग्य सेवा पूरी करने पर मेजर के रेंक पर पदोन्नति के पात्र बने हैं तथा जिन्होंने आर्म्ड फोर्सिज मेडीकल कालेज, पूना, में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पाठ्यक्रम दिसम्बर 1965 में घोषित किये गये परिशोधित पदोन्नति नियमों के अधीन उत्तीर्ण किया है। यह सेना मुख्यालय के द्वारा अपनाई गई धीमी प्रक्रिया के कारण नहीं है किन्तु लेखा परीक्षा प्राधिकारियों के द्वारा पदोन्नति नियमों के अर्थनिर्णय में अन्तर के कारण है।

(ख) 1969		कोई नहीं
1970	—	41
1971	—	69

(ग) मामले को सक्रिय रूप से लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से उठाया जा रहा है।

श्री डोम मोरिस द्वारा प्रस्तुत किये गये गोआ सम्बन्धी पर्यटन साहित्य का प्रकाशन

802. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री डोम मोरिस द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम को प्रस्तुत किये गये गोआ सम्बन्धी पर्यटन साहित्य का अध्ययन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह साहित्य मुद्रित एवं प्रकाशित हो गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। मेसर्स एड्वर्टाइजिंग एण्ड सेल्स प्रोमोशन कम्पनी, नई दिल्ली को भारत पर्यटन विकास निगम ने गोआ फोल्डर का डिजाइन

व कापी तैयार करने का काम सौंपा था। श्री डोम मोरिस द्वारा तैयार किया गया टैक्स्ट (पाठ) जांच व कतिपय संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया गया।

(ख) साहित्य छपाया जा रहा है और उसके मार्च, 1972 तक तैयार हो जाने की आशा है।

सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को बोनस का भुगतान

803. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय ने सरकारी उपक्रमों के 1600 रुपये या इससे अधिक वेतन लेने वाले अधिकारियों को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी करने के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रम ब्यूरो के पत्र संख्या बी० पी० ई० / 1 (5) ए० डी० वी० (एफ० आई० एन०) / 67 दिनांक 23 जून, 1970 पर पहिले ही अपना अभिमत व्यक्त कर दिया है ;

(ख) क्या ये अनुदेश "बोनस अधिनियम" के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों से वह फालतू राशि वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है जो उन्होंने पिछले 2 वर्षों में 2040 रुपये से अधिक प्रति वर्ष प्राप्त की थी और जिसे पाने के वे हकदार नहीं थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उक्त आदेशों को विधि मंत्रालय के पास अभिमत के लिये नहीं भेजा गया था क्योंकि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, इस मामले में श्रम और रोजगार विभाग, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सम्बन्धित विभागों से परामर्श किया गया था क्योंकि इस मामले से इन्हीं मंत्रालयों/विभागों का सम्बन्ध था।

(ख) जी, हां; क्योंकि यह अनुग्रहपूर्वक अदायगी है, बोनस नहीं।

(ग) क्योंकि अदायगी सरकारी अनुदेशों के अनुसार की गई है, इसलिये किसी राशि को वसूल करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संयुक्त राष्ट्र विकास निधि के साथ सहयोग की सात वर्षीय योजना

804. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास निधि के बीच प्रस्तावित सहयोग की 7 वर्षीय योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ग) . संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद ने, विकाशसील देशों की सहायता के लिये पहली जनवरी, 1972 से "देशगत-कार्यक्रम" (कंट्री प्रोग्राम) की नई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है जो अब तक अपनायी जा रही प्रायोजनावार सहायता से भिन्न है। इस नई व्यवस्था के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के निदेशक आयोजन आंकड़ों (इंडीकेटिव प्लानिंग फिगर) को ध्यान में रखते हुए, सहायता पाने वाले देश के विकास

सम्बन्धी लक्ष्यों के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास के काम आने वाली वस्तुओं के उपयोग के विषय में पहले से पता लगाया जाता है ।

भारत से लिये 1972-1976 तक की 5 वर्षों की अवधि में 5 करोड़ डालर की रकम निर्धारित की गयी है । किन्तु पहली अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1979 (पांचवीं आयोजना के अन्त) तक की 7 वर्ष की अवधि के लिये एक "देशगत कार्यक्रम" तैयार किया जा रहा है ताकि वह कार्यक्रम हमारी आयोजना-अवधि के साथ-साथ चले अन्यथा 5 वर्ष की अवधि पांचवीं आयोजना के मध्य तक ही रह जायगी । अतिरिक्त अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से अतिरिक्त सहायता की प्राप्ति की रकम मान ली गयी है ।

"देशगत-कार्यक्रम" के मसौदे का प्रलेख अभी तैयार किया जा रहा है । आशा है कि विकास सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों की बहुत सी प्रायोजनाएं इसमें शामिल कर ली जायेंगी । यह कार्यक्रम भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों और योजना आयोग के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

"देशगत कार्यक्रम" का उद्देश्य हमारी अर्थ-व्यवस्था की प्रौद्योगिकी तथा जनशक्ति सम्बन्धी महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने में सहायता पहुंचाना और विकास की गति को तेज करना है ।

पेट्रोल स्टेशनों के माध्यम से उर्वरक का वितरण

805. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये इंडियन आयल कारपोरेशन ने भारत के उर्वरक निगम के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पेट्रोल स्टेशनों के माध्यम से उर्वरक के वितरण का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसकी क्रियान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) . भारतीय तेल निगम प्रधानत: ग्रामीण क्षेत्रों में अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों को उन किसानों को उर्वरक वितरण करने के लिये प्रोत्साहन दे रहा है जो अपनी ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये फुटकर बिक्री केन्द्रों पर आते हैं । इस परियोजना के अन्तर्गत, डीलरों को उर्वरक की सप्लाई सम्बन्धित कारखानों द्वारा की जाती है और डीलर बाद में इसे किसानों को बेचते हैं ।

Central Assistance for Drought Affected Areas of Andhra Pradesh

806. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether the Andhra Pradesh Government have requested for the Central assistance due to the drought conditions in the State ;

(b) whether the sum asked for is the minimum and more amount is required to meet the situation; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) Pending a visit by Central team of officers to assess the requirements of funds for purposes of Central assistance, the Government of Andhra Pradesh had asked for an **ad-hoc** assistance of Rs. 10 crores in August, 1971. Since Central assistance is normally given on the basis of progress of expenditure by way of reimbursement, a sum of Rs. 2 crores was sanctioned to cover the expenditure incurred untill then.

The Central team has since visited the State and has recommended a ceiling of expenditure of Rs. 18.50 crores on various relief measures in drought affected areas. These have been accepted and communicated to the State Government. The progress of actual expenditure as against these ceilings has been called for from the State Government for cosidering further release of funds.

तमिलनाडु जल प्रदाय और जल निकास बोर्ड द्वारा विश्व बैंक से सहायता का मांगा जाना

807. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु जल प्रदाय और जल निकास बोर्ड ने ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके लिये उससे कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वजीर सुल्तान टुबैको कम्पनी

808. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वजीर सुल्तान टुबैको कम्पनी में अधिकांशतः विदेशी शेयर साम्य हैं और इस कम्पनी के कुछ विदेशी शेयर धारक इंडियन टुबैको कम्पनी के भी शेयर धारक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों का भारतीयकरण किये जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). मैसर्स वजीर सुल्तान टुबैको कम्पनी लिमिटेड की सामान्य शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपये है । इसमें से ब्रिटेन की निम्नलिखित चार कम्पनियों के पास 65.6 प्रतिशत शेयर हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) रेले इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड ... (44.2 प्रतिशत)

(ii) टुबैको इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड ... (15.6 प्रतिशत)

(iii) टुबैको इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (5.0 प्रतिशत)

(iv) कैरियर्स लिमिटेड ... (0.8 प्रतिशत)

कलकत्ता-स्थित इंडिया टुबैको कम्पनी लिमिटेड की सामान्य शेयर पूंजी में उपर्युक्त (ii), (iii) और (iv) कम्पनियों की शेयर पूंजी क्रमशः 54.5 प्रतिशत, 17.4 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत अर्थात् कुल 74.7 प्रतिशत है ।

सरकार की नीति यह है कि उन कम्पनियों में, जिनके अधिकतर शेयर विदेशियों के पास हैं, जब कभी भी विस्तार तथा उत्पादन में विविधता लाने आदि के प्रयोजन से अतिरिक्त निवेश का अवसर आता है, विदेशियों द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में उत्तरोत्तर कमी की जाय ताकि पूंजी के विदेश में भेजे जाने के परिणामस्वरूप पूंजी का उपनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट) न हो। लेकिन उन कम्पनियों के मामले में, जिनमें पूंजी का उपनिवेश किये बिना, विदेशियों द्वारा धारित शेयरों के अनुपात को कम करने के ऐसे अवसर न मिलें तो उस हालत में, उन कम्पनियों द्वारा सरकार से मांगी गयी अन्य अनुमतियों के सम्बन्ध में एक शर्त के रूप में, चयनात्मक आधार पर, विदेशी शेयर-धारिता को कम करने पर जोर दिया जाता है चाहे इसके परिणामस्वरूप विदेशों को कुछ पूंजी भी क्यों न भेजनी पड़े बशर्ते कि ऐसा किया जाना राष्ट्र-हित में हो।

बाढ़ग्रस्त राज्यों को दी गई सहायता

809. **डा० रानेन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में भारी वर्षा तथा बाढ़ से पीड़ित विभिन्न राज्यों को कुल कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : 1971-72 में, विभिन्न राज्य सरकारों को बाढ़ और तूफान राहत कार्यों के लिए अब तक निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गयी है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	वित्त मंत्रालय द्वारा राहत कार्यों के लिये दी गयी सहायता	कृषि मन्त्रालय द्वारा कृषि उपयोगी वस्तुओं के लिये दिये गये अल्पावधिक ऋण	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)
बिहार	500.00	725.00	1225.00
केरल	30.00	2.18	32.18
उड़ीसा	300.00	300.00	600.00
उत्तर प्रदेश	300.00	1500.00	1800.00
पश्चिम बंगाल	300.00	200.00	500.00

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए मैसूर को सहायता

810. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में सूखे की स्थिति से उत्पन्न संकट पर काबू पाने के लिए मैसूर राज्य को अब तक कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ख) फसलों को कुल कितनी हानि हुई और सरकार ने अब तक क्या सहायता कार्य हाथ में लिये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय अधिकारियों का जो दल मैसूर गया था, उसकी सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ विभिन्न सहायता सम्बन्धी उपायों के लिए 5.49 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है और राज्य सरकार को सूचना भेज दी गयी है। राज्य सरकार को राहत-कार्यों के सम्बन्ध में तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 करोड़ रुपये के अग्रिम की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और अधिक सहायता पर, स्वीकृत अधिकतम व्यय-सीमा के मुकाबले किये गये व्यय की प्रगति के आधार पर विचार किया जायगा, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा भेजी जानी है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय दल को दी गयी सूचना के अनुसार, खरीफ की फसल की हानि की प्रतिशतता 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है।

राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिए गये राहत-कार्यों में ये कार्य शामिल है : ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम को बढ़ाना, जो ताल्लुक ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनमें नये सहायता कार्य चलाना, सिंचाई के लिए नये कुएं तैयार करना, जनता के कमजोर वर्गों का आपातकालीन भरण-पोषण करना तथा बीज और उर्वरकों के लिए कृषकों को ऋण देना आदि।

Production of Phenyl Ethyl Alcohol

811. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the annual consumption of Phenyl and Ethyl Alcohol in the country is about 120 tons and the entire requirement thereof used to be imported upto August, 1970 ;

(b) whether a plant at Mittagalli (Mysore) with a production capacity of 150 tons has started producing F. E. A. from August, 1970 ; and

(c) the steps being taken to do away with the imports of F. E. A. and to increase indigenous production thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Import regulations in respect of this item have been changed in view of indigenous production.

सोडा ऐश तथा ग्लास निर्माताओं की बैठक

812. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा ऐश के वितरण की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए गत वर्ष बम्बई में सोडा ऐश और ग्लास निर्माताओं तथा सरकारी अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले तथा भाग न लेने वाले सोडा ऐश निर्माताओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बैठक में भाग न लेने वाली फर्मों का उनके असहयोग के लिए ध्यान रखा है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) ग्लास फैक्टरियों को सोडा ऐश की सप्लाई के बारे में यदि कोई कमी अथवा वृद्धि हुई है तो उसके बारे में उक्त बैठक में क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) देश में कांच (ग्लास) का निर्माण करने वाले एककों को सोडा-क्षार की सप्लाई को समस्या पर चर्चा करने के लिए, 25 नवम्बर, 1970 को कांच (ग्लास) उद्योग के प्रतिनिधियों तथा अल्कली निर्माताओं के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई थी। निमत्रंण प्राप्त होने पर सरकार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था ।

(ख) अखिल भारत कांच (ग्लास) निर्माताओं के संघ द्वारा जारी किये गये बैठक के कार्यवृत में सोडा-क्षार के उन निर्माताओं के, जिन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया था, नामों का उल्लेख नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कमी को पूरा करने के लिए सोडा-क्षार की और मात्राओं के आयात के बारे में, बैठक में एक सुझाव दिया गया था । राज्य व्यापार निगम 10,000 मीटरी टन सोडा-क्षार का पहले ही आयात कर चुका है । भारी सोडा-क्षार के 5000 मीटरी टन के पहले प्रेषण में से 2000 मीटरी टन, तकनीकी विकास के महा-निदेशालय की सूची में उल्लिखित ग्लास-निर्माताओं को बेचा जा चुका है । शेष 3000 मीटरी टन, लघु उद्योगों के विकास आयुक्त के नियंत्रणाधीन लघु प्रयोगकर्ताओं को बेचा गया है। 5000 मीटरी टन के द्वितीय प्रेषण के वितरण पर विचार हो रहा है ।

Delay in Production in Madras Fertilizers Limited

813. **Shri G. P. Yadav :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the cost estimate of Madras Fertilizers Limited was rupees 65 crores and the production was to start in the year 1969;

(b) the reasons for not starting the production in time ;

(c) whether a loss to the tune of about rupees 20 crores is expected on account of the said delay; and

(d) whether Government propose to take any action against the persons responsible for this delay ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) The cost of this project as estimated in 1967 when the plant construction work was taken up, was Rs. 55 crores and the plant was expected to go into regular production by the middle of 1970. The cost of the project was revised to about Rs. 65 crores in August, 1970.

(b) Production could not start as scheduled in view mainly of (i) delay in equipment deliveries and (ii) strike of the contractors' workers and other labour problems.

(c) No, Sir. As mentioned above, there has been an increase in the project cost of about Rs. 10 crores since 1967 and this increase is due to factors like escalation of prices of materials and services, the change in the source of supply of certain equipment and expenses arising from the payment of interest charges, etc.

(d) As will be seen from the above, the delay is not attributable to any particular person or party and the question of taking any action does not, therefore, arise.

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर में तालाबन्दी

814. **श्री वी० एन० रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बम्बई में 21 सितम्बर, 1971 से तालाबन्दी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तालाबन्दी समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 21 सितम्बर, 1971 से तालाबन्दी घोषित करनी पड़ी थी क्योंकि हड़ताली कर्मचारियों के द्वारा आन्दोलन कार्यवाहियों जैसे "धरना" पिकेटिंग, प्रदर्शन, निष्ठावान कर्मचारियों को धमकियां, तथा संयंत्र तथा मशीनरी की दस्तंदाजी जिससे कार्मिकों तथा कम्पनी सम्पति की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था । कर्मचारियों के द्वारा आन्दोलन उन्हें बोनस अधिनियम के अन्तर्गत दरों से काफी अधिक ऊंची दर पर बोनस देने की मांग के अनुसरण में प्रारम्भ किया गया था । प्रबन्धकों ने दूसरी ओर उन्हें जितना कानूनन ग्राह्य था, उससे भी काफी बड़ी मात्रा में देने की पेशकश की थी । बाद में कर्मचारियों के संघ ने अपने अनुचित आन्दोलन को तथा गैर-कानूनी कार्यवाहियों को अपनी कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में अनुचित आन्दोलन को समाप्त करने पर सहमत हो गंए । उन्होंने प्रबन्धकों के द्वारा पहले पेशकश की गई शर्तों को मंजूर कर लिया । अतः तालाबन्दी 2 अक्तूबर, 1971 को उठा लिया गया । बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में समझौता कर्मचारियों के संघ से हो गया है ।

सरकारी उपक्रमों की परिचालन दक्षता के सम्बन्ध में समिति

815. **श्री वीरेन्द्र सिंह रावत :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री जे० वी० पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों की परिचालन दक्षता सुधारने तथा सरकारी उपक्रमों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) उक्त समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्यों का संकेत किस समिति की ओर है । सरकार, उपक्रमों की कार्यकुशलता और लाभ-दायिता में सुधार करने की दृष्टि से सरकारी उद्यमों के कार्य की समीक्षा बराबर करती रहती है । विभिन्न सरकारी उपक्रमों के क्रियाकलाप के विशिष्ट पहलुओं का अवलोकन करने के लिए, जब-जब आवश्यकता होती है, समितियां भी स्थापित की जाती हैं । इस समय, चुने हुए उद्यमों के कार्य की

अच्छी तरह से समीक्षा करने और उचित सिफारिशें करने के लिए उच्च-स्तरीय सलाहकार परिचालन-दल की स्थापना करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इस दल की संरचना और इसके विचारणीय विषयों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

केरल में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

816. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसका पता है कि केरल विधान सभा ने केरल में पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना के बारे में एक संकल्प पास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). केरल में पेट्रो-रसायन समूह पर केरल राज्य की विधान सभा द्वारा पास किये गये किसी संकल्प के बारे में केरल सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

नाईलन टैक्सटाइल फिलेमैन्ट यार्न एककों की स्थापना करने हेतु आवेदन पत्र

817. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाईलान टैक्सटाइल फिलेमैन्ट यार्न एककों की स्थापना करने के लिए सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) किन पार्टियों द्वारा आवेदन-पत्र दिये गये हैं और ऐसे एककों की स्थापना किन-किन राज्यों में की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मन्त्रालय में लंबित आवेदन पत्रों की संख्या 130 है।

(ख) एक विवरण पत्र, जिसमें आवेदकों के नाम तथा उनके द्वारा प्रस्तावित कारखानों के स्थान दिये गये हैं, सभा-पटल पर रखा गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1054/71**]

एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को सौंपे गये मामले

818. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अधीन एकाधिकार आयोग को कितने मामले सौंपे गये हैं ;

(ख) क्या एक ही समूह की कम्पनियों के मध्य "पारस्परिक सम्बन्ध" के बारे में अधिनियम स्पष्ट नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 के अन्तर्गत अब तक, 23 प्रार्थना-पत्र एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को संदर्भित किये गये हैं ।

(ख) और (ग). सरकार प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के उन्मूलन की दृष्टि से, इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से शब्द "अन्त: सम्बन्धित उपक्रम" की परिभाषा के संशोधनार्थ विचार कर रही है ।

बरौनी में बाढ़ से हुई क्षति

819. **श्री एन० ई० धोते** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की बाढ़ से बरौनी तेल शोधक कारखाने को अनुमानत: कितनी क्षति हुई है ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या निवारक कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) बरौनी में हाल की बाढ़ से बरौनी शोधनशाला में कोई क्षति नहीं हुई थी । तथापि, शोधनशाला एवं उपनगर में प्रवेश होने वाले पानी को रोकने के लिये निवारक उपायों पर शोधनशाला ने 6,000/- रुपये खर्च किये थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण बिहार में हुई क्षति के अध्ययन के लिये तकनीकी दल

820. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त आंठ सदस्यीय तकनीकी दल ने बिहार में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण हुई क्षति का मौके पर जाकर अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो दल ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए बिहार सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). केन्द्रीय अधिकारियों के एक दल ने अगस्त, 1971 में बिहार का दौरा किया था तथा उसने केन्द्रीय सहायता दिये जाने के प्रयोजन से राहत कार्यों के लिये आवश्यक रकमों का निर्धारण किया था । केन्द्रीय सहायता दिये जाने के प्रयोजनों के लिये इस दल ने बाढ़ और भारी वर्षा के कारण आवश्यक राहत, पुनर्वास तथा मरम्मत सम्बन्धी विभिन्न कामों के लिये, 46.275 करोड़ रुपये तक की सहायता दिये जाने की सिफारिश की है । इस अधिकतम सीमा को स्वीकार कर लिया गया है परन्तु इसमें परिवर्तन किया जा सकता

है। अब तक राज्य सरकार के लिये 12.25 करोड़ रुपये की रकम, जिसमें 7.25 करोड़ रुपये की कृषि में काम आने वाली वस्तुओं के लिये अल्पावधिक ऋण के रूप में दी गई रकम भी शामिल है, राज्य सरकार के लिये मंजूर की गयी है। आगे और सहायता व्यय की प्रगति के आधार पर दी जायगी।

कानपुर में मिश्रित इस्पात संयंत्र की स्थापना

821. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में मिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ; और

(घ) उस पर कितना व्यय आयेगा ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने कानपुर में रक्षा क्षेत्र में विशेष इस्पात परियोजना स्थापित करने की संस्वीकृति दे दी है।

(ख) आधुनिक शास्त्रास्त्रों के उत्पादन के लिए भारी तादाद में आवश्यक मिश्रित तथा विशेष इस्पात का इस कारखाने में उत्पादन किया जायगा। परियोजना की क्षमता 16,400 टन प्रति वर्ष फिनिश अनुभागों, जैसे बिलिटस, छोटे तथा मझोले अनुभागों, शीट्स, स्ट्राइप्स इत्यादि।

(ग) परियोजना का योजना संबंधी कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

(घ) सरकार ने 46.01 करोड़ रुपयों का अनुमानित व्यय जिसमें 5.36 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी शामिल है इस परियोजना को स्थापित करने के लिए संस्वीकृत कर दी है।

जम्मू क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा के साथ पाकिस्तान द्वारा स्थापित किये गये बुर्ज

822. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 अक्तूबर, 1971 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में इस आशय के समाचार देखे हैं कि जम्मू क्षेत्र में युद्ध-विराम रेखा के साथ पाकिस्तान सरकार ने बुर्ज स्थापित कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) सीमा के पार की घटनाओं पर रक्षा योजना बनाते समय ध्यान रखा जाता है।

भारत अर्थ मूवर्स, बैंगलोर के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

823. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत अर्थ मूवर्स बंगलौर, के कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर रिहायशी क्वार्टर निर्माण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के दो कारखाने नामत: अर्थ मूवर कारखाना कोलार गोल्ड फील्ड में तथा दूसरा रेल कोच फैक्टरी बंगलौर में स्थित हैं। कोलार गोल्ड फील्ड कारखाना के लिए एक रिहायशी कालोनी का निर्माण किया जा चुका है। जहां तक रेल कोच फैक्टरी का सम्बन्ध है इस कारखाने में लगभग 420 कर्मचारी अभी हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बैंगलौर की एक रिहायशी कालोनी में क्वार्टर लिए हुए हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने रिहायशी कालोनी रेल कोच फैक्टरी बंगलौर के बनाने के लिए समुचित भूमि को अर्जन करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। तथापि वर्तमान स्थिति में मितव्यता को दृष्टि में रखते हुए कालोनी के निर्माण के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करनी होगी।

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा राजस्थान से लद्दाख तक की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंगें बिछाया जाना

824. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थल सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करके पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान से लद्दाख तक की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुतायत में सुरंगें बिछाई हैं ;

(ख) क्या इन सुरंगों के विस्फोटन के परिणामस्वरूप भारतीय नागरिक और सैनिक मारे गये हैं और जख्मी हुए हैं ;

(ग) क्या राजस्थान सीमा और कच्छ की खाड़ी के साथ साथ पाकिस्तानी सेना का भारी जमाव भी है ; और

(घ) स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). सरकार ने रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तानी सेना ने हमारी पश्चिमी सीमा के पार अपनी सीमा में चुने हुए क्षेत्रों में सुरंगें बिछा दी हैं। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी भी भारतीय सैनिकों की या सिविलियनों की इन सुरंगों के फटने के कारण मृत्यु हुई हो या आहत हुए हों।

(ग) तथा (घ). पाकिस्तानी सेनाएं हमारी समग्र सीमा पर जिसमें राजस्थान तथा रन के कच्छ के पार जमाव किए हुए हैं। सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए समुचित कदम उठाए हैं।

निर्वाह सूचकांक

825. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 के बजट के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त निर्वाह-सूचकांक में मास-वार, क्या परिवर्तन हुए हैं ; और

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए परिवर्तन इनकी तुलना में कम थे या अधिक ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) . (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है, जिसमें मई से सितम्बर 1971 तक के महीनों के अर्थात् सबसे हाल के उन महीनों के जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, और 1970 की इसी अवधि के अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक दिये गये हैं ।

विवरण

अखिल-भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक

(आधार : 1960=100)

महीना	सूचक अंक		पहले के महीने की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	
	1970	1971	1970	1971
मई	183	184	1.1	शून्य
जून	185	187	1.1	1.6
जुलाई	186	190	0.5	1.6
अगस्त	187	194	0.5	2.1
सितम्बर	188	196	0.5	1.0

भारत अर्थ मूवर्स के कर्मचारियों को राजसहायता प्राप्त परिवहन तथा कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था

826. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स के कर्मचारियों को राजसहायता प्राप्त परिवहन तथा स्कूल, सहकारी समिति, खेलकूद के क्लब, वाचनालय जैसी अन्य कल्याण सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में दो फैक्टरियां, कोलार गोल्ड फिल्ड स्थित अर्थ मूवर फैक्टरी तथा बंगलौर स्थित रेल कोच फैक्टरी हैं । कोलार स्थित अर्थ मूवर फैक्टरी के लिए हाउसिंग कालोनी का निर्माण कम्पनी ने फैक्टरी के निकट किया है तथा स्कूल, सहयोग समिति, खेलकूद क्लब, अध्ययन कक्ष इत्यादि

सुविधाओं की व्यवस्था कालोनी में की गई है। जहां तक बंगलौर स्थित रेल कोच फैक्टरी का सम्बन्ध है, ऐसे लगभग 420 कर्मचारीगण जो हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० के बंगलौर डिवीजन में, उसके अलग होने के पहले, नियुक्त थे एच० ए० एल० टाउनशीप के क्वार्टर्स में रह रहे हैं और वे स्कूल, खेलकूद क्लब इत्यादि सुविधाओं के पात्र हैं। जहां तक सहयोग समिति का संबंध है, रेल कोच फैक्टरी के ऐसे लगभग 2400 कर्मचारी, जो पहले एच० ए० एल० के बंगलौर डिवीजन में नियुक्त थे, एच० ए० एल० के विमानपुर कोआपरेटिव स्टोर्स के सदस्य हैं। रेल कोच फैक्टरी ने एक अलग लेबर वेलफेयर फंड तथा खेलकूद क्लब की स्थापना कर्मचारियों के लाभ के हेतु की है।

2. जहां तक आर्थिक सहायता प्राप्त परिवहन का सम्बन्ध है, बंगलौर स्थित रेल कोच फैक्टरी के कर्मचारियों को एच० ए० एल० की बसों पर आर्थिक सहायता प्राप्त परिवहन सुविधायें दी जाती हैं। कोलार फैक्टरी के मामले में फैक्टरी के निकट कम्पनी को टाउनशीप में रहने वाले कर्मचारियों को परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। तद्यपि, कोलार फैक्टरी के ऐसे कर्मचारियों को, जो फैक्टरी से 3 मील की दूरी पर रहते हैं, उपयुक्त परिवहन भत्ता देने का प्रश्न प्रबन्धकों के विचाराधीन है। बाजार से खरीददारी करने के लिए कम्पनी की टाउनशीप में रहने वाले कोलार फैक्टरी के कर्मचारियों के लिए रविवार तथा छुट्टियों के दिन अतिरिक्त परिवहन सेवाओं की व्यवस्था के लिए, कम्पनी मैसूर स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन से बातचीत कर रही है।

दिल्ली में विभिन्न पार्टियों को जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया अग्रिम धन

827. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जीवन बीमा निगम ने जिन पार्टियों को उनकी स्थावर सम्पत्ति गिरवी रखकर अग्रिम धनराशि दी है, उनकी संख्या, नाम और पते क्या हैं और प्रत्येक को कितना-कितना धन दिया गया ;

(ख) क्या ये सभी पार्टियां निगम को किस्तें यथासमय देती रही हैं ; और

(ग) यदि कुछ पार्टियों ने समय पर किस्तें नहीं दीं तो उनके नाम क्या हैं और निगम को देय राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, ऋण लेने वालों की संख्या हजारों में है।

ऋण लेने वाले अधिकांश व्यक्ति ऋण की किस्तों की अदायगी समय पर करते रहे हैं परन्तु चूक के भी कुछ मामले हुए हैं। जब चूक होती है तब जीवन बीमा निगम ऋण लेने वालों से उसे सुधारने के लिए कहता है परन्तु यदि चूक बनी रहती है तो जीवन बीमा निगम अपने कानूनी अधिकारों के प्रवर्त्तन के लिये उपयुक्त उपाय करता है, जिनमें रिसीवरों की नियुक्ति तथा वसूली के लिये मुकदमें दायर करना भी शामिल है।

यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष मामला हो तो उस पर विचार किया जा सकता है और उसके ब्यौरे प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

विदेशी तेल शोधक कारखानों का राष्ट्रीयकरण

828. **श्री अमर नाथ चावला :**
श्री आर० बी० बड़े :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल शोधक कारखानों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). शोधनशाला करारों के पुनरीक्षण के प्रश्न तथा अन्य वैकल्पिक प्रस्तावों पर भी सरकार अभी तक जांच कर रही है ।

देश में नये तेल शोधक कारखानों की स्थापना

829. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में कितने और कहां-कहां नये तेलशोधक कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) इनकी अनुमति क्षमता कितनी होगी और ये कब तक चालू हो जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सरकार का दो शोधनशालाएं—एक असम में तथा दूसरा उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में—स्थापित करने का विचार है। प्रस्तावित शोधनशालाओं के स्थल के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) असम की प्रस्तावित शोधनशाला की क्षमता प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीटरी टन तथा उत्तर-पश्चिम शोधनशाला की क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन मीटरी टन होगी । इन प्रायोजनाओं के पांचवीं योजना अवधि में चालू हो जाने की आशा है ।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधक कारखाने के करारों का पुनरीक्षण

830. **श्री अमर नाथ चावला :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधक कारखाने के करारों का पुनरीक्षण करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कैसा निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं और सरकार अन्य कौन से मुख्य विकल्पों पर विचार कर रही है जो विदेशी तेल शोधक कारखानों के साथ किये जा सकते हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ). सरकार शोधनशाला-करारों के पुनरीक्षण के प्रश्न और साम्य साझेदारी आदि जैसे अन्य वैकल्पिक प्रस्तावों की भी जांच कर रही है। इस स्थिति में समयावधि का संकेत करना कठिन है।

संयुक्त पूंजी कम्पनियों में रोजगार की सम्भावनाओं में कमी

831. **श्रीमती सावित्री श्याम : क्या कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी संयुक्त पूंजी कम्पनियों में भी रोज़गार के अवसर वर्ष प्रति वर्ष कम होते जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस बारे में विचाराधीन उपायों में से एक उपाय यह भी है कि सभी संयुक्त पूंजी कम्पनियों के लिए अपने वार्षिक तुलन-पत्र में स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा ;

(ग) क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि "मजूरी, वेतन तथा कर्मचारी हित" शीर्षक के अन्तर्गत "प्रबन्धक तथा गैर-प्रबन्धक" कर्मचारियों के व्यय अलग-अलग दिखाये जायें ; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार के पास सामान्य रूप से कोई सूचना नहीं है क्योंकि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कम्पनियों के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना देना आवश्यक नहीं है।

(ख) अनुसूचि 6 में परिवर्तन कर दिया गया है जिसके अनुसार कम्पनियों को अपने कर्मचारियों की संख्या जो 2000 रु० प्रति मास या अधिक कुल वेतन प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, प्रथक रूप से उल्लिखित करना होगा।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि 6 खण्ड 2 मद संख्या 4 पहिले से ही प्रबन्ध कार्मिकों को जैसे निदेशकों, प्रबन्ध निदेशकों सहित और प्रबन्धकों को अलग दिये जाने वाले पारिश्रमिक को प्रथक रूप से प्रगट करने की व्यवस्था है।

(घ) क और ख भागों में दिये गये उत्तरों के कारण इसका प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

करेंसी नोट छापने के लिए प्रयुक्त कागज

832. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छपने वाले करेंसी नोटों में प्रयुक्त कागज घटिया किस्म का है ;

(ख) यदि हां, तो घटिया किस्म के कागज का प्रयोग करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि करेंसी नोट के बढ़िया किस्म के कागज की अपेक्षा घटिया किस्म के कागज से बने नोटों की जीवनावधि आधी से भी कम है ;

(घ) क्या सरकार इसमें बढ़िया किस्म के कागज का प्रयोग करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ; 1967-68 से करेंसी नोटों और बैंक नोटों की छपाई के काम में आने वाला कागज देश में ही तैयार किया जा रहा है और यह उस कागज जितना ही अच्छा है जो पहले बाहर से मंगाया जाता था ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) करेंसी और बैंक नोटों की जीवनावधि के कम होने की बात तो दूर रही, वस्तु-स्थिति यह है कि चूंकि नोट छापने की हमारी क्षमता बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए इनकी जीवनावधि को और बढ़ाना पड़ता है । अत: इन नोटों को पहले की अपेक्षा अधिक समय तक के लिए फिर से चलाना पड़ता है । चलन में परिणामत: अधिकतर चालू नोट मैले और कटे-फटे दिखाई देते हैं । इससे शायद यह कल्पना कर ली गयी हो कि नोटों का कागज घटिया है । पर यह गलत है ।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते, परन्तु छपाई की क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Loan given by I. F. C. to Industrial Units

883. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the annual amount of loan given to each class of big, medium and small industrial units respectively by the Industrial Finance Corporation during the last three years ; and

(b) the percentage of total loan given to all the industrial units connected with the 20 biggest Business Houses of India during each year ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b). Under the Industrial Finance Corporation Act, 1948, public limited companies and cooperative societies alone are eligible for term financial assistance from the Industrial Finance Corporation of India and these usually establish medium and large scale industrial units.

The required information is given in the attached statement.

Statement

Statement showing amount of loans sonctioned and disbursed by the industrial Finance Corporation of India to small, medium and large scale industrial units during the last three financial years (1968-69, 1969-70 and 1970-71) and the percentage of loans sanctioned and disbursed to industrial units comprised in the First 20 business Groups Listed in Appendix II of the Report of the Industrial Licencing Policy Inquiry Committee, during the same period

(Rs. in lakhs)

Industrial Units	1968-69		1969-70		1970-71	
	Sanctions	Disburse-ments	Sanctions	Disburse-ments	Sanctions	Disburse-ments
Small Scale	—	—	—	—	—	—
Medium Scale	46.25	33.82	67.58	15.75	29.40	42.58
Large Scale	2472.66	1737.11	2013.05	1627.06	3100.83	1603.76
Total :	2518.91	1770.93	2080.63	1642.81	3130.23	1646.34
Percentage of loans sanctioned and disbursed to industrial units comprised in the first 20 business groups listed in Appendix II of the Report of the Industrial Licencing Policy Inquiry Committee.	32.3%	15.3%	17.9%	22.8%	17.1%	15.9%

Note : 1. Disbursements include disbursals in respect of earlier sanctions also.

2. An industrial unit has been considered by the Industrial Finance Corporation as of medium scale, provided the total net block of the respective concern, as on the date of sanction of financial assistance, plus the new investment in respect of which the assistance has been sanctioned, does not exceed Rs. 50 lakhs.

3. All other units falling above the limit of Rs. 50 lakhs have been treated as large scale units.

Recommendations of Customs Study Team

834. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the recommendations made by the Customs Study Team in para 8.29 of its Report (Part II) which related to reorganisation of Class IV employees ; and

(b) the action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Customs Study Team recommended that the importance of the outdoor sepoys in the preventive set-up should be recognised and their pay scales and prospects should be improved on the analogy of the Border Police. If necessary, the preventive and outdoor jobs should be separated from the purely indoor office jobs into separate cadres.

(b) This recommendation was carefully examined. In a separate cadre of sepoys engaged on anti-smuggling duties, it would be essential, having regard to the nature of duties, to reduce the age of retirements as in the case of Police. This was not acceptable to the concerned Association of Sepoys.

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा की गई उड़ानें

835. **डा० कर्ण सिंह :**
श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1 अप्रैल, 1970 तथा 31 मार्च, 1971 के बीच कुल कितनी उड़ानें आयोजित की गयीं ;

(ख) उनमें से कितनी उड़ानें विलम्ब से हुईं अथवा रद्द की गयीं ;

(ग) उक्त उड़ानों में विलम्ब होने तथा उन्हें रद्द करने के मुख्य कारण क्या थे ; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 43,094

(ख) 30 मिनट से अधिक विलम्ब वाली उड़ानें 20,473

रद्द की गई उड़ानें 4,734

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(घ) अधिकांश देरियां 'परिणामी' प्रकृति की थीं, और वे वर्तमान परिचालन प्रक्रिया के कारण हुईं जिसके अनुसार कि एक ही विमान को कई उड़ानें परिचालित करनी पड़ती हैं। और अधिक विमान मिल जाने पर कार्पोरेशन पार्श्वस्थ विमानों की व्यवस्था कर सकेगी जिससे इस प्रकार की देरियों की संख्या में कमी होगी ।

कुछ देरियां खराब मौसम के कारण हुईं और वे परिचालक के नियंत्रण से बाहर थीं । जहां तक इंजीनियरी त्रुटियों और अन्य कारणों से होने वाली देरियों का सम्बन्ध है, कार्पोरेशन उन्हें न्यूनतम करने का निरन्तर प्रयत्न कर रही है । विचाराधीन अवधि में 'धीमे चलो' और 'नियम-अनुसार कार्य करो' के तरीके अपनाने तथा हड़तालों के कारण विमान सेवाएं काफी अस्त-व्यस्त हुईं, यहां तक कि तालाबंदी भी करनी पड़ी ।

विवरण

कारण	देरियां	रद्द की गयी उड़ानें	कुल
1. परिणामी	14095	1893	15988
2. मौसम	1391	646	2037
3. इंजीनियरी त्रुटियां	1864	73	1937
4. वाणिज्यिक	909	39	948
5. परिचालन	504	644	1148
6. परिवहन	110	3	113
7. विविध	1546	1416	2962
8. विमान यातायात नियंत्रण (नागर विमानन महा-निदेशालय)	54	20	74
कुल	20473	4734	25207

दिल्ली छावनी स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया में की गयी जालसाजी

836. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में की गयी 18 लाख रुपये की जाल-साजी के बारे में कोई जांच की गयी है ;

(ख) क्या कोई कार्यवाही की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही क्या है ; और

(घ) शीघ्र जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि दिल्ली छावनी स्थित उसकी शाखा में 18 लाख रुपये की धोखा-धड़ी का कोई मामला नहीं हुआ है लेकिन कृषकों छोटे उद्योगपतियों परिवहन चालकों और छोटे व्यापारियों को दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में उस शाखा में हुई कुछ अनियमितताएं सामने आयी हैं। इन अनियमितताओं की रकम लगभग 16 लाख रुपये है। जिन अनियमितताओं का पता चला है उनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं :—

(i) कुछ मामले में पार्टियों की न्याय संगत मांगों से अधिक के ऋण दिये गये हैं।

(ii) अग्रिमों के लिये नियंत्रण अधिकारियों से स्वीकृतियां नहीं ली गयी हैं।

(iii) कुछ मामलों में कागजातों का विधिवत निष्पादन नहीं किया गया है अथवा सभी आवश्यक कागजात नहीं लिये गये हैं।

(iv) बैंक के नाम दी गयी प्रतिभूति पर्याप्त नहीं है ।

(v) स्वीकृति से पूर्व और स्वीकृति से बाद किये जाने वाले निरीक्षण नहीं किये गये हैं ।

(vi) ऋण देने से पहले ऋण के लिये आवेदन पत्रों की उचित छानबीन नहीं की गयी थी ।

बैंक ने सूचना दी है कि शाखा के तात्कालिक एजेण्ट को निलम्बित कर दिया गया है । वसूली करने और अनियमितताओं को नियमित करने के लिये बैंक ने दो विशेष अधिकारी रखे हैं । वसूली की जा रही है । बैंक ने विभागीय जांच शुरू कर दी है और जांच अधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिये परिमण्डल लेखा परीक्षा कक्ष (सर्कल आडिट सैल) का एक अधिकारी प्रतिनियुक्त किया है ।

पाकिस्तान द्वारा हवाई उल्लंघन के बारे में 'एयर चीफ मार्शल' द्वारा दिया गया वक्तव्य

837. **श्री विजयपाल सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'एयर चीफ मार्शल' श्री पी० सी० लाल द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत हमारी सभी सीमाओं पर पाकिस्तान के हवाई उल्लंघनों को नहीं रोक सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा बहुत लम्बी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). वायुसेना से सम्बन्धित एक अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान यह एक प्रासंगिक उक्ति थी । वायु सीमा अतिक्रमण के सम्बन्ध में हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । खदेड़ने, अवरोध करने तथा नीचे मार गिराने के लिए यथा संभव प्रयत्न किए जाते हैं ।

भारत में तेल की खोज के लिए आयल इण्डिया लि० के साथ सहयोग करने के बर्मा आयल कम्पनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाना

838. **श्री विजय पाल सिंह :**
श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमालिया में तेल की खोज के लिए आयल इण्डिया लिमिटेड के साथ सहयोग करने के बर्मा आयल कम्पनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है ;

(ख) इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या था ; और

(ग) इसे स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बर्मा आयल कम्पनी द्वारा आयल इण्डिया लिमिटेड को दी गई पेशकश में अपनी सोमालिया पेट्रोलियम अन्वेषण रियायत उद्यम में मुख्यत: वित्तीय भागीदारी की व्यवस्था हुई होती। तकनीकी एवं परिचालन सम्बन्धी सभी निर्णय विदेशी भागीदार के हाथों में रहे होते। प्रारम्भिक अनुमानित अन्वेषण लागतों के लिये अपने हिस्से की अदायगी से इस पेशकश से आयल इण्डिया लिमिटेड को उद्यम में थोड़ा सा अधिकार प्राप्त हुआ होता। ऐसा भी एक क्षेत्र में दो कुएं खोदने के लिये, उस समय किये जा रहे सर्वेक्षणों जैसे प्रारम्भिक कदमों के आधार पर, निर्णय लिये जाने की शर्त पर था।

रियायत के क्षेत्र की स्थितियों तथा संभावनाओं को देखते हुये, क्योंकि यह शर्तें आकर्षिक नहीं समझी गयी थी, पेशकश स्वीकार नहीं की गई थी।

गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के विमान सेवा मार्ग

839. **श्री विजयपाल सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस समय उनके विमान कौन-कौन से मार्गों पर चल रहे हैं ; और

(ग) क्या गत दो वर्षों में उन्हें विमान सेवा के लिए कोई नया मार्ग दिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) निम्नलिखित निजी परिचालकों के पास अनुसूचित परमिट हैं जो 31 मार्च, 1972 तक वैध हैं :—

1. एयर सर्वे कं० (प्रा०) लि०, कलकत्ता
2. एयरवेज इण्डिया (प्रा०) लि०, कलकत्ता
3. भारत कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, गौहाटी
4. केम्बाटा एविएशन, बम्बई
5. जामएयर कम्पनी, कलकत्ता
6. कलिंगा एयरलाइंस, कलकत्ता
7. कस्तूरी एण्ड सन्स, मद्रास
8. जे० के० केमिकल्स (प्रा०) लि०, बम्बई (सफारी एयरवेज)
9. हेलिकॉप्टर सर्विसेज (प्रा०) लि०, बम्बई
10. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, बम्बई
11. पुष्पक एविएशन (प्रा०) लि०, मद्रास।

(ख) उपरिलिखित 11 परिचालकों में से केवल मैसर्स जाम-एयर कम्पनी इस समय वाणिज्यिक विमान परिवहन का कार्य कर रही है। इस समय यह कम्पनी निम्नलिखित मार्गों का, अननुसूचित आधार पर, परिचालन कर रही है :—

1. कलकत्ता—अगरतला
2. कलकत्ता—जलपाइगुड़ी, पूर्निया के मार्ग से

3. कलकत्ता—जलपाइगुड़ी—तेलीपाड़ा—ग्रासमोर—
भातपाड़ा—न्यूलैंड्स ।

(ग) 1-10-1971 से मेसर्स जे० के० केमिकल्स लिमिटेड (सफारी एयरवेज) को दिल्ली-जयपुर-कोटा मार्ग पर वापसी समेत, एक अननुसूचित विमान सेवा परिचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है, परन्तु उन्हें दिल्ली और जयपुर के बीच यातायात अधिकार नहीं दिये गये हैं ।

छम्ब सीमा रेखा के निकटवर्ती पाकिस्तानी ग्रामों से लोगों का हटाया जाना

840. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा के छम्ब क्षेत्र के सामने सीमा के निकटवर्ती पाकिस्तानी ग्रामों से समस्त जनता हट गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). हमारी सूचना के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों ने छम्ब से लगे सीमावर्ती संघों से असैनिकों का निष्कर्मण कर दिया है । पाकिस्तान के इस कार्य से हमने आवश्यक निष्कर्ष निकाल लिया है तथा उसके अनुसार अपनी व्यवस्था कर ली है ।

फिरोजपुर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना का जमाव

841. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अक्तूबर, 1971 को सतलज नदी के दाहिने किनारे के साथ पाकिस्तानी सेना का भारी जमाव देखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) तथा (ख). पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाएं हमारी समग्र सीमा पर जिसमें फिरोजपुर के दूसरी ओर का क्षेत्र तथा सतुलज नदी के दाहिने किनारे भी शामिल हैं, जमाव किए हुए हैं । सरकार ने हमारी सीमाओं पर किसी भी पाकिस्तानी धमकी का मुकाबला करने के लिए समुचित कदम उठाए हैं ।

गुजरात में पर्यटन केन्द्रों में होटल निर्माण की योजना

842. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पर्यटक और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने पर्यटन केन्द्र हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) ऐसे कितने केन्द्र हैं, जहां सरकारी होटल नहीं हैं और उन केन्द्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटकों की असुविधा दूर करने के लिए इन केन्द्रों पर होटल बनाने की कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन केन्द्रों की कोई विशिष्ट सूची नहीं रखी जाती है ।

(ख) गुजरात में केन्द्रीय सरकार का कोई होटल नहीं है ।

(ग) और (घ). चौथी योजना में गुजरात में गिर वन में एक 24 कमरों वाले विश्राम गृह के निर्माण की व्यवस्था है ।

सामान्य व्यक्ति के लिए होटलों तथा "हॉलीडे होम्स" की स्थापना

843. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामान्य व्यक्तियों के लिए होटल तथा "हॉलीडे होम्स" बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये बनाये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग का अवकाश गृह (हॉलीडे होम्स) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु किफायती आवास में वृद्धि करने के लिए उसका युवा होस्टलों, स्वागत केन्द्रों, पर्यटक बंगलों तथा विश्राम गृहों का निर्माण करने का प्रस्ताव है । भारत पर्यटन विकास निगम का भी मोटलों का निर्माण करने तथा कुछ वर्तमान यात्री लॉजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) **युवा होस्टल**

1. औरंगाबाद
2. भोपाल
3. जयपुर
4. मद्रास
5. त्रिवेन्द्रम
6. हाम्पी
7. नैनीताल
8. दार्जीलिंग
9. शिमला
10. पटनीटॉप

(ख) **स्वागत केन्द्र**

1. जयपुर
2. आगरा
3. वाराणसी (मोटल व स्वागत केन्द्र)
4. शिमला
5. पटना

(ग) **वन्य जीव शरण-स्थानों में विश्राम गृह**

1. भरतपुर
2. ससनगिर
3. काजीरंगा
4. कार्बेट राष्ट्रीय पार्क
5. कान्हा राष्ट्रीय पार्क

(घ) **पर्यटक बंगले**

1. जैसलमेर
2. गौहाटी
3. रामेश्वरम्

(ङ) **मोटल (भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रस्तावित)**

1. जम्मू
2. वाराणसी (मोटल व स्वागत केन्द्र)
3. सिलीगुड़ी

(च) **यात्री लाजों का विस्तार (भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा)**

1. खजुराहो
2. हस्सन
3. महाबलिपुरम्
4. उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर भत्ता और मकान किराया भत्ता

844. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नगर भत्ते और मकान किराया भत्ते की दरों में वृद्धि करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस तारीख से किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

मुद्रा सप्लाई अग्रेतर कमी पर नियंत्रण रखना

845. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए मुद्रा सप्लाई में अग्रेतर कमी को रोकने के लिए कहा है ; और

(ख) मुद्रा सप्लाई में वृद्धि पर नियंत्रण रखने तथा औद्योगिक उत्पादन में गतिबद्धता को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने वर्ष के मध्य में, भारतीय अर्थ व्यवस्था पर की गयी अपनी समीक्षा में मुद्रा उपलब्धि में और वृद्धि करने पर कुछ रोक लगाने को कहा है ।

(ख) 22 अक्तूबर, 1971 की स्थिति के अनुसार, जनता के पास मुद्रा उपलब्धि की वार्षिक वृद्धि की दर 12.9 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की 12.8 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ी-सी अधिक है । हाल ही के महीने में मुद्रा उपलब्धि का जो विस्तार हुआ उसका मुख्य कारण सरकार की बजट सम्बन्धी स्थिति है जो मुख्यतः बंगला देश से आये शरणार्थियों पर खर्च करने और दैवी विपत्तियों के सम्बंध में सहायता की मंजूरी दिये जाने के परिणामस्वरूप बिगड़ गई है । इस संबंध में सरकार अनेक उपायों की घोषणा कर चुकी है जिनका उद्देश्य अनिवार्य व्यय से भिन्न व्ययों में कमी करना है । इसके अलावा, सरकार ने बंगला देश के शरणार्थियों पर किये जाने वाले खर्च की व्यवस्था करने के लिए विशेष कर लगाये हैं । राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक से लिये गये ओवरड्राफ्टों को कम करें । ऋण संबंधी स्थिति पर बराबर नजर रखी जा रही है । सरकार आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल का आयात करके, लम्बी अवधि के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता देकर अधिक तेजी से औद्योगिक लाइसेंस जारी करके और अर्थ-व्यवस्था में आयोजना संबंधी कार्यक्रमों के स्तर को बढ़ाने के लिए कई उपाय करके औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने का भी प्रयास कर रही है ।

एयर इण्डिया द्वारा होटल उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव

846. **श्री के० लकप्पा :**
श्री बी० के० दासचौधरी :
श्री समर गुह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया देश में होटल उद्योग आरम्भ करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके वाणिज्यिक पहलू पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) क्या इस नई जिम्मेदारी का, यात्रियों की सेवा करने के एयर इण्डिया के मुख्य कार्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । इस प्रयोजन के लिये एक सहायक कम्पनी की स्थापना की गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

विजय बैंक लिमिटेड, बम्बई

847. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय बैंक लिमिटेड, बम्बई में, विशेषकर फिल्म उद्योग के व्यापारियों के काले धन के बहुत से जाली खाते हैं ;

(ख) यदि हां,तो क्या सरकार ने इन खातों के सम्बन्ध में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ग). तथ्यों का पता लगाया जा रहा है तथा उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

राजस्थान की सीमा पर बाड़मेर में पाकिस्तानी सेना का भारी जमाव

848. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की सीमा पर बाड़मेर क्षेत्र में सीमा के पार पाकिस्तानी सेना के भारी जमाव से खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जासूस सक्रिय बने हुए हैं और सेना के गुप्त भेद सीमा के पार जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमा पर पाकिस्तान द्वारा अचानक कोई आक्रमण न किया जा सके तथा पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियों को समाप्त किया जा सके, पर्याप्त कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : पाकिस्तानी सशस्त्र सेना ने हमारी समग्र सीमा पर जिसमें राजस्थान का बाड़मेर जिला के पार का क्षेत्र शामिल है जमाव किया हुआ है । हमारे देश के अनेक भागों में पाकिस्तानी जासूसों की कार्यवाहियां प्रकाश में आई हैं । सरकार ने किसी भी पाकिस्तानी धमकी का हमारी सीमा पर मुकाबला करने के लिए तथा साथ ही साथ पाकिस्तानी जासूसी एजेंटों की कार्यवाहियों को दमन करने के लिए समुचित कदम उठाए हैं ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा धन बाहर भेज देना

849. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :
डा० रानेन सेन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने भारत में अपने 106 करोड़ रुपये के निवेश के बदले अब तक 120 करोड़ रुपये देश से बाहर भेज दिये हैं ;

(ख) क्या इन कम्पनियों के साथ किये गये करार में यह उपबन्ध है कि विदेशी रिफाइनरीज का 25 वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा ;

(ग) क्या इस करार की शर्तें इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में बाधक होंगी ;

(घ) क्या सरकार ने इन तेल कम्पनियों को दिये जाने वाले मुआवजा की राशि और उसके देने की प्रक्रिया पर विचार किया है ; और

(ङ) इस समय लागू संधियों पर पुनर्विचार करने के लिये यदि कोई कदम उठाये हैं तो वे क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तीन मुख्य तेल कम्पनियों अर्थात बर्मा-शैल, एस्सो तथा कालटैक्स द्वारा, अपनी शोधनशालाओं सहित, 31-12-1969 तक 109.03 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई थी । बाहर भेजे गये कुल धन के बारे में सही सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) जी हां ।

(ग) संसद अधिनियम जारी किये जाने से यह शर्तें राष्ट्रीयकरण करने में बाधक नहीं होंगी ।

(घ) जी नहीं, तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) शोधनशाला करारों के पुनरीक्षण करने के प्रश्न तथा अन्य वैकल्पिक प्रस्तावों पर भी सरकार अभी तक जांच कर रही है ।

भारत में कर अपवंचन

850. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपवंचन को रोकने के लिए अब तक की गई कार्यवाही से कोई वांछित परिणाम नहीं निकले हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में कर अपवंचन को बन्द करने के लिए सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार को कुछ मालूम है कि इस समय देश में कितने कर का अपवंचन किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर गणेश) : (क) और (ख). जी नहीं। कर अपवंचन की समस्या की ओर सरकार का ध्यान सतत रूप से लगा हुआ है। बदलती हुई स्थिति का सामना करने के लिये, विधायी, प्रशासनिक अथवा अन्य जिन उपायों को आवश्यक समझा गया, उनको समय-समय पर लागू किया गया है और किया जा रहा है।

(ग) कर-अपवंचन के कारण सरकार को होने वाली हानि का कोई यथार्थ अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मुनाफों में कमी

851. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1969-70 के मुनाफे कम होकर 2·23 करोड़ रुपये हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) बट्टे खाते में डाले जाने वाला अन्वेषण/विकास सम्बन्धी व्यय की राशि में वृद्धि हो जाने के कारण लाभ कम हो गये थे। उन तेल क्षेत्रों की, जो उस वर्ष के दौरान व्यय व्यापारिक उत्पादन कर रहे थे, की बिक्री में वृद्धि द्वारा इस वृद्धि को बराबर नहीं बताया गया था।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा नये वेतनमानों के लिए अभ्यावेदन

852. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें नये वेतनमानों की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि करने के लिये अपनी यूनियनों की मांगें प्राप्त हुई थीं। 5-6 नवम्बर 1971 को हुई बैठक में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस विषय पर मान्यताप्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी और यह बात मान ली गई थी कि यूनियनों की वेतनमानों के पुनरीक्षण करने और सीमांत लाभों में वृद्धि करने सम्बन्धी मांग को स्थगित कर दिया जाये।

I. A. F. Plane Mishap Near Poona

853. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Hari Singh :
Shrimati Bhargavi Thankappan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the reasons for an I. A. F. plane mishap near Poona during August last ; and

(b) the steps taken to check any increase in the incidence of such mishaps?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Because of poor light conditions, the aircraft crashed against an unmapped hill feature.

(b) Steps are being taken to implement the remedial measures suggested by the Court of enquiry.

Impact of Save Dollar Plan on Indian Economy

854. **Shri K. M. Madbukar :**
Shri Prasannbhai Mehta :
Shri P. Gangadeb :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether U. S. A. took certain economic measures in August last to overcome the pressure on dollar ;

(b) what has been the effect of such economic measures on the economy of India ; and

(c) the steps taken by Government to meet the situation ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c). As a result of the recent dollar crisis the U. S. Government decided to suspend the convertibility of dollar into gold and other assets, to impose a 10 per cent import surcharge on all dutiable imports other than those covered by quotas, and to bring about a 10 per cent cut in foreign economic aid. As a consequence of the first measure, currencies of some other industrialised countries have effectively moved upwards in relation to the dollar. Since we have decided to maintain the IMF parity of the rupee. Our imports from these countries will be more expensive in terms of rupees, and the budgetary impact of debt service payments to these countries would also be some what higher than before. The Government have stressed the need for an urgent readjustment of exchange rates on a stable basis within the frame-work of the I.

Regarding the 10 per cent cut in aid, there have been many developments since this decision was taken and it is not clear to what level this cut will apply, if at all, as decisions on U. S. aid for the current year are yet awaiting final approval by the U. S. legislative authorities.

The import surcharge of 10 per cent levied by the U. S. Government will affect approximately 20 per cent of our exports in particular the non-traditional items for which the export potential is large. The Government of India have represented to the U. S. Government bilaterally and in various international forums about the adverse effects of this measure on the economy of developing countries, including India, and have pressed that this surcharge be withdrawn as quickly as possible.

पर्यटक स्थल के रूप में बाक-खाली फ्रेजरगंज का विकास

855. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, बाक-खाली (फ्रेजरगंज) को, जो कि 24-परगना में समुद्रतट पर एक गांव है, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि

856. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री बनमाली पटनायक :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी तेल कम्पनियां देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पुनः वृद्धि करने का विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). वर्तमान मूल्यांकन प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रपुंज पेट्रोलियम उत्पादों, लुब्रीकैन्ट्स तथा ग्रीजिज के अधिकतम विक्रय मूल्य सरकार द्वारा अनौपचारिक मूल्य नियन्त्रण द्वारा विनियमित किये जाते हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तेल कम्पनियां एकपक्षीय आधार पर मूल्यों में वृद्धि करेंगी।

भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव

857. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री निहार लास्कर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समस्त भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं की भारी गतिविधियों और जमाव की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख). रक्षा मंत्री के द्वारा 15-11-1971 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिए गए विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

एच० एस० 748 विमान की उड़ान क्षमता के बारे में राम अमृतम् समिति के निष्कर्ष

858. **डा० सरदीश रॉय :**
डा० रानेन सेन :
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एस० राम अमृतम की अध्यक्षता में एच० एस० 748 विमान की उड़ान क्षमता की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में एवरो विमानों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है और सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है । तकनीकी समिति तथा कृतिक-दल, जिसकी कि स्थापना रिपोर्ट की जांच और क्रियान्वयन के लिये की गयी थी, और जिसमें नागर विमानन के महानिदेशक, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० के अध्यक्ष तथा इंडियन एयरलाइन्स के महा-प्रबन्धक शामिल थे, की रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं ।

भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

859. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए क्या सरकार ने कोई समिति नियुक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति ने आगरा में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). देश में अतिरिक्त शोधनशाला क्षमता के प्रश्न और इसके स्थान का अध्ययन करने के लिये 1969 में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शोधनशाला स्थापित करने की सिफारिश की थी । भारतीय तेल निगम से इस शोधनशाला के लिए एक सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था । रिपोर्ट जून 1971 में प्राप्त हुई थी और इस समय उसकी जांच की जा रही है । स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

Chinese Radars and Missile Testing Centres

860. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of places in the Northern and Eastern sectors of India where China has set up her Radar and missile testing centres ; and

(b) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) China is known to have set up radar stations in Tibet. It will not be in the public interest to disclose any further details. Government have no information about any missile testing centres set up in Tibet.

(b) The developments across our borders are taken into consideration in drawing up our defence plans.

Effects of Imposition of Duty on Foreign Travel

861. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the effects of imposition of duty of 15 percent and 10 percent on foreign travels on the travel business of Air India ;

(b) whether Government have received any requests or representations against the imposition of the aforesaid duty ; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The travel tax was imposed with effect from the 15th October, 1971 and it is too early to assess its impact. Air-India, however, feel that the tax will adversely affect their financial results.

(b) and (c). Representations have been received from Staff Associations and Unions of Air-India, Indian Airlines, Travel Agents etc., and are under examination.

Payment of Income-Tax by Mohan Printing Press, Ujjain

862. **Shri R. V. Bade** :
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax paid by the partners of Mohan Printing Press, Ujjain and "Dainik Awantika" during the last three years :

(b) whether they have paid full amount of Income-tax due from them and if not, the steps taken to recover the arrears ; and

(c) the capital invested in them in the beginning and the capital invested at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Income-tax paid is as under :

Financial year	Partners of Mohan Printing Press (Rs.)	Dainik Awantika (Rs.)
1968-69	Nil	Nil
1969-70	55/-	Nil
1970-71	Nil	Nil

(b) No, Sir.

A sum of Rs. 1071/- is outstanding aginst the partners of Mohan Printing Press. The Income-tax Officer has issued show cause notices to the partners to levy penalty for non payment of tax.

Since 'Dainik Awantika' is not assessed to income-tax ; there are no arrears of tax.

(c) The capital invested in Mohan Printing Press in the beginning was Rs. 10,883 and at present it is Rs. 1,233.

"Dainik Awantika" is not assessed to income-tax. Hence no information is available regarding its capital.

तेल शोधक कारखानों में हाई स्पीड वाले डीजल तेल और मिट्टी के तेल के उत्पादन में वृद्धि

863. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सभी तेल शोधक कारखानों में हाई स्पीड गति वाले डीजल तेल और मिट्टी के तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या हाई स्पीड वाले डीजल तेल और मिट्टी के तेल के उत्पादन में वृद्धि होने से सरकार को काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी जो कि अन्यथा इन उत्पादों के आयात पर खर्च करनी पड़ेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी बचत होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) मिट्टी का तेल -- 45,965 मीटरी टन
हाई स्पीड डीजल आयल—282,180 मीटरी टन

(ग) जी हां ।

(घ) 3.12 करोड़ ।

तेल का पता लगाने के लिये देश की तटरेखा का सर्वेक्षण

864. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई योजना है, जिसके अनुसार तेल होने की संभावना का पता लगाने के लिए देश की समूची तट-रेखा का सर्वेक्षण किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) गत समय में खम्भात की खाड़ी, अरब सागर में संलग्न क्षेत्रों तथा कारोमण्डल तट में अर्ध-विस्तृत से विस्तृत सर्वेक्षणों को सम्मिलित करते हुए भारत महाद्वीपीय मग्न-तट भूमि के हिस्सों

का भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, खम्भात की खाड़ी एवं अरब सागर के संलग्न क्षेत्रों में कई दिलचस्प संरचनात्मक लक्षणों की विद्यमानता का पता लगा। इन संरचनाओं पर विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिए, हाल ही में एक फ्रांसीसी कम्पनी के साथ एक ठेका हुआ है और दिसम्बर, 1971 के मध्य तक सर्वेक्षण-कार्य के प्रारम्भ होने की आशा है। अनुभव प्राप्त करने तथा गुणावगुण नियन्त्रण को सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी विद (टैक्नीशियन्स) भी इस कार्य में सम्मिलित होंगे। एक स्वयं चालित, स्वतः उत्थापक, अपतट व्यधन प्लेटफार्म का, जिसका इस समय जापान में निर्माण हो रहा है, प्रयोग करते हुए उत्तरोत्तर अन्वेषण व्यधन कार्यों को नवम्बर, 1972 में आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

भारत की समस्त महाद्वीपीय तट-भूमि (रेती) में और भूकम्पीय सर्वेक्षणों को आरम्भ करने के लिए, भविष्य में एक उपयुक्त पोत के क्रय किये जाने की सम्भावना की खोज करने का प्रस्ताव है, जिसका हमारे प्रौद्योगकी विदों के फ्रांसीसी फर्म द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षणों के लिए किए गये प्रस्तावित समझौते में, साहचर्य से, जटिल अंगुलि भूकम्पीय उपकरण का प्रयोग करते हुए समुद्री भूकम्पीय सर्वेक्षणों में आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के पश्चात्, विभागीय तौर पर सर्वेक्षण कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

गुजरात में दूसरे तेल शोधक कारखाने के लिए योजनाएं

865. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में दूसरे तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, सरकार ने गुजरात में वर्तमान कोयाली परिष्करणशाला के विस्तार की वांछनीयता एवं सम्भाव्यता की जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बाढ़ पीड़ितों के लिये विदेशों से सहायता

866. **श्री पी० एम० मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाढ़-पीड़ितों के लिए विदेशों से कोई सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये अभी तक अमेरिका, जापान, नार्वे तथा नेपाल से लगभग 26 लाख रुपये की रकम प्राप्त हुई है। कुवैत ने चिकित्सा तथा राहत सम्बन्धी अन्य सामग्री की पेशकश की है। हाल में उड़ीसा में आये

तूफान से पीड़ितों व्यक्तियों की सहायता के लिये ब्रिटेन के कुछ प्रस्तावों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

रेड क्रास तथा अन्य स्वयंसेवी अभिकरणों के द्वारा कुछ सरकारों तथा कुछ गैर-सरकारी विदेशी संस्थाओं ने भी सहायता दी है।

जनरल याह्या खां द्वारा युद्ध की धमकियां

867. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनरल याह्या खां की युद्ध की धमकियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस खतरे का सामना करने के लिए देश पूर्ण रूप से तैयार है ;

(ग) यदि हां, तो देश की सीमाओं पर किसी चुनौती का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या किसी भी पाकिस्तानी आक्रामक कार्यवाही का जवाब देने के लिए सेना को स्थाई आदेश दिये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). सरकार को जनरल याह्या खां की युद्ध की धमकियों का पता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि देश तथा सशस्त्र सेनाएं धमकी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भावी तेल नीति के निर्धारण के लिए उच्चस्तरीय नीति निर्धारण निकाय की नियुक्ति

868. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपनी भावी तेल नीति के लिए मार्गोपाय निर्धारित करने के लिए एक उच्चस्तरीय नीति निर्धारण निकाय की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ; और

(ग) उक्त निकाय की क्या आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा निश्चित राशियों से अधिक धन निकालना

869. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगा देव :
डा० रानेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों द्वारा निश्चित राशियों से अधिक धन निकाले जाने की समस्या के बारे में अक्तूबर, 1971 में उनकी मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मंत्रियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया थी ; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). जिन राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट की रकमें ले रखी हैं, उनके राज्यपालों / मुख्य मंत्रियों के साथ अभी हाल ही में विचार-विमर्श हुआ है । ओवरड्राफ्टों के विषय में भारत सरकार को जो चिन्ता है, वह राज्यपालों/ मुख्य मंत्रियों ने भी व्यक्त की है, और इस बात से रजामंदी जाहिर की है कि ओवरड्राफ्टों को कम करने के लिये व्यय में बचत तथा अतिरिक्त साधनों का संग्रह आदि अनेक कदम उठाने की आवश्यकता है ।

Recovery of Arrears of Income Tax

870. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases outstanding for recovery of income-tax in the different income slabs during the last three years (year-wise) and the amount involved in each slab ; and

(b) the effective steps being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The break-up of the number of cases outsanding for recovery of income-tax in the different income slabs is not maintained. However, the information regarding the number of cases of outstanding demand in different ranges of arrears is available exclusive of Madhya Pradesh Charge and the same is given as per Annexure-A. Information regarding Madhya Pradesh Charge is being colleeted and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

The statement of amount involved in different ranges of arrears is given as per Annexure 'B'.

(b) The measures already taken by the Government for expeditious recovery of arrears of income-tax are enumerated in Annexure-C.

Statement
ANNEXURE—A

	(No. of cases) 1968-69	1969-70	1970-71
1. Outstanding demand up to Rs. 1 lakh in each case.	14,59,329	16,00,967	20,05,302
2. Over Rs. 1 lakh but not exceeding Rs. 5 lakhs.	5,261	4,871	4,601
3. Over Rs. 5 lakhs but not exceeding Rs. 10 lakhs.	872	810	775
4. Over Rs. 10 lakhs but not exceeding Rs. 25 lakhs.	439	487	474
5. Over Rs. 25 lakhs but not exceeding Rs. 50 lakhs.	113	155	137
6. Over Rs. 50 lakhs.	64	89	65
Total :—	14,66,078	*16,07,379	20,11,354

Note : *Excluding the cases of M. P. Charge.

Statement

ANNEXURE—B

	(Amount in lakhs of rupees) 1968-69	1969-70	1970-71
1. Outstanding demand upto Rs. 1 lakh in each case.	39114	42640	40736
2. Over Rs. 1 lakh but not exceeding Rs. 5 lakhs.	12314	10525	9665
3. Over Rs. 5 lakhs but not exceeding Rs. 10 lakhs	6733	6194	5400
4. Over Rs. 10 lakhs but not exceeding Rs. 25 lakhs.	7582	7888	7117
5. Over Rs. 25 lakhs but not exceeding Rs. 50 lakhs.	4053	4997	4909
6. Over Rs. 50 lakhs.	7644	10081	6050
Total :—	77440	*82305	73877

Note : *Excluding the figures of M. P. Charge.

Statement

ANNEXURE—C

The following specific measures have been taken by the Government for recovery of arrears :—

(i) Taking over of recover work hitherto done by officials of the State Governments. The Departmental Officers have taken over the tax recovery work fully or partly in all Commissioners' charges.

(ii) The Functional Distribution Scheme under which the work of collection of taxes has been made the specific function of one or more income-tax officers in the Range was introduced in 1966 and has been further extended during last year.

(iii) Sixty posts of Income-Tax Officers (Collections) were sanctioned last year by the Government for attending to the work of liquidation of arrear demands.

(iv) Acceptance of crossed cheques by the Department and opening of special receipt counters for this purpose in the Income-tax Offices.

(v) Publication of names of assessees who are defaulters in the payment of taxes over certain prescribed limits.

(vi) Arrear Clearance Fortnights are being observed all over the country. During the period, special emphasis is laid on carrying out pending adjustments/rectifications, giving effect to appellate orders and collecting the net demands due from the assessees.

(vii) Five Tax Recovery Commissioners have recently been posted in Calcutta, Kerala, Delhi, Nagpur and Hydrabad. In addition to administrative jurisdiction over Tax Recovery Officers, they will also have appellate jurisdiction with effect from 1.1.72 to hear appeals against the orders of the Departmental Tax Recovery Officers. Further some Additional Commissioners of Income-tax are in exclusive charge of recovery work.

इंडियन एयरलाइंस द्वारा जिन मार्गों पर विमान नहीं चलाये जाते उन मार्गों के लिये गैर-सरकारी चालकों को परमिट देने का निर्णय

871. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन मार्गों पर, जिन पर इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमान नहीं चलाये जाते, गैर-सरकारी चालकों को विमान चलाने के परमिट देने का निर्णय किया था ;

(ख) अब तक ऐसे कितने परमिट दिये गये हैं ;

(ग) किन मार्गों के लिये अनुमति दी गई थी ;

(घ) क्या सभी परमिटधारी उन मार्गों पर विमान चला रहे हैं, जो उनको अलाट किये गये थे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनमें से कुछ के द्वारा परमिटों का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) वायुयान नियम, 1937 के अनुसार निजी परिचालकों को, अनुसूचित अथवा अननुसूचित आधार पर किन्हीं मार्गों पर विमान परिवहन सेवाएं परिचालन करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे नियमों में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं, और यदि इंडियन एयरलाइंस स्वयं उन मार्गों पर परिचालन करने की स्थिति में नहीं है।

(ख) यद्यपि अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने के लिये अभी तक कोई परमिट नहीं दिया गया है, फिर भी, 11 निजी परिचालकों के पास अननुसूचित उड़ानें परिचालित करने के परमिट हैं जो कि 31 मार्च, 1972 तक वैध हैं।

(ग) और (घ) . फिलहाल 11 परिचालकों में से केवल एक, अर्थात्, जापेयर कम्पनी निम्नलिखित मार्गों पर अननुसूचित आधार पर उड़ानों का परिचालन कर रही है :–

(i) कलकत्ता—अगरतला ;

(ii) कलकत्ता—जलपाइगुडी, पुर्निया के मार्ग से।

(iii) कलकत्ता—जलपाइगुडी—तेलीपाड़ा—ग्रासमोर—भातपाडा—न्यूलैंड्स।

(ङ) इन परिचालकों में से कुछ 'एरियल वर्क' में लगे हुये हैं। बहरहाल, यह अननुसूचित परमिटधारी की इच्छा पर निर्भर है कि वह चाहे तो परिचालन करे या न करे।

देश में नेफ्था की आवश्यकता

872. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेफ्था की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) यूनिट वार यह आवश्यकता कितनी है ;

(ग) देश में इसकी कुल वार्षिक उपलब्धि कितनी है ;

(घ) कोचीन (केरल) तेल शोधक कारखाने से यह कितनी मात्रा में उपलब्ध है ; और

(ङ) प्रति वर्ष इसका कितनी मात्रा में आयात करना होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) देश में पूर्वानुमानित नेफ्था की वार्षिक मांग इस प्रकार है :–

(000 मीटरी टन)

1971	1972	1973	1974	1975
1360	1789	2407	3071	3584

(ख) यूनिट-वार पूर्वानुमानित आवश्यकताएं परिशिष्ट 1 में दिखाई गई हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1055/71**]

(ग) देश में प्राप्य वार्षिक पूर्वानुमानित मात्रा इस प्रकार है :

1971	1972	1973	1974	1975
1573	1562	1759	1889	2290

(घ) कोचीन शोधनशाला (केरल) से प्राप्य सम्भावित मात्रा इस प्रकार है :

1971	1972	1973	1974	1975
186	170	221	206	190

(ङ) वार्षिक आयात की जाने वाली पूर्वानुमानित कमी इस प्रकार है :—

1971	1972	1973	1974	1975
—	227	648	1182	1294

सार्वजनिक जमाकर्ताओं के साथ कारोबार करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा न्यू दिल्ली कोआपरेटिव बैंक, खारी बावली को दिये गये निदेश

873. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री हरी किशोर सिंह :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 22 अक्तूबर, 1971 को न्यू दिल्ली कोआपरेटिव बैंक, खारी बावली को सार्वजनिक जमाकर्ताओं के साथ कोई कारोबार न करने के निदेश दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदेश देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) . भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू दिल्ली कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिल्ली को 16 अक्तूबर, 1971 को यह सूचना देते हुए एक नोटिस दिया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 जैसा कि वह सहकारी समितियों पर लागू होता है, की धारा 22 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार इसको भारत में बैंक सम्बन्धी व्यवसाय करने का

लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। इस मनाही से बैंक के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 5 (ख) की परिभाषा के अनुसार बैंक व्यवसाय सम्बन्धी लेन-देन बन्द कर दे। यह निर्णय इसलिये किया गया क्योंकि बैंक का कामकाज वस्तुतः बिलकुल रुक गया था और इसकी वित्तीय स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि बैंक के बने रहने की सम्भावना नहीं है।

सहकारी समिति, दिल्ली के उप-रजिस्ट्रार द्वारा इस बैंक को 12-10-71 को समापनाधीन भी कर दिया गया है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

874. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने वर्ष 1970-71 में देश के लिये विदेशी मुद्रा का अर्जन किया है और यदि हां, तो कितनी ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में इसने कितना लाभ कमाया था और आगामी वर्ष में कितना लाभ कमाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। यह अनुमान है कि भारत पर्यटन विकास निगम ने विभिन्न क्रियाकलापों के कारण 250 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

(ख) अर्जित लाभ नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	निवल लाभ
1969-70	*2.65 लाख रुपये
1970-71	22.56 लाख रुपये

*अशोक होटल्ज लिमिटेड तथा जनपथ होटल्ज लि० का भारत पर्यटन विकास निगम के साथ 28 मार्च, 1970 को विलय किया गया था। अतः वर्ष 1969-70 में इन होटलों द्वारा अर्जित 11.67 लाख रुपये के निवल लाभ को इन आंकड़ों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सैंट्रल बैंक आफ इंडिया, नयी दिल्ली में कथित धोखा धड़ी

875. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंट्रल बक नई दिल्ली में हुई लगभग तीन लाख की धोखा धड़ी के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी और क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो जांच के क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) . सितम्बर, 1971 में एक विशेष लेखापरीक्षा के दौरान सैंट्रल बैंक आफ इंडिया की जनपथ शाखा में एक जालसाजी का मामला सामने

आया। बैंक द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार जालसाजी की कार्य प्रणाली यह थी कि एक यात्रा अभिकरण (ट्रेवल एजेंसी) द्वारा किसी पार्टी के पक्ष में काटे गये चेक जब क्लियरिंग से बिना भुगतान के वापस आ जाते थे तो वे चेक पार्टी को लौटाने के बजाय क्लियरिंग विभाग में ही रख लिये जाते थे। क्लियरिंग को हिसाब किताब बराबर रखने के लिये जालसाजी से रकम स्थानीय शाखाओं के नाम डाल दी जाती थी। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि जिन चेकों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और जिनका सम्बन्ध उस जालसाजी से है, उनकी कुल रकम लगभग 2.98 लाख रुपये है।

मामला पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। पता चला है कि पुलिस ने इस जालसाजी के सम्बन्ध में अभी तक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स के कार्य के बारे में किया गया सर्वेक्षण

876. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद ने एक सर्वेक्षण किया था जिससे यह विदित होता है कि इंडियन एयरलाइंस में समय पालन नहीं किया जाता तथा उसमें अदक्षता है और यात्रियों की उपेक्षा की जाती है और उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . उस समय जब कि इंडियन एयरलाइंस के सामने बहुत सी श्रमिक समस्याएं उपस्थित थीं, भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद ने अपनी स्वेच्छा से अनुसंधान प्रायोजना के रूप में एक सम्मति सर्वेक्षण किया था। इससे अच्छाइयां और कमजोरियां दोनों सामने आईं तथा जहां कहीं सम्भव है, कार्पोरेशन कमियों को दूर करने के लिये कार्रवाई कर रही है।

राज्यों के साथ वित्तीय सम्बन्ध

877. **श्री दशरथ देब :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 और 14 अक्तूबर 1971 को उन्होंने केन्द्र और राज्य की वित्तीय समस्याओं के सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई ; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). 13 और 14 अक्तूबर, 1971 को कतिपय राज्यों के राज्यपालों/मुख्यमंत्रियों से जो विचार विमर्श हुआ था, उसका सम्बन्ध उन राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जमा से अधिक ली जाने वाली रकमों (ओवर ड्राफ्ट) की समस्या से था। राज्यपालों/मुख्यमंत्रियों ने भी राज्यों द्वारा जमा से अधिक ली जाने वाली रकमों

के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ-साथ चिन्ता प्रकट की और इस बात से रजामंदी जाहिर की कि ओवर ड्राफ्टों को कम करने के लिये, व्यय में कमी करने तथा अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों समेत और बहुत से उपाय भी करने पड़ेंगे ।

घाटे की अर्थ व्यवस्था

878. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में घाटे की अर्थ व्यवस्था एक ऐसे स्तर को छूने लगी है जो पहले कभी नहीं हुआ ;

(ख) यदि हां, तो यह किस सीमा तक है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद, जिसमें 232 करोड़ रुपये का घाटा अपूरित छोड़ दिया गया था, दिसम्बर, 1971 के अन्त तक बंगला देश के शरणार्थियों का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिये 200 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था । इस अतिरिक्त व्यय में से 50 करोड़ रुपये की पूर्ति शरणार्थियों पर व्यय के लिये प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता से की जानी थी । शरणार्थियों का तांता अब भी जारी है । इसके अलावा, दैवी विपत्तियों के कारण होने वाले व्यय के लिये राज्यों को भी अनुमान से अधिक सहायता देनी होगी । दूसरी ओर, इस बात की भी संभावना है कि राजस्वगत और पूंजीपति, दोनों प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक होंगी । इनके संयुक्त परिणामस्वरूप, चालू वर्ष में बजट का घाटा बजट में दी गयी राशि से अधिक हो सकता है । किन्तु इस समय घाटे की संभावित मात्रा बताना संभव नहीं है ।

(ग) अतिरिक्त साधन जुटाने, राजस्व में वृद्धि करने और जहां जहां सम्भव हो, खर्च में कमी करने के लिये कुछ उपाय आरम्भ किये जा चुके हैं । समग्र स्थिति की समीक्षा बराबर की जा रही है ।

भारत को बेचे गये सीकिंग हैलीकाप्टर

879. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'रविवारीय टेलीग्राफ' के 29 अगस्त, 1971 के संस्करण में प्रकाशित तथा 'स्टेटस्मैन' के 30 अगस्त, 1971 के संस्करण में उद्धत इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत को बेचे गये सीकिंग हैलीकाप्टर जो कि ध्वनि तरंगों द्वारा छिपी वस्तुओं का पता लगाने वाले उपकरणों से और स्वचालित उड़ान नियंत्रण पद्धति से युक्त है तथा रूस के पास प्राप्त

हैलीकाप्टरों से दस वर्ष अग्रणी है, की गोपनीयता का भारत-रूस संधि के अधीन रूस को पता चलने की सम्भावना पर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यक्त किये जाने के बारे में बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). कोई भी वर्गीकृत सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है । इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कहा हो ।

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

880. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को बाढ़ सहायता के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 110 करोड़ रुपये की राशि के लिये अनुरोध किया था ;

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रार्थना को पूरी तरह से पूरा कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बाढ़ राहत कार्यों के सम्बन्ध में तीनों राज्यों को देय केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिये निर्धारित व्यय की अधिकतम राशियां इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	व्यय की अधिकतम राशि
1. बिहार	46.275*
2. पश्चिम बंगाल	31.51
3. उत्तर प्रदेश	33.90*

(ख) से (घ). उत्तर प्रदेश सरकार, समय-समय पर, बाढ़ राहत सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के खर्च के सम्बन्ध में अपना अनुमान प्रस्तुत करती रही है और उसका नवीनतम अनुमान 116 करोड़ रुपया है । केन्द्रीय दलों की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने अब तक विभिन्न राहत, पुनर्वास और मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिये व्यय की अधिकतम सीमा 33.90 करोड़ रुपया निर्धारित की है । किन्तु इस अधिकतम सीमा में संशोधन किया जा सकता है ।

*इनमें संशोधन किया जा सकता है ।

पश्चिम बंगाल के आयुध कारखाने के कर्मचारियों का बर्खास्त किया जाना

881. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री प्रियरंजनदास मुन्शी :
श्री इंद्रजीत गुप्त :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के आयुध कारखाने के 32 कर्मचारियों को बिना कारण बताये तथा अपने बचाव में कुछ कहने का अवसर नहीं दिये बिना ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह निर्णय 17 सितम्बर से 19 सितम्बर, 1971 तक अरूवनकाडु में हुई आयुध कारखानों के महानिदेशक की औद्योगिक परिषद की बैठक के बाद लिया गया जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधियों और आयुध कारखानों के महानिदेशक के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण मामलों पर सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकृत किये गये थे ;

(घ) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने मंत्रालय की एक पक्षीय कार्रवाई का विरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). संविधान की धारा 310 (1) के अन्तर्गत 12 व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया गया था तथा 20 व्यक्तियों की सेवा सेन्ट्रल सिविल सरविस (टेम्पोररी सरविसेज) रूल्स के रूल 5 के अन्तर्गत उनकी आवश्यकता न होने के कारण, समाप्त कर दी गई ।

(ग) उपरोक्त कर्मचारियों पर आदेश का तामील 5-10-1971 को किया गया । यह निर्णय 19 सितम्बर, 1971 को अरुवलादु में हुई औद्योगिक काउंसिल की बैठक के पर्यालोचन से स्वतन्त्र था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सारे सम्बन्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद उक्त निर्णय लिया गया ।

पश्चिम बंगाल के आयुध कारखानों के उत्पादन में वृद्धि

882. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री प्रियरंजन दास मुन्शी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल स्थित सभी आयुध कारखानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण कार्यवाही के कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी हां। पश्चिम बंगाल में स्थित आर्डिनेंस फैक्टरीज के उत्पादन में वृद्धि का रुख अप्रैल से अक्तूबर 1971 में उसी समय की गत वर्ष की अवधि की तुलना में उर्ध्वगामी रहा है। उर्ध्वगामी उत्पादन का मुख्यतया कारण मिश्रित धातु तथा हाई स्पीड स्टील तथा टूलिंग इत्यादि की बड़ी कमी का दूर हो जाना है।

तथापि और अधिक उत्पादन किया जा सकता था जो कि कुछ कर्मचारियों की कुछ लगातार अनुशासनहीनता तथा धीमे काम करो चालों के कारण न हो पाया।

Missing Important Documents Pertaining to Western Border

883. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that important documents pertaining to our Western borders are missing ; and

(b) if so, whether Government have succeeded in retracing them ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) Some of the missing documents have been recovered.

Financial assistance to U. P. for Flood Victims

884. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government is providing assistance for flood affected areas in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the amount of assistance given during the last three years ;

(c) whether the State Government of Uttar Pradesh have requested the Central Government for sending another inspection team to inspect the flood affected areas ;

(d) whether such a team has been sent and if so, what is the report of the team ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Ganesh) : (a) and (b). The Central assistance given to the Government of Uttar Pradesh towards their expenditure on flood relief measures since 1969-70 has been as follows :

(Rs. in crores)

1969-70	1.90 (includes drought relief measures)
1970-71	4.50
1971-72 (so far)	3.00

In addition, during the current year short-term loans amounting to Rs. 15 crores have been given to the Sate Government for financing of agricultural inputs like seeds and fertilisers. Further release of funds to the State Government will be done on the basis of progress of expenditure reported by it on the basis of the ceiling recommended by the Central team.

(c) and (d). These Central teams have, on the request of the State Government, visited Uttar Pradesh this year for the assessment of the requirement of funds for various flood relief measures, for purposes of Central assistance.

(e) On the basis of the recommendations of the Central teams, the Government of India have so far already accepted a ceiling of expenditure of Rs. 33.90 crores on various relief, rehabilitation and repair measures, for purposes of Central assistance. This ceiling is, however, subject to review.

Loans to partners and proprietors of the Hindi Daily 'Avantika' from Nationalised Banks

885. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the partners and proprietors of the Hindi daily 'Avantika' published by the Mehta and Mohan Printing Press have taken loans involving huge amounts from various nationalised banks ;

(b) if so, the partners in whose names loans have been taken and the amount of loan taken by each of them ;

(c) when the said loans were taken, the terms and conditions attached to them and the terms of repayment thereof ; and

(d) the loan arrears to be realised at present ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (d). The information relates to the accounts of individual constituents of banks and in accordance with the practices and usages customary among bankers and also in conformity with the provision of Section 13 (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, such information is not divulged.

Payment of Income-Tax by M/s. Mehta Printing Press Ujjain and 'Daily Avantika'

886. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax paid by Mehta Printing Press and the 'Daily Avantika' so far, keeping in view its circulation ; and

(b) the capital invested in Mehta Printing Press, Ujjain and 'Daily Avantika' separately at present and the names of their partners and managers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). Mehta Printing Press and 'Daily Avantika' are not assessed to income-tax. In the circumstances information regarding part (b) of the question is not available.

भारतीय रुपये का मूल्य

887. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान, पश्चिम जर्मनी, स्विटजरलैण्ड, फ्रांस, वेलजियम और नीदरलैण्ड की दुर्लभ मुद्रा के मुकाबले में भारतीय रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, फ्रांस, वेल्जियम और नीदरलैण्ड की मुद्राओं को विनिमय दरों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की निधि की सम-मूल्य दर से I

प्रतिशत तक के मार्जिन से ऊंची दर पर चलने की अनुमति दी गई है तथा उनका वर्तमान मूल्य इस प्रकार है :—

	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि 15-11-1971 को	
	सम-मूल्य दर रुपये	**विनिमय दर** रुपये
एक येन	0.021	0.023
एक ड्यूश मार्क	2.049	0.260
एक वेल्जियम फ्रेंक	0.15	0.16
एक नीदरलैण्ड गिल्डर	2.071	2.260

10 मई 1971 से स्विस फ्रैंक का पुनर्मूल्यन कर दिया गया तथा इसकी मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि सम-मूल्य दर एक स्विस फ्रैंक—1.836 रुपये हैं।

जहां तक फ्रांसीसी फ्रैंक का सम्बन्ध है, सरकारी लेन देनों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की सम-मूल्य दर ही लागू होती है तथा अन्य लेन-देनों के लिये विनिमय की दर अनुमत मार्जिनों से ऊपर जा सकती है। भारतीय रुपये की तुलना में फ्रांसीसी फ्रैंक की वर्तमान विनिमय दर इस प्रकार है :—

	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि सम-मूल्य दर	**15-11-71 को विनिमय दर**
एक फ्रेंच फ्रेंक	1.350 रुपये	1.365 रुपये

महाराष्ट्र के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये आर्थिक सहायता

888. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने मराठावाड़ सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये महाराष्ट्र सरकार को कितनी राशि की सहायता दी है ; और

(ख) वर्षा न होने के कारण इस क्षेत्र की फसलों को हुए नुक्सान का क्या अनुमान लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) राहत कार्यों पर व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य के लिए दी जाती है। तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार को, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान अब तक, समग्र रूप से राज्य में सूखा राहत सम्बंधी उपायों के लिए, 26 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है, जिसमें 12 करोड़ रुपये का एक अल्पावधिक ऋण भी शामिल है, जो कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के लिए दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि 1971-72 संबंधी "अनिवारी" अभी पूरी की जानी है ; खरीफ "अनिवारी" हर साल दिसम्बर में होती है और 1971-72 के आंकड़े इसी कारण अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इंजीनियरों और चिकित्सा स्नातकों को ऋण दिया जाना

889. **श्री वी० आर० शुक्ल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कितने इंजीनियरों और चिकित्सा स्नातकों ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं ; और

(ख) उपर्युक्त वर्गों के कितने व्यक्तियों को ऋण दिये गये थे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह सम्भव सीमा तक इकट्ठी करके सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में रिक्शा चालकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

890. **श्री वी० आर० शुक्ल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ रिक्शा चालकों की राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रिक्शा खरीदने के लिये ऋण दिये गये हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कहां के रहने वाले हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : राष्ट्रीयकृत बैंक, रिक्शा चालकों को दिये जाने वाले ऋणों के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखते। तथापि जून, 1971 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1434 लेखों के अन्तर्गत परिवहन चालकों को मंजूर किये गये ऋणों में से 281.34 लाख रुपये बकाया थे ; इन परिवहन चालकों में रिक्शा चालक भी शामिल हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण

891. **श्री वी० आर० शुक्ल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे किसानों को ऋण दिये गये हैं, जिनके फार्म ऐसे बैंकों के स्थान से 10 मील से अधिक दूरी पर स्थिति हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जी, हां। राष्ट्रीयकरण के तत्काल बाद कुछ बैंकों ने दूर-दूर फैले क्षेत्रों में किसानों को ऋण दिये थे। उन्हें अनुभव से पता चला कि ऐसा करने से वे ऋणों के उपयोग का प्रभावकारी ढंग से पर्यवेक्षण नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने निकट क्षेत्रों को ही अपनाया अर्थात् उन्हीं किसानों और अन्य व्यक्तियों को ऋण दिये जा सकते थे जो बैंक कार्यालय से लगभग 10 मील के घेरे में थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यही सुझाव दिया था।

किसानों को ऋण देने के लिए बैंक, दूरी की एकसमान सीमा क सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्तों का पालन नहीं करते। प्रत्येक बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि ऋण मंजूर करने से पहले ऋण संबंधी आवेदन-पत्रों की उपयुक्त छानबीन करने में और ऋण देने के बाद ऋणों के अन्तिम उद्दिष्ट उपयोग के पर्यवेक्षण और इसकी वसूली में खेत की दूरी रुकावट तो नहीं डालेगी। इस विचार के अनुसार 10 मील के घेरे में आने वाले क्षेत्र को सामान्यतः ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिसका प्रबंध किया जा सकता है।

जिले बहराइच में लीड बैंक

892. **श्री वी० आर० शुक्ल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को ऋण सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के लिये बहराइच जिले में एक से अधिक लीड बैंक खोलने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : प्रत्येक जिले के लिये केवल एक लीड बैंक होता है। किसी एक जिले में विभिन्न बैंकों की कितनी शाखाएं खोलनी है, इसका निश्चय लीड बैंक द्वारा किये गये जिले के सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। बहराइच जिले में एक और लीड बैंक खोलने का कोई विचार नहीं है।

पश्चिम बंगाल में मुर्शीदाबाद महल और गौड़ में पर्यटकों के आकर्षण के लिये उपाय

894. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि उचित देख-रेख की कमी के परिणामस्वरूप मालदा (पश्चिम बंगाल) में मुर्शीदाबाद महल और 'गौड़' का आकर्षण कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन ऐतिहासिक स्थानों में पर्यटकों की आकर्षण वृद्धि के लिये उनका मंत्रालय राज्य पर्यटन विभाग से परामर्श करके क्या विशेष कदम उठा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मालदा (पश्चिम बंगाल) में मुर्शीदाबाद महल तथा गौड़ के आकर्षण के विषय में सरकार को जानकारी है परन्तु साधनों के सीमित होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस समय सुधार की योजनाओं को हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

ईशापुर गन एण्ड शैल फैक्ट्री के उत्पादन में कमी

895. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईशापुर गन एण्ड शैल फैक्ट्री में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उत्पादन कम हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जी नहीं। रायफल फैक्ट्री ईशापुर तथा गन शैल फैक्ट्री, काशीपुर में उत्पादन वास्तव में, अप्रैल से अक्तूबर 1971 तक, पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में, उर्ध्वव्यापी रहा है। तद्यपि, और अधिक उत्पादन किया जा सकता था जोकि निरन्तर अनुशासनहीनता तथा कुछ कामगरों द्वारा धीरे काम करने की युक्ति के कारण न हो सका।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Flood Water in Danapur Cantonment

896. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Danapur Cantonment remained submerged in flood water for many days during the recent floods in Bihar ;

(b) if so, whether roads were also damaged there on account of floods ;

(c) if so, the action taken by Government to remedy the situation in this regard ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to save the Cantonment from the onslaught of the floods ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Due to heavy rains and unprecedented floods during August and September 1971, parts of Dinapore Cantonment were submerged upto 3 to 4 feet damaging Cantonment Fund roads, drains and buildings.

(c) A sum of Rs. 91,000/- has been sanctioned as special financial assistance for repairing the damage caused to roads and drains by flood.

(d) The problem of flood production is not restricted to Dinapore Cantonment area, and has to be considered on an overall basis by the Ministry of Irrigation and Power in consultation with the State Governments concerned.

Sustaining of Heavy Losses by Barauni Oil Refinery

897. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Barauni Oil Refinery has been sustaining heavy losses every month ;

(b) if so, the monthly loss and the reasons therefor ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to stop the recurrence of such losses ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) No. Sir.

(b) and (c). Do not arise.

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा सरकार द्वारा आयायित अपरिष्कृत तेल का शोधन करने से इंकार

898. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने सरकार द्वारा आयातित अपरिष्कृत तेल का शोधन करने से इंकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तेल शोधन सम्बन्धी सरकार की मांग को पूरा करने के लिये तेल कम्पनियों को विवश करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). शोधनशाला-करारों के अन्तर्गत विदेशी तेल कम्पनियों को अपनी शोधनशालाओं के लिए अपने निजी क्षेत्रों से अशोधित तेल के आयात का अधिकार है । शोधनशाला-करारों के पुनरीक्षण का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

मैसर्स सोना सिंह एण्ड संस मोतिया खां दिल्ली द्वारा कर अपवंचन

899. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोतिया खां वेलफेयर एसोसिएशन के सैक्रेटरी से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें मैसर्स सोना सिंह एण्ड संस, मोतिया खां, नई दिल्ली द्वारा कर अपवंचन सम्बन्धी ब्यौरा दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने ज्ञापन पर विचार किया है और जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार और प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन

900. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व स्वीकृति लिये बिना ऋण पत्र जारी करके एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रश्न पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का संकेत सम्भवतः मैसर्स केशोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश स्थित उसके दूसरे सीमेंट संयंत्र के वित्तपोषण के लिये 150 लाख रुपये के मूल्य के ऋण पत्र जारी किये जाने की ओर है । इन ऋण पत्रों को जारी करने के लिये एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पूर्व-स्वीकृति का लिया जाना आवश्यक था या नहीं, इस प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है । सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मामले में ऐसी किसी पूर्व-स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऋण पत्र जारी करने का सम्बन्ध उस विस्तार कार्यक्रम से था जिसके विषय में प्रभावी कदम 19 फरवरी, 1970 से पहले उठाये गये थे ।

(कम्पनी को इसी आधार पर, उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अधीन कार्य करने का लाइसेंस (सी० ओ० बी०) दिया गया था) और इस प्रकार यह विस्तार-कार्य एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम के, जो पहली जून को लागू हुआ था, उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता ।

पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए चार स्टार वाले होटल खोलने की स्वीकृति

901. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कुछ प्रमुख नगरों में चार स्टार वाले होटल खोलने की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ये होटल किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे और उन फर्मों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ऐसे होटल खोलने की योजना प्रस्तुत की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). होटलों को स्टार-वर्गीकरण उनके कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् प्रदान किया जाता है। निजी क्षेत्र में उच्च-वर्गीकरण के लिए अपेक्षित योग्यता सम्पन्न 21 होटल प्रायोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इनके स्थानों तथा पार्टियों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। सरकारी क्षेत्र में, भारत पर्यटन विकास निगम की गुल्मर्ग, कलकत्ता विमान क्षेत्र, औरंगाबाद तथा कोवालम में होटल और गोवा में पर्यटक कुटीरें बनाने की योजनाएं हैं। बंगलौर में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल अशोक ने 1-5-71 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और नई दिल्ली में होटल अकबर इस वर्ष के अन्त में चालू कर दिया जायेगा। एयर इंडिया की भी बम्बई में दो होटलों का निर्माण करने की योजनाएं हैं।

विवरण

पार्टी का नाम	स्थान
1. पीयम होटल्स प्रा० लि०	बम्बई
2. इंडियन होटल्स कम्पनी लि०	बम्बई
3. ईस्ट इंडिया होटल्स कं० लि०	बम्बई
4. मैट्रोपोलिटन होटल्स लि०	बम्बई
5. एलेल होटल्स इंवेस्टमेंट्स प्रा० लि०	बम्बई
6. एल्लम्स अडवानीज होटल्स लि०	बम्बई
7. होटल होरीजन प्रा० लि०	बम्बई
8. होटल होल्डिंग्स प्रा० लि०	बम्बई
9. डी० एल० एफ० होटल्स लि०	दिल्ली
10. बीरेन रॉय ट्रस्ट	कलकत्ता
11. होटल गणेश प्रा० लि०	मद्रास
12. अड्यार गेट होटल प्रा० लि०	मद्रास
13. ओरियन्टल होटल लि०	मद्रास
14. शाहंशाह होटल्स लि०	आगरा
15. जी० एल० होटल्स लि०	औरंगाबाद
16. यू० पी० होटल्स एण्ड रेस्टोरेंट्स लि०	जयपुर
17. आर० के० होटल्स प्रा० लि०	जयपुर
18. रामप्रिय होटल्स प्रा० लि०	बंगलौर
19. यू० पी० होटल्स एण्ड रेस्टोरेंट्स लि०	लखनऊ
20. एच० एच० महाराजा आफ वाराणसी	वाराणसी
21. शिव महल पैलेस होटल प्रा० लि०	बड़ौदा

गैर-बैंककारी कम्पनियों को बैंककारी पद्धति के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में बैंककारी आयोग के पेनल द्वारा जांच

902. **श्री निहार लास्कर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-बैंककारी कम्पनियों को बैंककारी पद्धति के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर विचार के लिये एक बैंककारी आयोग के पेनल की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) बैंकिंग आयोग ने इस प्रयोजन के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया था ।

(ख) बैंकिंग आयोग का प्रतिवेदन दिसम्बर, 1971 के अन्त तक सरकार के पास पेश किया जाना है ।

इंडियन एयर लाइन्स द्वारा नई सेवाएं आरम्भ करना

903. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइन्स ने चालू वर्ष में अब तक किन-किन स्थानों से नई विमान सेवाएं चालू की हैं ; और

(ख) निकट भविष्य में किन-किन स्थानों से सेवाएं चालू करने पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयर लाइन्स ने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित नये स्टेशनों को जोड़ा है :—

नासिक
रायपुर
जोधपुर
मुजफ्फरपुर और
दीमापुर

(ख) इंडियन एयरलाइन्स तिरुपति के लिये सेवायें वहां का विमान क्षेत्र तैयार होने पर परिचालित करेंगे ।

देश में अधिक दूरी तक मार करने वाली बन्दूकों का उत्पादन

904. **श्री सरजू पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अधिक दूरी तक मार करने वाली बन्दूकों का उत्पादन देश में ही कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ये बन्दूकें लगभग कितनी दूर तक मार कर सकेंगी ;

(ग) क्या इनमें से कुछ फोलडिंग बन्दूकें भी होंगी ;

(घ) भारतीय सेना के रण क्षेत्र में प्रयोग के लिये ये बन्दूकें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ; और

(ङ) क्या ये बन्दूकें विमान भेदी और टैंक भेदी बन्दूकों का भी काम दे सकेंगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय सेना में प्रयोग होने वाली विभिन्न रेंज की गनें हैं। माउन्टेन, फील्ड, मिडियम तथा हैवी गन हैं।

(i) हम लोग माउन्टेन गन 75/24 पैक को उत्पादित कर रहे हैं जोकि स्वदेश की डिजाइन तथा निकाय पर आधारित है।

(ii) स्वदेशी फील्ड गन का डिजाइन का विकास किया जा चुका है। उसके थोक उत्पादन के लिए परियोजना संस्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(iii) मिडियम गनों के निर्माण की कोई योजना नहीं है, जो कि आयात की जाती है। मिडियम गनों की बैरलों को स्वदेश में तथापि उत्पादित किया जा रहा है।

(iv) हैवी गन के डिजाइन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इन गनों का रेंज बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) हमारी माउन्टेन गनें पैक डिजाइन की हैं तथा खिच्चरों के द्वारा ले जाई जा सकती हैं। फील्ड, मिडियम तथा हैवी गनें इस प्रयोजन की नहीं हैं।

(घ) (i) माउन्टेन गनें उत्पादन के अन्तर्गत हैं।

(ii) इस गन के उत्पादन कार्यक्रम को बताना लोक हित में नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

भारत स्थित अमरीकी तेल कम्पनी की नीति के बारे में श्री एस० एस० खरे का वक्तव्य

905. **श्री अजित कुमार शाहा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व मंत्रिमंडल, सचिव तथा सरकारी उद्यम संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस० एस० खरे के उस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि भारत स्थित एक अमरीकी तेल कम्पनी ने भारत सरकार के किसी अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि अमरीकी राज्य विभाग उस सुझाव के विरुद्ध था, जैसाकि 29 अगस्त, 1971 के "पैट्रीयाट" में समाचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है ;

(ग) इस इन्कार के लिए उक्त अमरीकी तेल कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार ने अमरीकी राज्य विभाग के कार्यवाही के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ). रिपोर्ट में जो प्रेस में प्रकाशित हुई थी, कथित घटना के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया था । इस विवरण के बिना, सूचना देना संभव नहीं है ।

पर्यटक आकर्षण के लिये महाकवि सूरदास के जन्म स्थान का विकास

906. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाकवि सूरदास के जन्म स्थान (बल्लबगढ़ के निकट) को पर्यटक आकर्षण के लिए विकसित करने पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस समय तक इसका विकास हो जायेगा और इस पर कितनी धनराशि चें होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एयर इंडिया न्यूयार्क के लिए जम्बो विमान की उद्घाटन उड़ान में शामिल होने के लिए संसद सदस्यों को निमंत्रण

907. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने न्यूयार्क के लिए जम्बो विमान की उद्घाटन उड़ान में शामिल होने के लिए कुछ संसद सदस्यों को निमंत्रित किया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उन संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले नये विदेश यात्रा-कर दिये जाने के संबंध में कोई विवाद उठा था ; और

(ग) क्या उस कर की अदायगी कर दी गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) 17 अक्तूबर तथा 31 अक्तूबर, 1971 को होने वाली दो बम्बई/न्यूयार्क उद्घाटकीय उड़ानों के लिए एयर इण्डिया ने संसद के 40 सदस्यों को निमंत्रित किया था । इनकी एक सूची संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उद्घाटकीय उड़ानों को पूर्णतया मितव्ययिता श्रेणी के रूप में परिचालित किया गया था । मितव्ययिता श्रेणी में यात्रा करने वाले निमंत्रित यात्री यात्रा-कर से मुक्त हैं ।

विवरण

सूची-I

17 अक्तूबर, 1971-प्रथम बम्बई/न्यूयार्क उद्घाटकीय उड़ान-उन संसद सदस्यों के नाम, जिन्हें दिल्ली के बाहर से निमंत्रित किया गया था।

1. श्री शंकर दयाल सिंह
2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री बिभूति मिश्र
4. श्री मनीराम गोडारा
5. श्री सुबोध हंसदा
6. श्री मोहिन्दर सिंह गिल
7. श्री चौधरी राम सेवक
8. श्री एस० ए० शमीम
9. श्री ज्योतिर्मय बसु
10. श्री एस० एम० सोलंकी
11. श्री पी० के० देव
12. श्री विजयपाल सिंह
13. श्री लोकनाथ मिश्र
14. श्री ब्रह्मानन्द पंडिया
15. श्री एम० श्रीनिवास रेड्डी
16. श्री आर० एस० पंचहजारी
17. श्री मेलहुपरा वेरो
18. श्री पी० सी० मित्र
19. श्री गोड़े मुराहरी
20. श्री चौधरी साधो राम

विवरण-II

सूची-II

31 अक्तूबर, 1971-द्वितीय बम्बई/न्यूयार्क उद्घाटकीय उड़ान-उन संसद सदस्यों के नाम, जिन्हें नई दिल्ली के बाहर से निमंत्रित किया गया था।

1. श्री पुरुषोत्तम काकोदर
2. श्री जेड० एम० काहमडोले
3. श्री ए० पी० शर्मा
4. श्री नवल किशोर शर्मा
5. श्री एस० एम० कृष्णा

6. श्री डी० एस० अफजलपुरकर
7. श्रीमती मिनिमाता अगमदास गुरु
8. श्री के० गोपाल
9. श्री शम्भु नाथ
10. श्री पी० वेंकटसुबैय्या
11. श्रीमती सावित्री श्याम
12. श्रीमती गंगा देवी
13. राजमाता वी० आर० सिंधिया
14. श्री जी० विश्वनाथन्
15. श्री मधु दंडवते
16. श्री एन० के० भट्ट
17. श्री सलिल के० गंगोली
18. श्री आर० एस० डूगर
19. श्री जयन्त एस० तिलक
20. श्री एस० ए० खाजा मोहीदीन

'सेल्फ रिमूवल प्रोसीजर' के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये समिति की नियुक्ति

908. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह देखने के लिये कि राजस्व की चोरी कम हो 'सेल्फ-रिमूवल प्रोसीजर' के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये हाल ही में किसी समिति की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति का गठन तथा उसके निर्देश पद सरकारी संकल्प में दिए गए हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-1056/71**]

समिति के सचिवालय की स्थापना की जा रही है । अध्यक्ष ने सचिव के साथ, उत्पादन यूनिटों में जाकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यविधि का अध्ययन आरम्भ कर दिया है ।

निषिद्ध वस्तुओं को ले जाते हुए अरब नौकाओं (ढो) का रोका जाना

909. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अक्तूबर, 1971 को बम्बई में कावेरी के पास भारतीय नौसेना द्वारा निषिद्ध वस्तुओं को ले जाते हुये दो अरब नौकाओं (ढो) को रोका गया था ;

(ख) क्या कोई गिरफ्तारी की गई और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कुछ वस्तुयें पकड़ी गयी थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) 24 व्यक्ति (प्रत्येक नौका के कर्मीदल के 12-12 सदस्य) गिरफ्तार किये गये । एक नौका से लगभग 16 लाख रुपये (भारतीय बाजार दर पर) के मूल्य का जापानी कपड़ा पकड़ा गया । दूसरी नौका से कुछ विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त और कोई माल नहीं पकड़ा गया । दोनों नौकाएं भी कब्जे में ले ली गईं ।

(ग) अभी तक एक नौका के कर्मीदल के 12 सदस्यों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही के लिए शिकायत न्यायालय में दायर की गई है । निषिद्ध वस्तुओं तथा नौका को जब्त करने से संबंधित विभागीय न्याय निर्णय की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है ।

उत्तर पश्चिम भारत में तेल शोधक कारखानों की स्थापना

910. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में उत्तर पश्चिम भारत में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह शोधक कारखाना कहां स्थापित किया जाएगा ;

(ग) इस शोधक कारखाने की क्षमता सम्भवतः कितनी होगी और इसके निर्माण में कितनी लागत आयेगी ;

(घ) शोधक कारखाने के लिये अपेक्षित पाइप लाइनों की लम्बाई क्या होगी और ये पाइप लाइनें कहां से प्राप्त की जायेंगी ; और

(ङ) क्षेत्र की तेल सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिये यह शोधक कारखाना कहां तक समर्थ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). देश में अतिरिक्त शोधनशाला क्षमता के प्रश्न और इसके स्थान का अध्ययन करने के लिये 1969 में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति ने उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में शोधनशाला स्थापित करने की सिफारिश की थी । भारतीय तेल निगम से इस शोधनशाला के लिये एक संभाव्य रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है । रिपोर्ट जून, 1971 में प्राप्त हुई थी और उस पर इस समय जांच की जा रही है । स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन मीटरी टन ।

(घ) यह शोधनशाला के स्थानों और पाइप लाइन के टर्मिनल पर निर्भर करेगा ।

(ङ) शोधनशाला के चालू होने पर क्षेत्र की मुख्य आवश्यकताएं पूरी हो जाने की आशा है ।

जीवन बीमा निगम की शाखाओं में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर (डी) की नियुक्ति

911. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जीवन बीमा निगम की शाखाओं में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर (डी) की नियुक्ति की क्या शर्तें हैं ;

(ख) ऐसी शाखाओं की संख्या और नाम क्या हैं जो अभी भी बिना असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर (डी) के कार्य कर रही हैं और वे कब से इस प्रकार कार्य कर रही हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम इन कतिपय शाखाओं में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर (डी) की नियुक्ति पहले हुई थी परन्तु बाद में उनको वापस बुला लिया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन शाखाओं में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर (डी) की नियुक्ति करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और वहां इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जीवन बीमा निगम की नगर शाखाओं में (जिनमें दिल्ली भी) स० शा० प्र० (वि०) की संख्या उस क्षेत्र में 6 से अधिक नहीं होगी ।

जिन शाखाओं में अपेक्षित संख्या में योग्य एजेन्ट उपलब्ध हों, वहां क्षेत्रीय प्रबन्धकों को प्रत्यक्ष एजेन्सी एककों का निर्माण करने का विवेकाधिकार दिया गया है परन्तु शर्त यह है कि ऐसे प्रत्यक्ष एजेन्सी एककों के निर्माण से, नियमित सहायक शाखा प्रबन्धकों (वि०) को तैनात करने के सम्बन्ध में शाखा के हक में कोई बाधा नहीं पड़े । दिल्ली में सात प्रत्यक्ष एजेन्सी एककों का निर्माण किया गया है ।

(ख) जिन शाखाओं में कोई सहायक शाखा प्रबन्धक (वि०) तैनात नहीं किये गये हैं, उनके नाम निम्नलिखित है :—

नाम	टिप्पणी
शाखा एकक सं० 117	यह प्रत्यक्ष एजेन्ट शाखा है और इसलिए, कोई सहायक शाखा प्रबन्धक (वि०) तैनात नहीं किया गया है । इस शाखा का कार्य शाखा प्रबन्धक द्वारा देखा जाता है ।
शाखा एकक सं० 127 (होज खास) शाखा एकक सं० 128 (दिल्ली छावनी) शाखा एकक सं० 129 (कीर्ति नगर)	ये एकक पहले उप-कार्यालय थे और मई-जून 1971 से इन कार्यालयों का शाखा-कार्यालयों के रूप में दरजा बढ़ा दिया है और, नियमानुसार, फिलहाल ये कार्यालय सहायक शाखा प्रबन्धकों (वि०) की तैनाती के हकदार नहीं हैं ।
शाखा एकक सं० 312 (निजामुद्दीन)	नियमानुसार, यह शाखा सहायक शाखा प्रबन्धक (वि०) की तैनाती की हकदार नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जब कोई शाखा नियमानुसार, सहायक शाखा प्रबन्धक (वि०) की तैनाती के लिए अर्हता प्राप्त कर लेती है तो उस शाखा में सहायक शाखा प्रबन्धक (वि०) तैनात करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च, 1971 तक प्रस्तावों को स्वीकार न किया जाना

912. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1971 को दिल्ली डिवीजन में प्राप्त हुए जीवन बीमा निगम के सभी मामले स्वीकार कर लिये गये थे और 31 मार्च, 1971 या इससे पूर्व का जोखिम स्वीकार कर लिये गये थे ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त तारीख तक सब प्रस्ताव स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसका एक कारण यह भी है कि कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 1971 तक बहुत बड़ी संख्या में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गये ; और

(घ) क्या उन पालिसियों का जोखिम का दावा स्वीकार करने का प्रस्ताव है जिनके प्रस्ताव 31 मार्च, 1971 को या उससे पूर्व प्राप्त हो गये थे, जिससे कि उन्हें वर्ष 1970-71 के बोनस का लाभ प्राप्त हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिल्ली प्रभागीय कार्यालय में 31 मार्च, 1971 को अथवा उससे पूर्व प्राप्त हुए लगभग सभी प्रस्तावों पर (केवल कुछ ही मामलों को छोड़कर) कार्यवाही की गई थी तथा 31 मार्च 1971 अथवा उसे पूर्व से जोखिम की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली गई थी ।

(ख) मार्च 1971 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या बहुत अधिक है और यथा सम्भव प्रयत्न करने के बावजूद भी महीने के अन्त तक उन सभी प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

(ग) जी नहीं । वास्तव में, मार्च 1971 के अन्तिम दो दिनों में सम्बन्धित कर्मचारियों को कुल मिलाकर 2200 श्रम घण्टों के लिये समयोपरि ड्यूटी पर रखा गया था ।

(घ) जी, नहीं । निगम के नियमों के अन्तर्गत, जिन प्रस्तावों पर खाते बन्द करने की तारीख अर्थात् 31 मार्च 1971 के बाद कार्यवाही की गई थी, उनके सम्बन्ध में 31 मार्च 1971 अथवा उससे पूर्व से जोखिम की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जा सकती है ।

विदेशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

913. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को इस समय स्थल सेना, नौ सेना और वायु सेना सम्बन्धी सैनिक सामान की सप्लाई किन-किन देशों द्वारा की जा रही है ; और

(ख) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या 154 दिनांक 31 मई 1971 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है कि बढ़ते हुए संख्या में देश पाकिस्तान को सैनिक लौह साजसामान की पूर्ति को या तो निरुत्साहित कर रहे हैं या मना कर रहे हैं। अतः देश वार अद्यतन की गई पूर्तियों के ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं होगा।

छोटे, मध्यम वर्ग जमाकर्ताओं की जमा राशि प्राप्त करना

914. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने विभिन्न कम्पनियों में छोटे, मध्यम वर्ग के जमाकर्ताओं की जमाराशि प्राप्त करने के लिये अपने अधिकारों का प्रयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कम्पनियों द्वारा जमा के लिए रकमें स्वीकार करने का सामान्य प्रश्न भी बैंकिंग आयोग के विचाराधीन है। उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

29 अक्टूबर 1966 को भारतीय रिजर्व बैंक ने दो निदेशावलियां अर्थात्, गैर-बैंकिंग कंपनीज (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 और गैर-बैंकिंग अवित्तीय कम्पनीज (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 जारी की/उक्त निदेश

(i) किराया खरीद कम्पनियों के मामले में 6 महीने से कम की अवधि के लिए और अन्य कम्पनियों के मामले में 12 महीने से कम की अवधि के लिए अल्पावधिक जमाओं की स्वीकृति की मनाही करते हैं ;

(ii) किराया खरीद तथा आवासन वित्त कम्पनियों को छोड़कर अन्य सभी कम्पनियों के मामले में चुकता पूंजी और अवधि प्रारक्षित निधियों के 25 प्रतिशत सीमा तक की रकमें जमा के लिए स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं ;

(iii) किसी गैर-बैंकिंग कम्पनी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह (कम्पनी) जमा के लिए रकमें निमंत्रित करते हुए किन्हीं विज्ञापनों में अपने प्रबन्ध, कारोबार, लाभ, लाभांश, पूंजी, प्रारक्षित निधियों, जमा रकमों तथा अन्य देन दारियों का ब्यौरा प्रकट करे ;

(iv) जमा की गयी रकमों के लिए जमाकर्ताओं को बाकायदा रसीदें देने और निर्दिष्ट न्यूनतम विवरण के साथ जमा के रजिस्टर रखने के सम्बन्ध में उपबंध बनाते हैं ;

(v) उन जमाओं के सम्बंध में, जो अतिदेय हो गयी हैं और अब भी चल रही हैं, वार्षिक विवरण में ब्यौरा सम्मिलित करने की व्यवस्था करते हैं ;

(vi) उन अतिदेय जमाओं के सम्बन्ध में जो अब भी अदा न की गयी हैं, यदि अतिदेय रकमें कुल मिलाकर 10 लाख रुपये से अधिक हों तो उनके ब्यौरे को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने की व्यवस्था करते हैं ;

(vii) किराया खरीद और आवासन वित्त कम्पनियों के मामले में बकाया जमाओं के 10 प्रतिशत के बराबर की नकदी जैसी परिसम्पत्तियां की व्यवस्था करते हैं ;

(viii) किराया खरीद की कारोबार करने वाली कम्पनियों के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि किराया खरीद सम्बन्धी ऋण उचित अवधि में संग्रहीत कर लिए जायं, उपबंध बनाते हैं ; और

(ix) वित्तीय कम्पनियों द्वारा उनके कार्यचालन के सम्बन्ध में और गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा उनकी जमाओं और खरीद सम्बंधी लेन-देनों के बारे में पर्याप्त ब्यौरे सहित सूचना देने, तल-पट तथा लाभ और हानि लेखे प्रस्तुत करने के संबंध में व्यवस्था करते हैं ।

सैनिक गुप्तचर संगठन में असैनिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग

915. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक गुप्तचर संगठन में असैनिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) सैनिक इंटेलीजेंस संगठन में कोई असैनिक विशेषज्ञ नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया है । इन पदों पर थल सेना इंटेलीजेंस कोर के अफसर नियुक्त किए जाते हैं । सैनिक तथा असैनिक संगठनों के बीच पर्याप्त समन्वय है ।

अनाज के लिये बैंकों द्वारा अग्रिम राशि दिये जाने पर नियंत्रण

916. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए अनाज के लिये बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशि पर कठोर नियंत्रण करने की कोई नई योजना तैयार की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक स्थित पर इस दृष्टि से बराबर नजर रख रहा है, ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर समुचित कदम उठा सके ।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में भर्ती

917. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया में भर्ती रोजगार कार्यालय अथवा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न करके सीधे की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन दोनों उपक्रमों में भर्ती के लिए परीक्षा करवाने हेतु एक पृथक सेल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). इंडियन एयरलाइन्स की सभी रिक्तियां रोजगार कार्यालयों को सूचित की जाती हैं किन्तु चयन उनसे प्राप्त नामों तक ही सीमित नहीं होता है। कारपोरेशन के बोर्ड द्वारा अनुमोदित इण्डियन एयरलाइन्स के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार सभी पदों का अधिसूचित/विज्ञापित किया जाना आवश्यक है।

2. एयर इण्डिया में, आशुलिपिकों, लिपिकों, क्लर्कों, तथा चपरासियों जैसे वर्गों की भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है और जब रोजगार कार्यालय योग्य अभ्यर्थी भेजने में असमर्थ होता है तो सीधी भर्ती की जाती है। पर्यवेक्षक अधिकारी वर्गों की रिक्तियों के लिए, जिनमें तकनीकी, अत्यन्त दक्ष तथा लाइसेंस प्राप्त वर्ग सम्मिलित हैं, विज्ञापन देने के साथ-साथ रोजगार कार्यालयों को भी उसके समकाल ही सूचना दे दी जाती है।

3. इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सांविधिक निकाय है। सभी पदों पर भर्ती सीधे कारपोरेशन द्वारा की जाती है, न कि संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा जोकि सरकारी विभागों के लिए भर्ती करता है।

सरकारी उपक्रमों में भर्ती के लिये परीक्षा करवाने हेतु संघ लोक सेवा आयोग में एक पृथक सैल स्थापित करने का प्रस्ताव

918. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में भर्ती के लिये परीक्षा करवाने हेतु संघ लोक सेवा आयोग में एक पृथक सैल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह महसूस किया जाता है कि भर्ती के प्रयोजनों के लिए सरकारी उद्यमों से बाहर किसी अभिकरण की स्थापना कर देने से न केवल सरकारी उद्यमों की स्वायत्तता ही कम हो जाएगी, अपितु उससे उद्यमों में खाली पदों को भरने में भी देरी होगी।

देश में नये तेल कुओं की खुदाई और नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने का कार्यक्रम

919. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री डी० के० पंडा :
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो वर्षों के दौरान देश में नये तेल कुओं की खुदाई और नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने के नये कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) आगामी दो वर्षों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, गुजरात, असम, जम्मू एवं कश्मीर और कावेरी थाला के विभिन्न क्षेत्रों में अन्वेषण तथा विकास व्यधन को जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त उक्त आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर जिले, गंगा घाटी, कच्च और त्रिपुरा के कई क्षेत्रों में अपने गहरे व्यधन कार्यों के विस्तार के लिए भी योजना बनाई है। आयोग ने उपर्युक्त क्षेत्रों में 1972-73 तथा 1973-74 के अन्तर्गत क्रमश: 194,000 मीटर और 200,000 मीटर तक व्यधन करने की योजना बनाई है। खम्भात की खाड़ी में अपतट क्षेत्रों एवं अरब सागर के संलग्न क्षेत्र में अन्वेषण व्यधन कार्य को जारी रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसादीप क्षेत्रों में भूगर्भीय मान चित्रण और गुरुत्व, चुम्बकीय एवं भूकम्पीय सर्वेक्षण को जारी रखने का आयोजन है।

आयल इण्डिया लि० ने भी एक पंचवर्षीय अन्वेषण कार्यक्रम (1970—74) तैयार किया है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान असम के दम-दमा क्षेत्र में एक अन्वेषण कुआं और नेफा के निंगरु क्षेत्र में एक कुआं व्यधित किया जायेगा।

(ख) आयोग के बजट अनुमानों में वर्ष 1972-73 के लिए अन्वेषण एवं विकास की कार्य-विधियों पर 35.10 करोड़ रुपये के कुल परिचालन व्यय की व्यवस्था है। वर्ष 1973-74 के अन्तर्गत इन कार्यों पर परिचालन व्यय, उक्त वर्ग में परिचालनों के स्तर एवं मात्रा पर निर्भर करेगा। देश में तेल एवं गैस संचयों के तकनीकी आर्थिक अध्ययन, जिसको हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और रूसी विशेषज्ञों ने पूर्ण किया था, को ध्यान में रखते हुए आगामी मासों में इस व्यय का संकेत मिल सकेगा। कलैन्डर वर्ष 1972 तथा 1973 में आयल इण्डिया लि० के अन्वेषण कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का अनुमान 348 लाख रुपये लगाया गया है।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नेफा में स्थलों की खोज

920. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड ने नेफा में तीन स्थलों का चयन करके उनकी खोज की है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इन तेल कुंओं से कितनी मात्रा में तेल निकलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). आयल इण्डिया लिमिटेड ने नेफा के निंगरु क्षेत्र में व्यधन के लिये अब तक चार स्थलों का चयन किया है। उनमें से दो स्थलों पर अन्वेषी कुएं खोदे जा चुके हैं परन्तु वे शुष्क पाये गये। अन्य दो स्थलों पर एक स्थान पर 1973 में और एक स्थान पर 1974 में व्यधन के लिये उपकरण प्राप्त करने तथा अन्य तैयारियों का कार्य जारी है।

(ग) कुएं खोदे जाने से पहले तेल की संभावनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का खोला जाना

921. **श्री गदाधर साहा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक खोले गये हैं अथवा खोले जाने का प्रस्ताव है और वे जिला वार किन-किन स्थानों पर खोले जायंगे ;

(ख) क्या उन्होंने छोटे किसानों और व्यापारियों तथा वर्गदारों को ऋण देना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो वीरभूमि जिले में इन श्रेणियों के व्यक्तियों को ब्लाकवार कितनी धनराशि के ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह सम्भव सीमा तक इकट्ठी करके, सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

कलकत्ता स्थित मैसर्स स्मिथ स्टनीस्ट्रीट कम्पनी के बन्द होने की संभावना

922. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्मिथ स्टनीस्ट्रीट कम्पनी, कलकत्ता अपने कुप्रबंध और कार्य पूंजी की कमी के कारण बन्द होने की स्थिति में है ; और

(ख) क्या जीवन रक्षी औषधियों के उत्पादन और 1100 कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय का विचार इस कम्पनी के लिए सरकारी निदेशक नियुक्त करने के लिए कम्पनी कार्य बोर्ड से सिफारिश करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

मैसर्स स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट, कलकत्ता में कुप्रबन्ध

923. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, बोर्ड में जीवन बीमा निगम के मनोनीत सदस्य की सांठगांठ से मुंदड़ा समूह द्वारा मैसर्स स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट के कार्यकरण में उत्पन्न किये गये कुप्रबन्ध आदि के बारे में, कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो बहुमत पैशधारियों द्वारा नये मामलों के लिए निर्धारित तिथि तक मांगी गई राशि जमा न किये जाने पर भी इस कम्पनी के बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधियों को नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). अक्टूबर 1971 में लाइफ इंशोरेंश आफ इंण्डिया और स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी वर्क्स यूनियन से कुछ पत्र इस कम्पनी के कार्य के

सम्बन्ध में प्राप्त हुए थे। कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है।

गुजरात राज्य उर्वरक निगम को सरकारी क्षेत्र की कम्पनी में परिवर्तित करना

924. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें गुजरात राज्य उर्वरक निगम को एक पूर्ण सरकारी क्षेत्र की कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने और उसे बड़े व्यापारियों के नियंत्रण से मुक्त करने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) उर्वरक बनाने वाली इस कम्पनी की कार्य प्रणालियों में सुधार करने के लिए गुजरात सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) गुजरात सरकार द्वारा इस संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी के संस्था के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 230 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). सरकार को इस बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, वे गुजरात सरकार के पास विचारार्थ भेज दिये गये हैं क्योंकि उनमें उठाई गई बातें उस सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं। इस मामले में उचित कार्यवाही करना उस सरकार का काम है।

दिल्ली और मद्रास के बीच इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों का दिन में ठीक समय से उड़ान भरने और उतरने की दर

925. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 सितम्बर से 15 अक्तूबर, 1971 तक दिल्ली और मद्रास के बीच इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के दिन में ठीक समय से उड़ान भरने और उतरने की दर क्या है ; और

(ख) उक्त अवधि में इन मार्गों तथा अन्य ट्रंक मार्गों के लिए विमान सेवा की समय सारिणी में अव्यवस्था होने के क्या कारण हैं तथा कोई नियमित समय सारिणी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सब प्रकार की देरियों को दृष्टि में रखते हुए, 15-9-1971 से 15-10-1971 तक की अवधि में दिल्ली और मद्रास के बीच इंडियन एयरलाइन्स को दिन में होने वाली उड़ानों का समय-पालन का अनुपात 79.3 बैठता है।

(ख) उड़ानों की समयसारणी का पुनरीक्षण करना पड़ा, क्योंकि मद्रास के धावनपथ की मरम्मत का कार्य चल रहा है। 13.00 बजे तक मद्रास हवाई अड्डा सब जेट विमानों के लिये बन्द रहता है।

दिल्ली में होटलों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

926. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में और अधिक होटल आवास की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने हाल ही में दिल्ली में होटल स्थापित करने हेतु विभिन्न पार्टियों को कतिपय लाइसेंस दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष जारी किये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और उन पार्टियों के क्या नाम हैं तथा उनकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनको ये लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ग) क्या उनको इन होटलों की स्थापना में विदेशी सहयोग लेने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो यह अनुमति कितनी सीमा तक दी गई है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कतिपय और आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और यदि हां, तो ये किन पार्टियों से आए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) तीन आवेदन पत्र अनुमोदनार्थ विचाराधीन हैं ।

भारतीय सशस्त्र सेना में पाकिस्तानी गुप्तचर

927. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सशस्त्र सेना में तोड़ फोड़ करने वाले बहुत से पाकिस्तानी गुप्तचर पकड़े गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय सेना तथा सैनिक संस्थानों में पाकिस्तानी गुप्तचरों की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली गई है ।

मनीआर्डरों द्वारा पेंशन का भुगतान

928. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेंशन प्राप्त करने वालों को मनीआर्डरों द्वारा पेंशन का भुगतान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). 250 रुपये मासिक से अनधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों को मनीआर्डर के जरिये अपनी पेंशनें लेने का हक प्राप्त है किन्तु मनीआर्डर का कमीशन उन्हें देना होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने राजकोष-विषयक अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थीं, उनके अनुपालन में अब यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि अनन्तिम पेंशन पाने वाले के आवेदन पर, 100 रुपये मासिक तक की पेंशनें, जिनमें अनन्तिम पेंशनें भी शामिल हैं, सरकारी खर्च पर मनीआर्डर के जरिये उन्हें भेज दी जायं।

केरल में एक नायलोन फिलामेंट यार्न फैक्ट्री का स्थापित किया जाना

929. **श्री एम० के० कृष्णन्** :
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि वह केरल में एक नायलोन फिलामेंट यार्न फैक्ट्री स्थापित करने के बारे में एक आशय पत्र जारी करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या आशय पत्र जारी कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई, 1970 के प्रेस नोट के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुये अन्य आवेदन पत्रों के साथ इस आवेदन पत्र पर विचार हो रहा है। इस मामले में शीघ्र ही कोई निर्णय लिये जाने की संभावना है।

परांबिकुलम्, जिला पालघाट, केरल में पर्यटक केन्द्र की स्थापना की योजना

930. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पराम्बिकुलम्, जिला पालघाट, केरल में एक पर्यटक केन्द्र स्थापित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख). प्रश्न नहीं उठता।

कोट्टायम (केरल) के निकट कुमाराकोम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव

931. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम (केरल) के निकट कुमाराकोम को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

वायु सेना के भर्ती अधिकारी द्वारा केरल का दौरा

932. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के किसी भर्ती अधिकारी ने गत वर्ष केरल राज्य का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो अपने दौरे के दौरान उसने केरल राज्य से कितने व्यक्तियों की भर्ती की थी ; और

(ग) केरल राज्य को प्रत्येक पाठ्यक्रम के श्रेणिवार कितने स्थान आवंटित किये गये थे ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). रिक्त स्थानों को राज्यवार आवंटित नहीं किया जाता है। ट्रेड के अनुसार वायु सेना भर्ती कार्यालयों को रिक्त स्थान आवंटित किए जाते हैं। 1970 में 404 रिक्त स्थान वायु सेना भर्ती कार्यालय, बंगलौर को आवंटित किए गए थे जिसमें मैसूर राज्य तथा केरल राज्य शामिल होता है, उसमें से 286 व्यक्ति जो कि केरल राज्य के थे, चुने गए थे।

कर से प्राप्त राजस्व में भाग के बारे में कलकत्ता के महापौर से ज्ञापन

933. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता निगम के महापौर की ओर से कोई ज्ञापन मिला है, जिसमें कर में से निगम को उचित भाग दिये जाने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का विषय क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता के महापौर ने प्रार्थना की है कि कलकत्ता नगर निगम के राजस्व सम्बन्धी घाटे की पूर्ति के लिए ये उपाय किये जायें :—

(i) चुंगी से प्राप्त रकमों में कलकत्ता नगर निगम का हिस्सा बढ़ा दिया जाये ;

(ii) नगर निगम को सीमाकर की प्राप्तियों में से भी हिस्सा दिया जाय ;

(iii) मोटर गाड़ी कर से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली रकम में से नगर निगम को दिये जाने वाले अनुदान के हिस्से को बढ़ा दिया जाय ;

(iv) नगर निगम को मनोरंजन कर में से हिस्सा दिया जाय और शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाय ।

(v) उपर्युक्त अनुरोधों पर निर्णय होने तक, भारत सरकार नगर निगम को तदर्थ वित्तीय सहायता दे ; और

(vi) कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार की ओर से जो भी सहायता दी जाय, वह अनुदानों के रूप में होनी चाहिए ।

(ग) यह अभ्यावेदन राज्य सरकार को भेज दिया गया है ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा घोषित अधिक लाभांश

934. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियों ने अपनी आरक्षित राशि में से भी अधिक लाभांश देने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अधिक लाभांश घोषित करने की यह प्रक्रिया अपनी पूंजी को अपने में वापस भेजने तथा राष्ट्रीयकरण की स्थिति में सरकार को धोखा देने के लिए अपनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) बर्मा शैल, कालटैक्स और एस्सो की तीन प्रमुख विदेशी तेल परिष्करणशालाओं से 1969, 1970 वर्षों के अन्तर्गत शुद्ध लाभ सुरक्षित कोष से हस्तांतरण और लाभांश निम्न प्रकार है :—

वर्ष	शुद्ध लाभ	सुरक्षित कोष	लाख रुपये में घोषित लाभांश
1969	515	446	961
1970	546	612	1158

मार्केटिंग कम्पनियों के सम्बन्ध में विवरण एकत्र किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). स्पष्ट तौर पर कम्पनियों ने रोका हुआ लाभ अपनी वर्तमान आवश्यकताओं से अधिक पाया, अतः उन्होंने सुरक्षित कोष निकाल कर विदेशी अंशधारी कम्पनियों को भेज दिया है । इससे विदेशी अंशधारी कम्पनियों के लिये भारतीय नियन्त्रित कम्पनियों में अपने सामान्य शेयर कम करना सम्भव हो गया है । इस प्रक्रिया में नियंत्रित कम्पनियों के शुद्ध मूल्य में भी कमी हो गई है । गत समय के लाभ से पूंजी में परिणित न किये गये सुरक्षित कोष को निकाल कर वर्ष के शुद्ध लाभ से अधिक लाभांश घोषित करके कम्पनियों ने समवाय अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया है ।

बाल्गा रेस्तरां, नई दिल्ली और उससे सम्बद्ध रेस्तरां समूह का आयकर की वसूली के लिये आय निर्धारण

935. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री रतन लाल ब्राह्मण :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में बाल्गा रेस्तरां नई दिल्ली और उससे सम्बद्ध रेस्तरां समूह का आयकर निर्धारण कितनी बार पूरा किया गया और उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई ;

(ख) क्या बम्बई स्थित उनकी फर्मों का आयकर निर्धारण गत 15 वर्षों से दिल्ली में किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उन मामलों को बम्बई स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पूरे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या 46 है तथा इस मामले में गत तीन वर्षों में वसूल की गई रकम 19.49 लाख रुपये है ।

(ख) जी, हां, 14 अगस्त 1949 तक ।

(ग) इन मामलों को कर-निर्धारिती की प्रार्थना पर बम्बई को इसलिये भी अन्तरित कर दिया गया था कि चूंकि इनमें हुंडी लेन-देन अन्तर्ग्रस्त था, अत: बम्बई का हुंडी परिमण्डल इन मामलों का निपटान करने में अपेक्षाकृत अधिक अच्छी स्थिति में होगा । किन्तु, कर निर्धारिती ने समझौते की पेशकश की है और उसने हुंडी-ऋण को अपने आय के रूप में मानना स्वीकार कर लिया है । इसलिये, बम्बई में और आगे जांच-पड़ताल अनावश्यक पाई गई । कानून के मुताबिक, कर-निर्धारिती को यह कारण बताने के लिये कहा गया है कि मामलों को क्यों न वापस दिल्ली को अंतरित कर दिया जाय । कर-निर्धारिती की आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्, मामलों के अंतरण के विषय में आदेश पारित किये जायंगे ।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा सोने का पकड़ा जाना

936. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में सीमा शुल्क विभाग ने कुल कितनी मात्रा में और कितनी कीमत का तस्करी का सोना पकड़ा ;

(ख) चालू वर्ष के प्रथम 6 महीनों के तत्सम्बन्धी आंकड़े इनसे कम हैं या अधिक ;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष सोने की तस्करी को रोकने के लिये कोई नई कार्यवाही की है ;और

(घ) यदि हां, तो कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 1971 तक की अवधि में, जिसमें मानसून का मौसम भी

सम्मिलित है जबकि तस्कर व्यापार अपेक्षतया बहुत कम होता है, 701 किलोग्राम सोना पकड़ा गया था जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर 64 लाख का है तथा भारतीय बाजार दर पर 144 लाख रुपये है। पिछले छः महीनों में अर्थात् अक्टूबर 1970 से मार्च 1971 तक सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1791 किलोग्राम सोना पकड़ा गया था जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर 153 लाख रु० तथा भारतीय बाजार दर पर 344 लाख रुपये है।

(ग) तथा (घ). गुजरात तथा तमिलनाडु के समुद्र-तट के साथ-साथ तस्कर व्यापार-विरोधी कार्य को तीव्र करने के लिए, इन क्षेत्रों में वर्ष 1971 के दौरान निवारक कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है। अहमदाबाद समाहर्ता कार्यालय में, अनन्य रूप से तस्कर-विरोधी कार्य करने के लिये सहायक-समाहर्ता के अधीन 5 डिवीजनों की रचना की गई है। इसी प्रकार, मदुरै समाहर्ता-कार्यालय में सहायक समाहर्ताओं के कार्यभार के अधीन अनन्य रूप से तस्कर विरोधी कार्य करने के लिए दो डिवीजनों की रचना की गई है। प्रभावी अन्तारोधन, निवारण आदि के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त नौकाएं, वाहन हथियार तथा दूरबीनों सदृश अन्य उपकरण प्राप्त किये गये हैं।

अतिरिक्त संसाधनों का जुटाया जाना

937. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान स्थिति की असाधारण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये कोई ठोस उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं और इन्हें सम्भवतः कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). बंगला देश से शरणार्थियों के आगमन से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये सरकार ने हाल में कई उपाय किये हैं जिनमें ये शामिल हैं : रेल यात्री किराया अध्यादेश, 1971 के द्वारा रेल किरायों पर कर का लगाया जाना, डाक वस्तु कर अध्यादेश 1971 के द्वारा विभिन्न डाक द्वारा भेजी जाने वाली कुछ वस्तुओं पर कर का लगाया जाना, अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अध्यादेश, 1971 के द्वारा अन्तर्देशीय हवाई यात्रा पर कर का लगाया जाना, स्टाम्प और उत्पादन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 के द्वारा जिन दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है, अतिरिक्त शुल्क का लगाया जाना और समाचारपत्रों पर उत्पादन शुल्क कर लगाया जाना। ये कर 15 नवम्बर, 1971 से लागू किये गये हैं। राज्य भी शरणार्थियों की सहायता के लिये साधन जुटाने के सम्बन्ध में कदम उठा रहे हैं।

अत्याधुनिक और बहु-उद्देशीय राडार व्यवस्था के विकास में आत्मनिर्भरता

938. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अत्याधुनिक और बहु-उद्देशीय राडार व्यवस्था के विकास में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) ये योजनाएं कब कार्यान्वित की जाएंगी ; और

(ग) क्या आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गयी है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अत्याधुनिक राडार व्यवस्था का निर्माण एक निरन्तर विकसित होने वाला प्रक्रम है। अतएव आत्मनिर्भरता, कच्चे माल, उत्पादन जानकारी एवं उत्पादन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केवल तुलनात्मक रूप में व्यक्त की जा सकती है।

अत्याधुनिक एवं जटिल राडार से विकास के हेतु आवश्यक क्षमता की स्थापना के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेकों क्षमता-स्थापना कार्य आरम्भ किया गया है। थल सेना तथा वायु सेना के लिए आवश्यक राडार का विकास किया गया है तथा वे अब उत्पादन अवस्था में हैं।

यह आशा की जाती है कि वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर, तीनों सेवाओं द्वारा अपेक्षित सब प्रकार के राडार के लिए यथोचित आत्मनिर्भरता 1980 तक हो जाएगी।

बंगला देश की समस्या के परिणामस्वरूप मितव्ययिता के लिये किये गये उपाय

939. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश की समस्या के कारण देश में उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने मितव्ययिता के लिये कुछ उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं और उनसे खर्च में कितनी कमी होने की सम्भावना है और ये उपाय कब से किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी मितव्ययिता के लिये उपाय अपनाने की सलाह दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) अधिक महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—

(1) योजना भिन्न व्यय के लिये चालू वर्ष की बजट व्यवस्था की समीक्षा, जिससे उसमें यथासम्भव 5 प्रतिशत के लगभग कमी की जा सके। इस कमी को, व्यय की सभी अनावश्यक मदों में कमी करके, मंजूरशुदा कार्यक्रमों को पुनः अनुसूचित करके, स्थगित करके अथवा जहां तक व्यावहारिक है, उन्हें समाप्त करके और जब तक कोई विशेष औचित्य नहीं हो तब तक सभी नए कार्यकलापों को टाल कर सम्भव बनाना है।

(2) आकस्मिक व्यय, यात्रा भत्ता, अतिथि-सत्कार और ऐसे ही अन्य व्ययों के लिये की गई व्यवस्था में काट-छांट करके और रिक्त पदों को भरने, विदेश यात्रा, टेलीफोन तथा स्टाफकारों का प्रयोग, सज्जा की वस्तुएं तथा साज-सामान खरीदने आदि पर नियंत्रण लगाकर व्यय की अनुत्पादक मदों पर अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाना।

(3) मोटरकार, स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदने के लिये, सरकारी कर्मचारियों को मंजूर की जाने वाली पेशगी की सुविधा में कमी करना।

इन उपायों को अगस्त 1971 में आरम्भ किया गया था। वर्तमान संकेतों के अनुसार, उपर्युक्त उपायों के कारण चालू वर्ष के योजना भिन्न बजट में (रेलवे को छोड़कर) लगभग 59 करोड़ रुपये की बचत होने की अपेक्षा है।

(ग) जी हां।

(घ) एक हाल ही के सम्मेलन में, मुख्य मंत्री / राज्यपाल, योजनाभिन्न और अनावश्यक व्यय में कमी करने के लिये उपाय करने को सहमत हो गए हैं।

उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कार्यवाही

940. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार 1976-77 तक उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या इस वर्ष और अधिक उर्वरक परियोजनाओं की मंजूरी दी जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) जहां कहीं सम्भव है, वर्तमान सन्यन्त्रों के विस्तार और नये सन्यन्त्रों की स्थापना द्वारा उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जा रहा है।

(ग) चालू वर्ष में नई उर्वरक प्रायोजनाओं की स्थापना अथवा विद्यमान कारखानों के विस्तार के कुछ प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

सामान्य बीमा कम्पनियों के महाप्रबन्धकों द्वारा धन का कथित दुरुपयोग

941. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण करने के उपरान्त सामान्य बीमा कम्पनियों के महाप्रबन्धकों को ही उन बीमा कम्पनियों का कस्टोडियन नियुक्त किया है ;

(ख) क्या सामान्य बीमा कम्पनियों के कतिपय महाप्रबन्धकों के विरुद्ध कम्पनी के धन का दुरुपयोग किये जाने के बारे में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) सरकार ने उन व्यक्तियों की जांच करने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं जिनके विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) क्या ये कस्टोडियन बड़ी संख्या में छंटनी कर रहे हैं जिससे सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों में असन्तोष है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। कई बीमा कम्पनियों के महाप्रबन्धकों को अन्य कम्पनियों का अभिरक्षक नियुक्त किया गया है।

(ख) और (ग) . निधि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में केवल एक शिकायत एक अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त हुई है, जो उस पूर्व अवधि से सम्बन्धित है जब वह अधिकारी किसी अन्य बीमा कम्पनी में नियुक्त था। उस अभिरक्षक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है। मामले पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) . जी, नहीं। अभिरक्षकों को पहले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं कि किसी भी वास्तविक कर्मचारी को नहीं निकाला जाना चाहिए। वास्तविक अंशकालिक कर्मचारियों पर भी ये आदेश समान रूप से लागू होते हैं।

व्यापारियों को दी जाने वाली कमीशन की दर

942. **श्री शशि भूषण : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल पम्प व्यापारियों को दी जाने वाली कमीशन की वर्तमान मांग दर क्या है और यह दर कब निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या पेट्रोल के व्यापारियों द्वारा कर्मचारियों, सजावट, पट्टे, पानी और बिजली तथा अन्य सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली राशि में कई गुना वृद्धि हो गई है परन्तु कमीशन की दर पहले वाली है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोल व्यापारियों को दी जाने वाली कमीशन की दर में वृद्धि करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1954 से मोटर स्पिरिट पर व्यापारियों के कमीशन की दर प्रति किलो 41.80 रुपये तथा 1955 से हाई डीजल आयल पर प्रति किलो 17.60 रुपये रही है।

(ख) और (ग) . कमीशन की वर्तमान दरें पर्याप्त हैं अथवा नहीं ; इसका निर्धारण करने हेतु सरकार ने प्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् को फुटकर पम्प विक्रेताओं की वास्तविक लाभप्रदता की जांच के लिये कहा है। उनकी रिपोर्ट उपलब्ध होने पर सरकार इस विषय की जांच करेगी।

भारत में एकाधिकार प्राप्त विदेशी कम्पनियां

943. **श्री शशि भूषण : क्या कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एकाधिकार प्राप्त भारतीय कम्पनियों की सूची तैयार की है ;

(ख) सरकार ने तम्बाकू, पेट्रोलियम औषधि, नौवहन के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त भारत स्थित विदेशी कम्पनियों के बारे में क्या नियम बनाये हैं ; और

(ग) एकाधिकार प्राप्त ऐसी विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सम्भवत: यह प्रश्न उन उपक्रमों को निर्देशित करता है जो चाहे सीमित कम्पनियां हो या नहीं परन्तु एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हों। 15 नवम्बर, 1971 तक इस प्रकार के 814

उपक्रम अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इन उपक्रमों की एक सूचित सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है (अनुलग्न 1) [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–1057/71**]

(ख) भारत सरकार द्वारा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत बनाए गये नियम, जो भारत में इस प्रकार के उपक्रमों में समरूप से लागू है (एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत) एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 67 (3) के उपबन्धों के अनुसार समय-समय पर सभा पटल पर प्रस्तुत किये जाते रहे हैं।

(ग) 99 उपक्रमों के नाम, के सम्बन्ध में सूचना जो या तो विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक है अथवा एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत है, (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 591 में परिभाषित विदेशी कम्पनियां) अनुलग्न 2 में दी जाती है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1057/70**]

भारत स्थित विदेशी एकाधिकार कम्पनियों द्वारा पाकिस्तान को युद्ध उपकरण तथा रसायनों की सप्लाई

944. **श्री शशि भूषण** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में कोई ऐसी विदेश एकाधिकार कम्पनियां कार्य कर रही हैं जिनका भारत और विदेशों में अपना मुख्यालय है और वे पाकिस्तान को युद्ध सामग्रियों और रसायन सामग्रियों की सप्लाई कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इन कम्पनियों का अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) . सूचना संग्रहीत की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Income Tax Due from Individuals in Madhya Pradesh

945. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of arrears of Income-tax outstanding in Madhya Pradesh ;

(b) the number of individuals and firms in Ujjain against whom arrears of Income-tax are still outstanding together with the amount of Income-tax outstanding against them ;

(c) the names of such individuals and firms and the amount of Income-tax outstanding against each of them ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to) (d). The requisite information is not readily available. The information regarding arrears of income-tax outstanding as on 31.10.71 in Madhya Pradesh and the particulars of the arrears outstanding against individuals and firms in Ujjain District of Madhya Pradesh in cases where such arrears exceeded Rs. 10,000/- as on 31.10.71 are being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Raids to Unearth Unaccounted Money

946. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of unaccounted money recovered in the course of each of the raids conducted during the last one year ;

(b) the number of raids conducted and the amount of such money recovered State-wise ; and

(c) the State-wise number of such cases in which the unaccounted money to the tune of Rs. one lakh or more was recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The amount of un-accounted money recovered through raids conducted during the last one year : Rs. 1,87,33,398.

(b) The amount of money recoved and the number of such raids conducted in each of the states :

State	No. of raids	Amount recovered
Andhra Pradesh	63	Rs. 10,37,478
Assam, Tripura, Manipur	6	Rs. 4,03,102
Maharashtra (Bombay and Poona)	77	Rs. 31,82,732
Bihar	5	Rs. 3,27,262
West Bengal	2	Rs. 1,46,998
Kerala	33	Rs. 18,24,590
Tamil Nadu	93	Rs. 32,84,647
Delhi, Haryana, H. P.	44	Rs. 4,16,547
Gujarat	12	Rs. 19,50,000
Uttar Pradesh	24	Rs. 12,32,177
Mysore	24	Rs. 5,42,800
Punjab, J&K.	22	Rs. 43,85,065
Madhya Pradesh	—	—
Orissa	—	—
Rajasthan	—	—
	405	Rs. 1,87,33,398

(c) The number of cases, statewise, in which an amount of one lakh or more than one lakh rupees or goods worth the same amount have been recovered.

State	No. of cases
Andhra Pradesh	2
Assam, Tripura, etc.	—
Maharashtra	9
Bihar	—
West Bengal	1
Kerala	2
Tamil Nadu	9
Delhi, Haryana, H. P.	1
Gujarat	1
Uttar Pradesh	5
Mysore	2
Punjab, Jammu & Kashmir	18
Madhya Pradesh	—
Orissa	—
Rajasthan	—
	50

Decision to Construct an Air-Strip at Ujjain (Madhya Pradesh)

947. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to construct an air-strip at Ujjain (Madhya Pradesh) and a site has also been selected therefor ; and

(b) if so, the time by which this air-strip is likely to be completed ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) and (b). No Sir.

कोचीन हवाई अड्डे पर वर्तमान हवाई पट्टी के विस्तार के लिये भूमि

948. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना ने कोचीन हवाई अड्डे पर वर्तमान हवाई पट्टी के विस्तार के लिये भूमि देने का प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . भारतीय नौसेना को कोचीन में नागर विमानन विभाग द्वारा धावनपथ के विस्तार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कई बाधाओं के मौजूद होने तथा लागत के अत्यधिक होने के कारण विस्तार कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

वास्तविक से कम तथा अधिक मूल्यों के बीजक बनाने के बारे में जांच पड़ताल सम्बन्धी समिति

949. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री वास्तविक से कम तथा अधिक मूल्यों के बीजक बनाने के बारे में जांच पड़ताल सम्बन्धी समिति के बारे में 16 जुलाई 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1178 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजक बनाने में हेर फेर के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की चोरी का मूल्यांकन करने के लिये श्री एम० जी० कौल की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल के निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर इसने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) इस प्रतिवेदन के आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बीजकों में हेर फेर के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय की हानि से सम्बन्धित अध्ययन दल की अपेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों का एक विवरण पत्र संलग्न है। अध्ययन दल की रिपोर्ट पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1058/71]**

(ख) इस रिपोर्ट से वैधानिक, कार्यविधि सम्बन्धी, प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा अमला सम्बन्धी मामलों के बारे में 220 सिफारिशें हैं जिनका सम्बन्ध अनेक विभागों और मंत्रालयों के साथ है। इनमें से अधिकांश सिफारिशों की जांच कर ली गई है। इन सिफारिशों के सम्बन्ध में अभी तक लिये गये निर्णयों का एक विवरण-पत्र तैयार किया जा रहा है और वह सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

रुपये का डौलर तथा स्टर्लिंग से विसम्बन्धीकरण

950. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालर-संकट के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में चल रहे वर्तमान संकट की दृष्टि से क्या सरकार रुपये को डालर तथा स्टर्लिंग से विसम्बन्धित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय रुपये की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विनिमय दर बनाये रखने से हमें क्या लाभ हो रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). रुपये के सममूल्य में, जो सोने के मूल्य के अनुसार तय किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चूंकि अमरीकी डालर के सम-मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिये रुपये और अमरीकी डालर का सम्बन्ध पूर्ववत बना हुआ है। पर, चूंकि पौण्ड स्टर्लिंग का विनिमय जिन दरों पर हो रहा है वे निधि के नियमों के अधीन अनुमत सीमाओं से अधिक हैं, इसलिए पौण्ड स्टर्लिंग और रुपये की विनिमय दर भी तदनुसार घटती-बढ़ती रहती है।

मुद्रा का सम-मूल्य संबद्ध देश की शोधन शेष सम्बन्धी समग्र स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चूंकि मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति के कारण भारत की शोधन शेष सम्बन्धी स्थिति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः भारतीय रुपये के सममूल्य में परिवर्तन किये जाने का कोई कारण नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स की कार्य-प्रणाली के बारे में सेन समिति का प्रतिवेदन

952. **श्री के० बालतण्डायुतम :**
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइन्स की कार्य-प्रणाली के बारे में सेन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशों का सम्बन्ध प्रबन्धक वर्ग-कर्मचारी सम्बन्धों, कार्मिक नीतियों व परिपाटियों, संगठनात्मक सुधारों और प्रशासनिक मामलों से है।

(ग) रिपोर्ट की जांच सावधानीपूर्वक की जा रही है।

बाढ़ पीड़ितों के लिये बिहार को वित्तीय सहायता

953. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने हेतु अपेक्षित धन के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार सरकार ने इस तरह के बहुत से राहत कार्य शुरू किये हैं, जैसे रोजगार की व्यवस्था करने के लिये हाथ से किये जाने वाले हल्के और भारी कार्यों से सम्बन्धित योजनाएं निःशुल्क राहत योजनाएं मकान बनाने के लिये अनुदान और ऋण कृषकों को ऋण और बाढ़ से क्षति ग्रस्त तटबन्धें, और सड़कों आदि की मरम्मत के कार्य/राज्य सरकार के अनुसार, चालू वर्ष में इन कार्यों पर खर्च किये जाने के लिये 103.46 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

केन्द्रीय दल की सिफारिश के आधार पर, अब तक केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिये व्यय की अधिकतम सीमा 46.275 करोड़ रुपये स्वीकृत की गयी है । परन्तु इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ।

नारकोटिक्स विभाग के बारे में पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन

954. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारकोटिक्स विभाग के लिये पुनर्गठन समिति की स्थापना की थी ;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने नारकोटिक्स विभाग के सम्बन्ध में कोई पुनर्गठन समिति स्थापित नहीं की थी । लेकिन सरकार ने जनवरी 1969 में नारकोटिक्स विभाग का सभी पहलुओं से विशेष रूप से दीर्घकालीन कार्य निष्पादन एवं नीतियों, अफीम तथा ऐलकलायड का उत्पादन, तस्कर व्यापार की रोकथाम और प्रशासन सम्बन्धी पहलुओं से, व्यापक अध्ययन करने के लिये एक विशेष कार्यअधिकारी की नियुक्ति की थी ।

(ख) तथा (ग). विशेष कार्य अधिकारी द्वारा अक्तूबर, 1970 में रिपोर्ट पेश की गई थी । इसमें नारकोटिक्स विभाग के विभिन्न पहलुओं पर अनेक सिफारिशें और सुझाव दिये गये हैं, यथा :–

(i) जिलों/एककों में संगठन सम्बन्धी मामले ;

(ii) जिला सम्बन्धी कार्यविधि तथा लेखाविधि ;

(iii) तस्कर व्यापार तथा निवारक व्यवस्थाएं ;

(iv) अफीम का क्रय मूल्य ;

(v) औषधि का दुरुपयोग और अनाशक्ति ;

(vi) अफीम और इसके एलकलायड का उत्पादन ;

(vii) वित्तीय व्यवस्था तथा लेखा कार्यविधियां ;

(viii) कारखाना संगठन तथा कार्मिक व्यवस्था ;

(ix) वैधानिक सुधार ;

(x) अनुसंधान तथा आधुनिकीकरण ;

(xi) केन्द्रीयकरण तथा समन्वय ;

(xii) निषिद्ध व्यापार का दमन ;

(xiii) संवर्ग योक्तिकीकरण ;

(xiv) अफीम और इसके एल्कलायड् के उत्पादन तथा विक्रय के बारे में भविष्य में नीति की स्थापना ;

इन सिफारिशों में से अधिकांश सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। तथापि कुछ सिफारिशें जिनमें वृहत् नीति सम्बन्धी मामले अन्तर्ग्रस्त हैं, अभी भी विचाराधीन हैं।

नारकोटिक विभाग में कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची रखना

955. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारकोटिक विभाग में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनायी जाती है जबकि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में ऐसा नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में संतोषजनक रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने विभिन्न एककों में पदोन्नति के अवसरों में असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां उस स्थिति को छोड़कर जबकि दो समाहर्ता कार्यालयों का एक ही संवर्ग हो, प्रत्येक समाहर्ता कार्यालय के मामले में अलग-अलग रखी जाती है। नारकोटिक्स विभाग में तीन अलग-अलग यूनिटें हैं :

(i) प्रधान कार्यालय यूनिट

(ii) उत्तर प्रदेश यूनिट

(iii) मध्य प्रदेश तथा राजस्थान यूनिट

नारकोटिक्स विभाग में तीसरी और चौथी श्रेणियों के कार्यालयी कर्मचारियों (हेड क्लर्क के ग्रेड तक) तथा कार्यकारी कर्मचारियों (निवारक निरीक्षकों के ग्रेड तक) की वरिष्ठता सूचियां तीनों यूनिटों अर्थात् प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिये अलग-अलग तौर पर रखी जाती है।

(ख) तथा (ग). इस कार्यविधि के कारण उत्पन्न हुई कुछ विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से मई 1967 में ऐसे आदेश जारी कर दिये गये थे कि वरिष्ठता, स्थायीकरण तथा पदोन्नति के प्रयोजन के लिये नारकोटिक्स विभाग की तीन यूनिटों के श्रेणी III के संवर्गों को मिला दिया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा करने से कुछ और विसंगतियां उत्पन्न हो गईं और इसके कारण नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी संघ द्वारा विरोध भी प्रकट किया गया। इस मामले में और आगे विचार करने के बाद अप्रैल 1969 में यह निर्णय किया गया कि मई, 1967 के आदेश लागू न किये जाएं। फिर भी, विशेष कार्य अधिकारी ने, जिनकी नियुक्ति नारकोटिक्स विभाग के कार्यचालन की पुनरीक्षा करने के लिये की गई थी, इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं जो कि फिलहाल विचाराधीन हैं।

Repayment of Loans received from Foreign Countries

956. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which the repayments comprising the principal amount of loans received by India from them in the past and the interest payable on it, exceed the amount of aid received from them at present ; and

(b) the respective amounts of such debts and aid received from those countries ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b). Debt service payments exceed aid utilisation during 1970-71 in respect of the following countries :

(Rs. crores)

Country's name	Aid utilised during 1970-71	Total debt service payments in 1970-71
1. Austria	1.58	1.72
2. Federal Republic of Germany	52.76	63.46
3. Italy	10.71	16.44
4. Japan	17.49	36.47
5. Switzerland	2.09	4.02
6. Czechoslovakia	1.46	8.98
7. Poland	2.79	3.84
8. USSR	38.11	70.10

Outstanding Amount of Land Revenue in Punjab and West Bengal

957. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of land revenue outstanding against Punjab and West Bengal ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to recover the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Arrears of land revenue on 31st March, 1971 in Punjab and West Bengal are estimated at Rs. 1.68 crores and about Rs. 7.00 crores respectively.

(b) The Central Government have from time to time been urging all State Governments to improve the recovery of various types of arrears, including arrears of land revenue, as part of the overall effort to step up the mobilization of resources.

Arrears of Income Tax

958. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of arrears of income-tax outstanding at present in the country ; and

(b) the effective steps proposed to be taken by Government in future to recover the arrears of income-tax arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The total amount of net arrears of income-tax outstanding in the country as on 31-3-1971 is Rs. 499.68 crores.

(b) The measures already taken by the Government for expeditious recovery of arrears of income-tax are enumerated in the statement.

As regards other effective steps to be taken in future to recover the arrears of income-tax, these will depend on the efficacy of the measures already taken and the future requirements.

Statement

The following specific measures have been taken by the Government for recovery of arrears.

(i) Taken over of recovery work hitherto done by officials of the State Governments. The Departmental Officers have taken over the tax recovery work fully or partly in all Commissioners' charges.

(ii) The Functional Distribution Scheme under which the work of collection of taxes has been made the specific function of one or more Income-tax Officers in the Range was introduced in 1966 and has been further extended during last year.

(iii) Sixty posts of Income-tax Officers (Collections) were sanctioned last year by the Government for attending to the work of liquidation of arrears demands.

(iv) Acceptance of crossed cheques by the Department and opening of special receipt counters for this purpose in the Income-tax Offices.

(v) Publication of names of assesse es who are defaulters in the payment of taxes over certain prescribed limits.

(vi) Arrear Clearance Fortnights are being observed all over the country. During the period, special emphasis is laid on carrying out pending adjustments/rectifications, giving effect to appellate orders and collecting the net demands due from the assessees.

(vii) Five Tax Recovery Commissioners have recently been posted in Calcutta, Kerala, Delhi, Nagpur and Hyderabad. In addition to administrative jurisdiction over Tax Recovery Officers, they will also have appellate jurisdiction with effect from 1.1.1972 to hear appeals against the orders of the Departmental Tax Recovery Officers. Further some Additional Commissioners of Income-tax are in exclusive charge of recovery work.

Demand for an Oil Refinery in Gwalior

959. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether people have been demanding an oil-refinery in Gwalior since long ;

(b) the action taken by Government in this regard ; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir. Representations were received from the following parties on the dates mentioned against each :

(1) Madhya Pradesh Chamber of Commerce & Industry, Gwalior	28.7.1971
(2) Dr. Bhagwat Sahai Samarak Mahavidyalaya, Gwalior	25.9.1971
(3) Veer Shivaji Club, Gwalior	10.10.1971
(4) Gwalior Udyog and Vanijaya Sangh, Gwalior	11.10.1971
(5) Tel Shodhak Karkhana Lagao Samiti, Gwalior	14.10.1971

(b) and (c). A Committee of Experts was appointed in 1969 to study the question of additional refining capacity in the country and its location. This Committee recommended the establishment of a refinery in the North-West region. The Indian Oil Corporation was asked to prepare a Feasibility Report for this refinery. The report was received in June, 1971 and is at present under examination. No decision in regard to location has yet been taken.

Fraudulent withdrawals from the Nationalised Banks

960. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Shanker Dayal Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether several cases of fraudulent withrawals from various branches of the nationalised banks have come to light after the nationalisation of banks ;

(b) whether a sum of about one and a half crores of rupees has been withdrawn fraudulently and

(c) the total number of cases of fraudulent withdrawals from the nationalised banks and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c). The information in detail regarding the fraudulent withdrawals from various branches of the nationalised banks, detected since nationalisation, is being collected and will be laid on the Table of the House.

As the main cause of frauds in the banks is non-observance of internal controls, the Reserve Bank of India has appointed a team of officers to go into the systems obtaining in the banks in regard to custody and handling of cash, investments and securities charged to them, Head Office supervision and control including arrangements for internal audit and inspection and reconciliation of inter-branch accounts etc. Reserve Bank of India has also introducted its officers conducting normal or centre-wise inspections to check cash and conduct a test check of securities, godowns, etc. and cover the system of internal controls in operation and see whether these are adequate. The banks have also been instructed by the Reserve Bank of India to have periodical rotation of duties among branch agents and also other members of the staff and effect their transfer after a period of 3 to 5 years.

पूर्वी बंगाल-त्रिपुरा सीमा पर चीन और पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त सशस्त्र मिजो विद्रोहियों को तैनात करना

961. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल-त्रिपुरा सीमा पर चीन और पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त सशस्त्र मिजो विद्रोहियों को तैनात किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मिजो विद्रोहियों की संख्या कितनी है जिनको सीमा सुरक्षा दल ने गिरफ्तार किया है ; और

(ग) शेष मिजो विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार को यह जानकारी है कि कुछ पाक-प्रशिक्षित मिजो पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर पूर्वी बंगाल/त्रिपुरा सीमा पर सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं । चीनियों के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किए जाने की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). 25 मार्च 1971 के 46 विद्रोही जिनमें स्थानीय संदिग्ध व्यक्ति भी शामिल हैं को गिरफ्तार किया गया तथा 58 विद्रोहियों ने आत्म-समर्पण किया। सरकार ने हाल में राज क्षमा की घोषणा मिजो विद्रोहियों को आत्म-समर्पण में समर्थ करने के लिये की है। सरकार आशा करती है कि मिजो विद्रोही बंगला देश स्थित पाक थल सेना से मोह मुक्त हो जायेगी तथा मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में अपने घर तथा परिवारों में वापस आकर स्वतन्त्र भारतीय नागरिकों की तरह रहने लगेंगी।

एयर इण्डिया द्वारा सितम्बर और अक्तूबर, 1971 में उद्घाटन उड़ानों का आयोजन

962. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया ने सितम्बर और अक्तूबर, 1971 में कितनी उद्घाटन उड़ानों का आयोजन किया ;

(ख) इन प्रत्येक उड़ानों के लिये कौन-कौन से व्यक्ति आमंत्रित किये गये थे और उन व्यक्तियों को चयन का मापदंड क्या था ; और

(ग) क्या इनमें से एक उड़ान में श्रेणी की क्रिया नहीं अपनाई गयी थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सितम्बर, 1971 में एयर इण्डिया ने कोई उद्घाटकीय उड़ानें नहीं की थीं। तथापि अक्तूबर 1971 में निम्नलिखित उद्घाटकीय उड़ानें परिचालित की गई थीं :—

पश्चिम को जाने वाली

(i) बम्बई/लन्दन उद्घाटकीय उड़ान—6 अक्तूबर, 1971 की ए० आई०—125

(ii) बम्बई/न्यूयार्क उद्घाटकीय उड़ान—17 अक्तूबर, 1971 की ए० आई०—101

(iii) बम्बई/न्यूयार्क उद्घाटकीय उड़ान—31 अक्तूबर, 1971 की ए० आई०—101

पूर्व को जाने वाली

लन्दन/दिल्ली/बम्बई उद्घाटकीय उड़ान—20 अक्तूबर, 1971 की ए० आई०—124

(ख) उपरोक्त प्रत्येक उद्घाटकीय उड़ान में आमंत्रित व्यक्तियों की सूचियां संलग्न हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी०-1059/71]** उद्घाटकीय उड़ानों के लिये एयर इण्डिया द्वारा निमंत्रणपत्र जिन सिद्धांतों के आधार पर भेजे जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं :—

(1) सरकार द्वारा नामित लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य।

(2) वाणिज्यिक महत्व के व्यक्ति।

(3) यात्रा अभिकरण प्रतिनिधि तथा 'टूर ऑपरेटर' जो कि यात्री तथा माल यातायात की अभिवृद्धि एवं विक्रय करते हैं।

(4) विमान सेवाओं के परिचालन से सम्बन्धित या विमान क्षेत्रों पर सरकारी अभिकरणों से सम्बन्धित व्यक्ति या सरकार द्वारा नामित अन्य व्यक्ति ।

(5) विदेशों में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारी जो कि एयर इण्डिया की सेवाओं के परिचालन से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करते हैं बशर्ते कि भारत सरकार उनके लिये अनुमति प्रदान कर देती है ।

(6) अन्य सरकारों के विशिष्ट व्यक्ति तथा कर्मचारी ।

(ग) प्रथम तथा द्वितीय बम्बई/न्यूयार्क उड़ानों को (17 तथा 31 अक्तूबर 1971 को) पूर्णतया मितव्ययिता श्रेणी उड़ानों के रूप में परिचालित किया गया ताकि 15 अक्तूबर, 1971 से लगे विदेश-यात्राकर से बचा जा सके ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उर्वरक खरीदने के लिये ऋण दिया जाना

963. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
डा० कर्ण सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उर्वरकों के वितरण सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के एक दल ने अगस्त, 1971 में राज्य का दौरा किया था ;

(ख) क्या इस दल के विचार में राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बकों द्वारा उर्वरक खरीदने के लिये दिये जाने वाले ऋण की राशि बहुत कम है और उर्वरक की बढ़ती हुई खपत रुकने के कारणों में से यह एक कारण है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान में किसानों को उर्वरक और कृषि के काम आने वाले अन्य पदार्थों की खरीद के लिये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं, दिये गये ऋण, उन्हें कुएं खोदने और पम्प सेट, आदि की तारीख के लिये इन बैंकों द्वांरा दिये गये मध्याकधिक ऋणों की अपेक्षा कम हैं । परन्तु किसान सामान्यतः उर्वरकों की अधिक खपत केवल तभी करते हैं जबकि सिंचाई के लिये पानी, लाभकारी फसलें पैदा करने के लिये भूमि की अनुकूल स्थिति, तैयार बाजार आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं । सामान्य अनुभव से पता चलता है कि जहां अन्य अनुकूल बातें साथ-साथ चलती हैं वहां बैंक ऋण भी अधिक उदारतापूर्वक मिलते हैं ।

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंक को बराबर कहा जा रहा है कि वे कृषि उत्पादन के लिये किसानों को दिये जाने वाले अल्पावधिक ऋणों में वृद्धि करें । आशा है कि सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धि के साथ-साथ राजस्थान में उर्वरक के लिये ऋणों की मांग में वृद्धि हो जायेगी ।

पर्यटकों का भारत न आना

964. **श्री पी० के० देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1971 के 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मौसम खराब रहने के कारण अनेक पर्यटक अब भारत आना नहीं चाहते ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट, कि बहुत से पर्यटक "घुटन पैदा करने वाले वातावरण" के कारण अब भारत आने से कतरा रहे हैं, इस विषय पर व्यक्त की गई सम्मतियों में से एक है ।

पिछले पांच वर्षों में आने वाले पर्यटकों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष भारतवर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है :

1966	1,59,693
1967	1,79,565
1968	1,88,820
1969	2,44,724
1970	2,89,821

नई दिल्ली स्थित वोल्गा रेस्तरां द्वारा देय आयकर का निर्धारण करने वाले आयकर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

965. **श्री विजय मोदक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स वोल्गा रेस्तरां, नई दिल्ली द्वारा देय आयकर का निर्धारण कर रहे आयकर अधिकारी के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो शिकायत किस प्रकार की है ; और

(ग) उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

पुरुलिया स्थित सैनिक स्कूल का बन्द किया जाना

966. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया स्थित सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने 12 सितम्बर, 1971 को स्कूल के प्रांगण में सशस्त्र पुलिस बुलाई और स्कूल को तुरन्त बन्द करने के आदेश दिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही वहां के उन विद्यार्थियों को डराने धमकाने के लिये की गयी थी जो छात्रावास के अधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे ; और

(ग) क्या प्रशासन कर्मचारीवृन्द तथा छात्रों के व्यवहार के बारे में कोई निष्पक्ष जांच की गई है अथवा की जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) प्रधानाचार्य की राय से 13-9-1971 से 12-10-71 तक संस्थान विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता तथा बाद में एक विद्यार्थी के द्वारा छात्रावास के अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत किये जाने के कारण बन्द रखना आवश्यक था।

(ग) स्कूल के स्थानीय बोर्ड प्रशासन मंडल के अध्यक्ष ने एक बोर्ड आफ इन्क्वाइरी का आदेश दिया है जिसमें अन्यों के साथ एक शिक्षाशास्त्री तथा अपर उपायुक्त पुरुलिया शामिल है। मंडल ने अपनी उपलब्धियों को स्थानीय प्रशासन मंडल को सौंप दिया है। स्थानीय बोर्ड ने कुछ तात्कालिक तथा दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के आधार पर स्कूल के प्रधानाचार्य को स्थानान्तरित कर दिया गया है। अन्य सिफारिशों पर कार्यवाही विचाराधीन है।

छोटे सिक्कों की जमाखोरी

967. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न उद्देश्यों के लिये जमा किये जा रहे छोटे सिक्कों के मूल्य का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या जब तक जमाखोरी पकड़ी तथा बन्द नहीं की जाती, तब तक टकसालों द्वारा बढ़ाया गया उत्पादन छोटे सिक्कों की यह भारी कमी पूरी कर सकेगा ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). छोटे सिक्कों की जो जमाखोरी की जा रही है, वह दो प्रकार की है। एक, उन सिक्कों की जो ऐसी मिश्रधातु से बने हैं जिनको गलाकर उनकी धातु से अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे किस्म की जमाखोरी पहले कारण का परिणाम है, ताकि सिक्कों की कमी से लभ उठाया जा सके। चूंकि सरकार ने यह महसूस किया कि जब तक सिक्के गलाये जाते रहेंगे, तब तक उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं होगी, इसलिये 22 अक्तूबर, 1971 को छोटे सिक्के (अपराध) अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें छोटे सिक्कों का गलाया जाना

और गलाने के प्रयोजन से ऐसे सिक्कों की जमा खोरी करना कानून की दृष्टि से अपराध घोषित कर दिया गया। एक बार यदि सिक्कों का गलाया जाना रुक गया तो छोटे सिक्कों के उत्पादन में हुई वृद्धि से उपलब्धि में अवश्य ही सुधार होगा तथा कमी की यह मनोवृत्ति भी दूर हो जायगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशि

968. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1971 को देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक-वार कितनी राशि जमा थी ;

(ख) 30 जून, 1971 को वाणिज्यिक बैंकों में बैंक-वार कितनी राशि जमा थी ; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के जमा को बढ़ाने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों में जून, 1971 के अन्तिम शुक्रवार को जमा रकमें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ग) बैंकों के लिये जमा रकमें जुटाने के प्रयत्नों में सहायता करने के लिये अपनाये गये उपाय 4 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1297 के उत्तर में बता दिये गये थे, जिसकी प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1060/71**]

चीनी के कारखानों पर केन्द्रीय करों की बकाया राशि

969. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के चीनी कारखानों पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा अन्य शुल्कों की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक कारखाने पर कितनी राशि बकाया है और कब से बकाया है ; और

(घ) इनकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम के अधीन पंजीकरण

970. **श्री एन० शिवप्पा** :
श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी कम्पनियों ने जिन्हें एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम के अधीन पंजीकरण करा लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो वे कौन सी कम्पनियां हैं जो अपने को पंजीकृत नहीं करा सकी हैं और जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराने के लिए और समय दिया गया ; और

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज किए गए और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20 में, उन उपक्रमों के रूपों का उल्लेख है, जिनसे स्वयं को अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कराने की आशा है। अब तक 15 नवम्बर, 1971 तक 814 उपक्रमों का पंजीकरण हो चुका है। कम्पनी कार्य विभाग, कुछ अन्य कम्पनियों, पर इस अधिनियम के लागूकरण की परीक्षा कर रहा है, जिनके पंजीकरण की बाध्यता के अन्तर्गत होने की आशा है। इस प्रकार के अध्ययन के परिणामस्वरूप 180 कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये गये थे, जो अधिनियम उपबन्धों के अनुसार, पंजीकरण योग्य मानी गई थीं। इनमें से 71 कम्पनियों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराकर प्रतिवाद किया है। शेष कम्पनियों ने, पंजीकरण न कराने का कारण बताते हुए, उत्तर दिये हैं। इन उत्तरों को भावी कार्यवाही के लिए परीक्षा की जा रही है।

(ग) अभी तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के स्थिति की मात्रा तथा उसका मूल्य

971. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में कितने मूल्य के और कितने पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया ;

(ख) इन उत्पादों का किन देशों को निर्यात किया गया ;

(ग) क्या इन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत देश में नहीं होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1970-71 में उत्पादों की 332.4 हजार मीटरी टन मात्रा जिनका मूल्य 4.67 करोड़ रुपये था, का निर्यात किया गया।

(ख) सिंगापुर यूनाईटेड किंगडम केन्या, यू० ए० आर०, कोरिया, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, हालैंड, इटली, साइप्रैस और पेरू को निर्यात किया गया।

(ग) और (घ). निर्यात में अधिकतर नेप्था और मोटर गैसोलीन सम्मिलित थे। 1970-71 में निर्यातित किये गये इन तथा अन्य अधिशेष उत्पादों के लिए स्वदेशी मांगें उस वर्ष में देशीय उत्पादन स्तर के बराबर नहीं थीं।

तेल कम्पनियों के प्रबन्ध में भाग लेने के सम्बन्ध में कर्मचारियों की मांग

972. **श्री एन० ई० होरो :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों के कर्मचारियों ने तेल कम्पनियों के प्रबन्ध में भाग लेने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). गत समय में भारतीय तेल निगम के निदेशकों के बोर्ड में कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करने के बारे में मांग की गई थी । उचित समय में इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

सुरक्षा के लिये आसाम सीमा पर सेना का तैनात किया जाना

973. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से आसाम की पूर्व बंगाल के साथ लगी हुई सीमा पर दृढ़ सुरक्षा प्रबन्धों के लिए सेना नियुक्त करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अग्रिम क्षेत्रों की रक्षा के लिए दृढ़ सुरक्षा उपाय करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). असम राज्य के मुख्य मंत्री के अनुरोध पर असम सीमा पर रक्षा व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था के लिए कार्यवाई की गई है ।

Procedure for supply of raw materials to Drug Manufacturing Companies

974. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the policy and procedure adopted by Government in regard to the supply of raw materials to drug manufacturing companies on Government level ;

(b) the names of the Government agencies through which raw materials are supplied ;

(c) whether drug manufacturing companies get raw materials to the desired extent ;

(d) whether the policy laid down in regard to supply of raw materials is altered every year ; and

(e) the policy or procedure adopted in regard to supply of raw materials to small scale drug manufacturing companies functioning in backward States ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) Raw materials required by the drugs industry are met out of local production or through imports wherever necessary. In so far as the supply of indigenous raw materials is concerned, no policy or procedure has been laid down by the Government. It is open to the individual drugs manufacturing units to procure their requirements from the sources of their choice. For a few items, however, the concerned manufacturers are advised to release the same on the basis of productions/availability vis-a-vis the

demands placed by the consumer manufacturers. As regards the imported raw materials, the policy and procedure are laid down in the import Trade Control Policy Book for the corresponding period. In general, the import requirements are now met on replenishment basis.

(b) Import of certain bulk drugs and a few chemicals consumed by this industry, is canalised through the State Trading Corporation. Distribution of these materials is made either through the Corporation or the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., a public sector undertaking.

(c) The drugs industry has been classified as a priority industry and is entitled to receive the imported raw materials on replenishment basis. The manufacturers arrange for their import as and when required. In the case of canalised items, releases are made on the basis of the recommendation of the State Drugs Controllers/DGTD vis-a-vis the past consumption by the concerned manufacturer as well as their availability with the distribution agencies.

(d) Yes. The policy is reviewed every year in the light of availability and requirements.

(e) No special policy or procedure is being adopted in regard to supply of raw materials to small-scale drug manufacturing companies functioning in backward States, and a uniform policy is adopted for all firms irrespective of their location.

दुर्गापुर युनाइटिड बैंक में डाका

975. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1971 को दुर्गापुर युनाइटिड बैंक में पड़े डाके के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में पकड़ी गई कार का नम्बर तथा उनके मालिक का नाम क्या है ; और

(ग) अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). युनाइटिड बैंक आफ इण्डिया से मिली सूचना के अनुसार बैंक की दुर्गापुर शाखा में कोई डाका नहीं पड़ा है, किन्तु पुलिस ने कुछ ऐसे नवयुवकों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर डाका डालने की योजना बनाने का आरोप है। इस सम्बन्ध में पकड़ी गयी कार का नम्बर डब्ल्यू० बी० डी० 2969 बताया गया है। बैंक के पास पकड़े गए व्यक्तियों अथवा कार के मालिक के नाम की कोई सूचना नहीं है।

उत्तरी क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं में सुधार करने हेतु शिमला सम्मेलन में किये गये निर्णय

976. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं में सुधार करने की कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए सात राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की हाल ही में शिमला में एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय किए गये ; और

(ग) इस क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उत्तरी क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय पर्यटन समिति की पहली बैठक 18 सितम्बर, 1971 को शिमला में हुई थी। इस बैठक में, अन्यों के अलावा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ख) मुख्य सिफारिशें ये थीं :—

(1) राज्य सरकारों के बजटों में पर्यटन सुविधाओं की अभिवृद्धि के लिये अधिक वित्तीय विनियोजन की व्यवस्था करने के लिये योजना आयोग को सिफारिश करना ;

(2) पर्यटन वाहनों के अन्तर्राज्य प्रचालन को सरल बनाना ;

(3) पर्यटन चेतना जागृत करने के लिये अभियान चालू करने हेतु राज्यों के पर्यटन विभागों से अनुरोध करना ;

(4) भीख मांगने के विरुद्ध कानूनों के सम्बन्ध में विधान को अन्तिम रूप देने के लिये कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध करना ;

(5) पर्वतीय स्थानों के लिये 'ऑफ-सीजन' किराये चालू करने के लिये रेल मंत्रालय को सिफारिश करना ;

(6) क्षेत्र में सब महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर कारवां/कार पार्किंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों को सिफारिश करना।

(ग) भारत के लिये पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार का पर्यटन विभाग संसार के प्रमुख पर्यटक मार्केटों में वृहत प्रचार कार्य करता है, जिसमें सभी क्षेत्र सम्मिलित किये जाते हैं। केन्द्र एवं राज्यों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तरी क्षेत्र की अनेक प्रायोजनाएं सम्मिलित की गयी हैं।

केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय में एस० ए० एस० लेखापालों के वेतनों का संरक्षण

977. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री 11 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9221 और 9264 के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय के उन एस० ए० एस० लेखापालों को, जो अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर गये थे, जबकि उनके कनिष्ठ व्यक्ति लेखाधिकारी नियुक्त किये गये थे, वेतनों का संरक्षण किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं जबकि नियमों में वेतनों के संरक्षण की व्यवस्था है ;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति पर गये अन्य कर्मचारियों, जिनकी समान हालतों में पदोन्नति नहीं की जा सकी, को वेतनों का संरक्षण दिया गया है और यदि हां, तो किन उपबन्धों के अधीन ; और

(घ) उपरोक्त भाग के बारे में उल्लिखित प्रश्नों के उत्तर में बताये गये एस० ए० एस० लेखापालों के मामले में यह उपबन्ध लागू न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). जी, हां। जो एस० ए० लेखाकार प्रतिनियुक्ति पर थे, उनके वेतन को उस सीमा तक संरक्षण दिया गया है जिस सीमा तक नियमों के अधीन इस सम्बन्ध में व्यवस्था है।

पिछले दो वर्षों में, प्रतिनियुक्ति पर गये केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार के कार्यालय के ऐसे एस० ए० एस० लेखाकारों के मामले हुए हैं जिनमें उनसे कनिष्ठ लेखाकारों को मूल कार्यालय में पदोन्नत किया गया था परन्तु जिन्हें वेतन-संरक्षण नहीं दिया गया। इन मामलों में से 10 मामलों में वेतन संरक्षण इस कारण नहीं दिया गया था कि वे तत्-निम्न नियम के अनुसार संरक्षण के लिये अर्हता नहीं रखते थे। इस नियम के अन्तर्गत, मूल कार्यालय में पदोन्नत किये गये प्रत्येक कनिष्ठ कर्मचारी के अनुपात में, प्रतिनियुक्ति पर गये केवल एक अधिकारी को ही औपचारिक पदोन्नति दी जा सकती है—इस प्रकार यदि प्रतिनियुक्ति पर दो अथवा दो से अधिक वरिष्ठ अधिकारी हों तो उनमें से केवल वरिष्ठतम को ही औपचारिक पदोन्नति मिलती है। अन्य दो मामलों में, अल्प अवधियों के लिये औपचारिक पदोन्नति का आदेश नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मूल्य कार्यालय में वे पद अल्प काल के लिये थे।

(ग) जी, नहीं। कुछ अन्य कर्मचारियों को भी वेतन संरक्षण नहीं दिया गया क्योंकि इसी प्रकार की परिस्थितियों में उन्होंने तत्-निम्ननियम की शर्तों को पूरा नहीं किया।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल/एल० डी० ओ० तथा इंडेन गैस की फुटकर बिक्री के लिए एजेन्सियों की स्थापना

978. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल/ एल० डी० ओ० तथा इंडेन गैस की फुटकर बिक्री के लिए एजेंसियां देश भर में दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां विक्रय एजेन्सियां अब तक स्थापित नहीं की गयी हैं ; और

(ग) इसके कारण क्या हैं और इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). व्यापार की सम्भाव्यता एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय तेल निगम लि० ने केवल उन जिलों को छोड़कर जहां मांग की सम्भावना औचित्य नहीं दर्शाती, समस्त देश में मिट्टी का तेल/एल० डी० ओ०, इण्डेन गैस के लिए एजेन्सियां/विक्रय-एजेन्सियां और पैट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल के लिए फुटकर विक्रय पम्पों की स्थापना की है। उक्त निगम द्वारा इन जिलों की आवश्यकताओं का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और ज्यों ही किसी क्षेत्र की मांग इस प्रकार की एजेन्सी/विक्रय-एजेन्सी की स्थापना की आवश्यकता के अनुरूप होगी, इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन जिलों के जहां पर निगम द्वारा अब तक विक्रय एजेन्सियां स्थापित नहीं की गई है, नामों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

राष्ट्रीय-कृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों की वसूली

979. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा किसानों तथा छोटे उद्योगों को दिये गये ऋणों की वसूली सम्बन्धी नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) और (ख). अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को दिये गये ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1970 में और छोटे उद्यमकर्ताओं तथा ऋणकर्ताओं के आत्मनियोजित अन्य वर्गों को दिये गये ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में मार्च 1971 में सरकार ने नहीं अपितु भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के नाम मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये थे। इन दो प्रकार के ऋणकर्ताओं को लागू होने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्वरूप को संलग्न विवरण में बताया गया है।

विवरण

(i) किसानों को दिये गये ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त:

ऋण की वापसी की तारीख वह निश्चित की जाय जबकि ऋण की वापसी के लिए किसान के पक्ष काफी पैसा होने की सम्भावना हो। इस तारीख के सम्बद्ध में निर्णय करते समय किसानों को तारीख आगे पीछे करने की विशेष सुविधा दी जाय ताकि वह अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। वसूली की प्रक्रिया न्यायोचित लेकिन पक्की होनी चाहिये। विविध फसल वाले क्षेत्रों में, जहां एक फसल दूसरी फसल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो तो वसूली की तारीख तब रखने के लिए कहा गया है जब कि मुख्य फसल की बिक्री का समय हो। वापसी की क्षमता का हिसाब भी लगाने का भी तरीका बताया गया है। मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यह भी बताया गया है कि वसूली की प्रक्रिया निर्धारित करने में इस दृष्टि से पर्याप्त लचीलापन रखा जाय कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाली व्यापकस्वरूप की दैवी विपत्तियों के कारण जिन रकमों की वापसी में चूक हो जाय तो उन्हें वसूल करने का कार्यक्रम फिर से निर्धारित किया जा सके। यह भी सुझाव दिया गया है कि हर मौसस में वसूली कार्य की नियमित समीक्षा की जाय और वसूली कार्य का सम्बन्ध किसी अवधि के ऋणों की "मांग" से जोड़ा जाय न कि "बकाया रकमों" से।

(ii) छोटे उद्यम कर्त्ताओं तथा ऋणकतोओं के अन्य आत्म नियोजित वर्गों को दिये गये ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त :

छोटे उद्यमकर्ताओं तथा आत्मनियोजित ऋणकर्ताओं के अन्य वर्गों को दी गयी रकमों के उपयोग को देखने तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऋणों की वसूली करने के लिये बाद की पर्याप्त कार्रवाई और पर्यवेंक्षण सम्बन्धी उपयुक्त प्रबन्ध संगठित किये जाने चाहिएं। इससे रकमों का आदान प्रदान जारी रह सकेगा। इससे दुर्लभ साधनों को अधिक लोगों तक पहुंचाना सम्भव हो सकेगा। ऋणकर्ता को आधारभूत न्यूनतम हिसाब किताब रखने और वित्तीय पर्यवेंक्षण एवं अनुशासन स्वीकार करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। विशेष कर ऋणकर्ता एककों को उनके कारोबार से

हुई अधिशेष आमदनी के एक भाग को फिर से कारोबार में लगाकर सामान्य शेयर पूंजी निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कृषि भूमि पर से सम्पत्ति कर की वसूली

980. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सम्पत्ति कर लगाने के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वेध घोषित किये जाने के फलस्वरूप, सरकार द्वारा वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के लिये कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर की वसूली आरम्भ करने के लिये आय-कर विभाग को अनुदेश दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि वसूल किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। धन-कर अधिकारियों को कृषि सम्पत्ति पर धन-कर की वसूलियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न करने के अनुदेश दिये जा चुके हैं।

(ख) वर्ष 1971-72 के लिये कृषि सम्पत्ति पर धन-कर के कारण, 8 करोड़ रुपयों का अखिल भारतीय बजट लक्ष्य वसूली के लिये निश्चित किया गया है।

भारतीय नौसेना के लिये मोटर तारपीडो नौकाओं की खरीद

981. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों से भारतीय नौसेना के लिये मोटर तारपीडो नौकाएं खरीदने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस विषय पर सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।

बिहार में पेट्रोलियम की खोज

982. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बिहार राज्य में पेट्रोलियम की खोज करने के लिए हाल ही में कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में पेट्रोलियम की कमी

983. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन देश में पेट्रोलियम की मांग पूरी करने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पेट्रोलियम की मांग पूरी करने हेतु देश में पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). देश के पेट्रोलियम उत्पादों की सम्पूर्ण आवश्यकताऐं भारतीय तेल निगम एवं पेट्रोलियम उत्पाद बनाने वाली अन्य प्राइवेट तेल कम्पनियों द्वारा पूरी की जाती है। उत्पादों की उतनी मात्राओं का, जो कम रह जाती हैं और देशीय उत्पादन से पूरी नहीं हो सकती, आयात देश से बाहर उपलब्ध संसा-धनों से किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये परिष्करणशाला क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के कदम भी उठाये जा रहे हैं।

बिहार को सहायता

984. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसकी चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता की मात्रा में 75 प्रतिशत की वृद्धि की जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया कि केन्द्र द्वारा दिये गये ऋणों को "अलाभकर" मान कर बट्टे-खाते में डाल दिया जाये तथा उसके वित्तीय भार को कम करने के लिए ऋण भुगतान प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था की जाए ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बिहार सरकार, राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पाने के लिए समय-समय पर अनुरोध करती रही है। उसने यह भी प्रार्थना की है कि राज्यीय योजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में अनुदानों के अनुपात को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया जाय।

(ख) जी, हां।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता उस मापदण्ड के अनुसार दी जा रही है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्धारित किया है और जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। यह सहायता इकट्ठे ऋणों और अनुदानों के रूप में 70 : 30 के निश्चित अनुपात में दी जाती है। राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता दिये जाने के मापदण्ड को या इस सहायता के ऋण तथा

अनुदान के अनुपात को परिवर्तित करना सम्भव नहीं है। बिहार राज्य तथा कुछ और राज्यों ने केन्द्रीय ऋणों की वापसी-अदायगी के कार्यक्रम को पुनः निर्धारित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, उसकी जांच कर ली गयी है, लेकिन उसे अपनाये जाने योग्य नहीं समझा गया है।

देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने का निर्णय

985. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ऐसे संयंत्र लगाये जाने की सम्भावना है ;

(ग) उनके लिये कौन से स्थान चुने गये हैं ; और

(घ) इस उद्देश्य के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ). सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कोयले पर आधारित तीन प्रायोजनाओं की स्थापना का निर्णय किया है तथा इन तीन प्रायोजनाओं के लिए चुने गए स्थान, तालचर(उड़ीसा), रामागुण्डम (आंध्र प्रदेश) और कोरबा (मध्य प्रदेश) है। चौथी योजना अवधि में इन प्रायोजनाओं पर होने वाला व्यय, उक्त योजना में नई उर्वरक प्रायोजनाओं के लिए रखे गए 262 करोड़ रुपये के एक-मुश्त आवंटन से पूरा किया जायेगा। सरकार ने कम्पटी (नागपुर के पास) में कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना हेतु एक प्राइवेट पार्टी को भी एक आशय पत्र जारी किया है। उक्त पार्टी से प्रायोजना के ब्योरों की प्रतीक्षा है।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

986. **श्री हरि किशोर सिंह** :
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने जून तथा सितम्बर, 1971 के दौरान रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ओवरड्राफ्ट किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और ओवरड्राफ्ट की राशि कितनी है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). भारत सरकार ने, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यों के हिस्से को तथा जुलाई, 1971 में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की रकम को समय से पहले देकर, तथा अर्थोपाय अग्रिमों को मंजूर करके, जून, 1971 के

अन्त तक राज्यों के ओवरड्राफ्टों को साफ कर दिया था। किन्तु कुछ राज्यों ने फिर ओवरड्राफ्ट ले लिये हैं। 30 सितम्बर, 1971 तक के राज्यों के ओवरड्राफ्टों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जिन राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक से, ओवरड्राफ्ट ले रखे हैं उन राज्यों के राज्यपालों/मुख्य मंत्रियों के साथ अभी हाल ही में विचार विमर्श किया गया है। ओवरड्राफ्टों के सम्बन्ध में राज्यपालों/मुख्यमंत्रियों ने भी भारत सरकार के साथ-साथ चिन्ता प्रकट की और इस बात से रजामंदी जाहिर की कि ओवरड्राफ्टों को कम करने के लिये बहुत से उपाय करने जरूरी होंगे, जिसमें व्यय में कमी करने तथा अतिरिक्त साधन जुटाने के उपाय भी शामिल होंगे।

विवरण

30 सितम्बर, 1971 को राज्यों के ओवरड्राफ्ट

	(करोड़ रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	37.42
2. असम	14.21
3. बिहार	7.49
4. केरल	21.43
5. मैसूर	28.55
6. राजस्थान	22.35
7. तमिलनाडु	32.88
8. पश्चिम बंगाल	3.68
जोड़ :	168.01

धन की कमी का योजना के परिव्यय पर प्रभाव

987. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति की पिछली बैठक को सूचित किया था कि धन की कमी का योजना के परिव्यय पर प्रभाव पड़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने योजना आयोग से इस मामले पर विचार करने के लिये कहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) और (ख). वित्त मन्त्रालय की सलाहकार समिति की पिछले महीने हुई बैठक में मैंने यह स्पष्ट किया था कि बंगला देश से आए शरणार्थियों पर होने वाले भारी खर्च को देखते हुए, आयोजना-भिन्न और गैर-अत्यावश्यक व्यय में 5 प्रतिशत की

कटौती करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने इस बात पर भी बल दिया था कि आयोजनागत कार्यक्रमों के संपादन में तेजी लाकर आयोजना के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना आयोग इस समय आयोजना और उसके लिए साधनों का अध्यावधिक मूल्यांकन कर रहा है।

मत्स्य उद्योग में एकाधिकार

988. **श्री वयालार रवि** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उद्योग में कुछ एकाधिकार गृहों का प्रवेश हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनों को विदेशी सहयोग प्राप्त है ; और

(ग) इन एकाधिकारी ग्रुपों के विस्तार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). सम्बन्धित मंत्रालयों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का अध्याय 3 आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण एवं पुनः कार्य के लिये इस प्रकार के उपबन्ध जहां लागू होते हैं उनकी व्यवस्था प्रस्तुत करता है तथा नये उपक्रम के निर्माण के लिए वगैर केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के कोई अतिरिक्त व्यय प्रभावित नहीं हो सकता है। अभी तक इस क्षेत्र में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों के सम्बन्ध में कोई अनुमति नहीं ली गई है।

इण्डियन एयरलाइन्स की बोइंग 737 की उद्घाटन उड़ान

989. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई से त्रिवेन्द्रम तक की बोइंग 737 की उद्घाटन उड़ान के अवसर पर केरल के मुख्य मन्त्री को आमन्त्रित नहीं किया गया था और उन्होंने उसमें भाड़ा देकर यात्रा की ;

(ख) इस उद्घाटन उड़ान के लिए किन व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया था ; और

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की बम्बई/नासिक उद्घाटन उड़ान के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री आमन्त्रित थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स ने बम्बई से त्रिवेन्द्रम तक के लिये अपनी पहली बोइंग 737 उड़ान में सम्मिलित होने के लिये केरल के मुख्य मन्त्री को आमन्त्रित किया था। परन्तु चूंकि वे मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात् दिल्ली से वापिस लौट रहे थे और उनके पास दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक का बरास्ता बंगलौर वापसी टिकट था, उसका मार्ग परिवर्तन करके उन्हें बम्बई के रास्ते ले जाया गया, और इसलिये इण्डियन एयरलाइन्स उनका बम्बई-त्रिवेन्द्रम खंड के लिये पहले से भुगतान किया गया किराया वापिस कर रही है।

(ख) केरल के मुख्य मन्त्री के अलावा एक मात्र विशिष्ट व्यक्ति जिन्हें बम्बई से त्रिवेन्द्रम तक की उड़ान में शामिल होने के लिये आमन्त्रित किया गया था संसद् सदस्य श्री वी० के० कृष्णामेनन थे। परन्तु बंगलौर से निम्नलिखित पांच पत्र-प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया था :—

1. श्री टी० ए० सुब्रह्मण्यम्, सम्पादक, "दि मेल", मद्रास।
2. श्री नीलकंठन, क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी० टी० आई०, मद्रास।
3. श्री सीतारमण, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू० एन० आई०, मद्रास।
4. श्री माधवन कुट्टी, सहायक सम्पादक, इण्डियन एक्सप्रेस, मद्रास।
5. श्री आर० मुथुस्वामी, संवाददाता, 'दि हिन्दू', मद्रास।

(ग) महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री को आमन्त्रित किया गया था, परन्तु वे सम्मिलित नहीं हो सके।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्यालय भवन के लिये दिया गया किराया

990. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में कार्यालय भवन के लिये कुल कितने किराये का भुगतान किया गया ; और

(ख) इस सम्बन्ध में व्यय को कम करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान कार्यालय-स्थान के लिए भुगतान किया गया किराया निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि
1968-69	1.29 लाख रुपये
1969-70	2.90 लाख रुपये
1970-71	3.70 लाख रुपये

(ख) हर साल निगम के क्रियाकलापों के बढ़ जाने के साथ और अधिक कार्यालय-स्थान की आवश्यकता होती है, अतः इस विषय पर व्यय में कटौती सम्भव नहीं है।

भारत में विदेशी औषध कारखानें

991. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने विदेशी औषध कारखानें हैं ;

(ख) क्या इन कारखानों द्वारा किये जा रहे पूंजी विनियोजन में कमी करने के बारे में सरकार ने हाल ही में कोई निदेश जारी किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे निदेश क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही इन विदेशी कारखानों को अपने अधिकार में लेने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से औषध एवं भेषजों का निर्माण करने वाली उन विदेशी फर्मों, जिनका प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश है, की कुल संख्या 39 है ।

(ख) और (ग). सरकार ने ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया है किन्तु औषध एवं भेषजों के क्षेत्र में विदेशी साझेदारी कम करने के लिये आमतौर से निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं :

(1) विदेशी साम्य हिस्सेदारी में उत्तरोत्तर कमी करना और सम्बन्धित फर्मों में भारतीय हिस्सेदारी में उतनी ही वृद्धि करना ।

(2) जटिल प्रकार के सूत्रयोगों अथवा जहां सूत्रयोग क्षमता प्रपुंज औषधियों के उत्पादन से सम्बद्ध है, के सिवाय, सूत्रयोगो के लिए लाइसेंसों का सामान्य रूप से जारी न किया जाना ; और

(3) क्षमता में विस्तार करने के लिए उपयुक्त निर्यात दायित्व उदाहरण-स्वरूप मानकर शर्त के रूप में लगाया जाना ।

(घ) और (ङ). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । कारखानों की संख्या, उनके प्रचालन के स्वरूप आदि पर विचार करते हुए सरकार विदेशी फर्मों को अपने अधिकार में लेना आवश्यक नहीं समझती । औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अन्तर्गत औषध उद्योग अनुसूची 'बी' का उद्योग है और इसलिये इसका विकास सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है ।

शिवसागर, आसाम में तेल के नये क्षेत्र

992. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम के शिव सागर जिले में तेल के नये क्षेत्र की खोज की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तेल की सम्भावनाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) असम में शिवसागर के निकट पाये गये अमगुरी संरचना में खोदे गये पहले कुएं में, जुलाई-अगस्त, 1971 में परीक्षण के दौरान, तेल मिला था ।

(ख) इस खोज की तेल संभाव्यता का अभी निर्धारण किया जाना है ।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक

993. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :**
श्री पी० गंगा देव :
श्री पी० ए० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वाशिंगटन में होने वाली हाल ही की बैठकों में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उन बैठकों में क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिये ये निर्णय कहां तक सिद्ध होंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). भारत की ओर से गवर्नर की हैसियत से मैंने सितम्बर 1971 में वाशिंगटन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और विश्व बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की वार्षिक बैठक में भाग लिया था ।

निधि की बैठक का मुख्य विषय वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति था । अपने भाषण के दौरान मैंने मौजूदा संकट के सम्बन्ध में विकासशील देशों की चिन्ता व्यक्त की और बड़े औद्योगिक देशों की मुद्राओं के सम-मूल्य को तुरन्त फिर से निर्धारित करने, अनिवार्य स्थायी सम-मूल्य प्रणाली की स्थापना करने और सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के मंच और अनुशासन के अधीन कार्य करने के महत्व की आवश्यकता पर जोर दिया था । मैंने यह आशा व्यक्त की थी कि विशेष आहरण अधिकारों (स्पैशल ड्राइंग राईट्स) के निर्धारण का क्रम जारी रहेगा और मैंने प्राथमिक प्रारक्षित परिसम्पत्ति के रूप में विशेष आहरण अधिकारों के भावी योगदान की जांच करने का सुझाव दिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था और विकास सम्बन्धी वित्त की आवश्यकताओं के बीच प्रभावी व्यावहारिक तालमेल बिठाने के हमारे विचार को फिर से दोहराया और मैंने यह सुझाव दिया कि विशेष आहरण अधिकारों और विकास सम्बन्धी वित्त के बीच तालमेल बिठाने की तेजी से व्यवस्था की जाय और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की अन्तर्नियमावली में लिपिबद्ध कर दिया जाय ।

मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकासशील देशों के, जिनकी संख्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सदस्यों में काफी अधिक है, विचारों और हितों का निधि के निश्चयों में पर्याप्त स्थान होना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए समृद्ध देशों और विकासशील देशों को मत देने के सापेक्ष अधिकारों में अधिक युक्तियुक्त समायोजन किया जाना चाहिए ।

विकसित देशों के गवर्नरों ने सामान्यतः इन में से कुछ विचारों का समर्थन किया । निधि के गवर्नरों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें निधि के सदस्यों से यह अनुरोध किया गया कि वे विनिमय-दरों का संतोषजनक ढांचा बनायें और निधि को फिर से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में सहायता दें । सदस्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि प्रतिबन्धात्मक व्यापार और विनियम पद्धतियों को बनाये रखने की प्रवृत्ति को विपरीत दिशा देने के लिए निधि को सहयोग दें और आपस में सहयोग करें । प्रस्ताव के कार्यकारी निदेशकों से यह अनुरोध भी किया गया कि

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में गवर्नरों के बोर्ड की रिपोर्ट दें और इस प्रयोजन के लिए, विशेष आहरण अधिकारों की भूमिका सहित इस व्यवस्था के सभी पहलुओं का अध्ययन करें। आशा है इस प्रस्ताव के अनुसरण में जो कार्रवाई की जायगी, उससे ऐसी व्यापार और विनिमय सम्बन्धी पद्धतियों का निर्माण होगा जो विकासशील देशों के निर्यात के विकास और इन देशों के बीच विशेष आहरण अधिकारों के अधिक समान वितरण के अनुकूल होगी।

जहां तक विश्व बैंक का सम्बन्ध है, मैंने विश्व बैंक समूह की संस्थाओं द्वारा ऋण की रकम और क्षेत्र में वृद्धि किये जाने और विशेष रूप से इस बात पर आभार प्रकट किया कि बैंक द्वारा विकासशील देशों में सामाजिक न्याय सहित विकास को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में हाल में अधिक बल दिया जा रहा है। मैंने इस बात का भी संकेत दिया कि विकासशील देशों की राष्ट्रीय नीतियों और संस्थाओं के उद्देश्यों के अनुरूप वास्तविक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक की ऋण देने की कुछ नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

डिवाइन लाइट मिशन के अनुयायियों द्वारा टाइम्स आफ इंडिया के कार्यालय पर आक्रमण के बारे में

RE. ATTACK ON THE TIMES OF INDIA OFFICE BY FOLLOWERS OF DIVINE LIGHT MISSION

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इससे पूर्व कि आप सभा को स्थगित करें, मैं यह बताना चाहता हूं कि 'टाइम्स आफ इण्डिया' में एक समाचार छपा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं इस प्रकार बात उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। सभा दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत सूचना दी है। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डिवाइन लाइट मिशन के लोगों ने···

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर एक ध्यान दिलाने वाली सूचना प्राप्त हुई है। उस पर विचार किया जा रहा है।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : If the mob is allowed to take the law and order in its hands the publication of these papers will stop. It must be taken up here and now.

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर अध्यक्ष महोदय ही निर्णय देंगे । मैं इस विषय पर इस समय निर्णय नहीं ले सकता ।

श्री राम सहाय पांडे : यह विधि-व्यवस्था की स्थिति है । सरकार को इस मामले में एक वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ध्यान दिलाने वाली सूचना को सोमवार को लिया जा सकता है । परन्तु सरकार को इस मामले पर आज ही वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : 500 अथवा 600 लोगों ने लाठियों तथा छुरों से 'नवभारत टाइम्स' तथा 'टाइम्स आफ इण्डिया' के दफ्तर पर हमला किया था । गृह मंत्री आ गये हैं । इनको इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस बात पर ध्यान दे ।

श्री राम सहाय पांडे : आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दे ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The journalists have been beaten up. This is a very serious matter. If should be taken up in one form or the other.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत, नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (तीसरा संशोधन) विनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति पुन: सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 248 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 730/71]**

(2) (एक) नौसेना (पेंशन) चौथा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त, 1971 में अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० 294 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नौसेना (अनुशासन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 314 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1039/71]

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, दिल्ली विक्रय कर, (तीसरा संशोधन) नियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1164 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1050/71**]

(2) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय-कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एफ० 4(40)/71-फिन० (जी) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1041/71**]

(3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1246 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौदहवां संशोधन), नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1405 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०1042/71**]

(4) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 27 मार्च, 1971, की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर लाटरी और पुरस्कार प्रतियोगिता नियंत्रण और कर अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (दो) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 942 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 27 मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1043/71**]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1153, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1200, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 1201, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) जी० एस० आर० 1220, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 1243, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) जी० एस० आर० 1265, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 1334, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 1339, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1044/71**]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 38वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1047 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सोमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 39वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1139 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य), 40वां संशोधन, नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1202 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 41वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1203 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 42वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1204 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 43वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1205 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 44वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1206 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 45वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1207 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 46वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1208 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 47वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1209 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त, 1971 से अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1219 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 48वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1239 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 49वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1240 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 50वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1241 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 51वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1242 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1045/71]

(7) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) जी० एस० आर० 996 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1029, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 1031, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 1140, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 1158, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी० एस० आर० 1159, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 1212, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 1253, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) जी० एस० आर० 1382, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) जी० एस० आर० 1513, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1046/71]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं रघुनाथ रेड्डी की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1306 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मेसर्स अदोनो म्यूच्यवल बेनेफिट परमानेन्ट फण्ड लिमिटेड को एक 'निधि' घोषित किया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1047/71]**

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कठिनाइयों का निवारण आदेश संख्या 2

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1251क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा

दिनांक 4 मई, 1971 में प्रकाशित की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 636 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1048/71**]

(2) हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 53 की उपधारा (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य (कठिनाइयों का निवारण) आदेश संख्या 2 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4023 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०1049/71**]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (अलमोड़ा) : मैं प्राक्कलन समिति की निम्नलिखित बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 22 मई 1970 को हुई प्रथम बैठक (1970-71) ; और

(2) 24 जून को हुई प्रथम बैठक (1971-72)

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

15वां तथा 17वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) चाय बोर्ड के वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1967-68 के लेखे सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति के 115 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(2) पूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970 के सम्बन्ध में समिति के 105 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 17 वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

चौथा, 5वां, 7वां और 8वां प्रतिवेदन

श्री एम० बी० राणा (भड़ौंच) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 46 वें प्रतिवेदन

(चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन ।

(2) हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 12वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन ।

(3) मजगांव डाक लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 42वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सातवां प्रतिवेदन ।

(4) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 27वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में आठवां प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 22 नवम्बर, 1971 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्यसूची में आगे ले जाई जाने वाली सरकारी कार्य की कोई भी मद

(2) विचार तथा पास करने के लिए :—

(क) अग्रिम संविदा (विनियम) संशोधन विधेयक, 1971

(ख) छोटे सिक्के (अपराध) विधेयक, 1971

(3) रेल यात्री भाड़ा अध्यादेश, 1971 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर विचार । रेल यात्री भाड़ा विधेयक, 1971

(4) डाक की वस्तुओं पर कर अध्यादेश, 1971 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर विचार । डाक की वस्तुओं पर कर विधेयक, 1971

(5) अन्तर्देशीय विमान कर अध्यादेश, 1971 के निरनुमोदन संम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर विचार । अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर विधेयक, 1971 ।

(6) स्टाम्प तथा उत्पादन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर विचार । स्टाम्प तथा उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1971 ।

(7) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1971 ।

(8) उड़ीसा में तूफान के सम्बन्ध में मंगलवार, 23 नवम्बर, 1971 को एक सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : कार्य मंत्रणा समिति में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों सहित सभी सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिए। श्री राज-बहादुर ने कहा था कि वह प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने के पश्चात निर्णय करेंगे कि इस विषय को अगले सप्ताह लिया जा सकता है अथवा नहीं। ढाका में कर्फ्यू लगा हुआ है और एक हजार से अधिक व्यक्तियों को मार दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप हमारी इच्छा प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री तक पहुंचा दें।

श्री समर मुखर्जी (कन्टाई) : मैं भी इसी विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बंगला देश में नरसंहार अभी भी जारी है। सीमा पर गोलाबारी हो रही है। अतः इस मामले पर आगामी सप्ताह चर्चा होनी चाहिए।

एक अन्य बात यह है कि श्री बी० सी० गंगुली की अनिवार्य और जबरन सेवानिवृत्ति से समूचे देश में असंतोष फैला है। अतः रेल मंत्री के वक्तव्य पर भी चर्चा होनी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह ठीक है कि कार्य मंत्रणा समिति में इसका उल्लेख किया गया था। हम सबने यह महसूस किया था कि इस समय चर्चा करने से श्री गंगुली को लाभ के बजाय अधिक हानि होगी।

श्री समर गुह : **

उपाध्यक्ष महोदय : इसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा (**अन्तर्बाधा**)।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले सप्ताह का कार्य सभा में पेश किया गया था। कुछ सुझाव दिये गये हैं। श्री गुह को भी सुझाव देने की अनुमति दी गई है।

श्री समर गुह : श्री बनर्जी ने जो कुछ कहा, वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह सर्व-सम्मत राय थी कि इस मासले पर चर्चा में श्री गंगुली को अधिक हानि होगी (**अन्तर्बाधा**)। यह नहीं कहा गया था कि वहां पर कोई चर्चा नहीं होगी** (**अन्तर्बाधा**)।

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : **

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि इन बातों को रिकार्ड नहीं किया जायेगा। आप किसी अन्य अवसर पर बात उठा सकते हैं। इस समय नहीं·····(**अन्तर्बाधा**)।

श्री एस० एम० बनर्जी : **

श्री बी० शंकरानन्द : दोनों माननीय सदस्य कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। मुझे उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को सम्बन्धित मंत्रियों तक पहुंचा दूंगा और सुझावों को कार्य मंत्रणा समिति की आगामी बैठक में रखा जायेगा।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re. REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1969-70

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो 25 जून, 1971 को सभापटल पर रखा गया था, विचार किया जाये"।

मैं इस समय सभा का समय नहीं लेना चाहता, परन्तु वाद-विवाद में उठाये जाने वाले प्रश्नों को मैं अपने उत्तर में लेने का प्रयत्न करूंगा ।

***श्री रेणुपद दास** (कृष्ण नगर) : प्रतिवेदन में पता लगता है कि गत चार वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या 19$\frac{1}{2}$ लाख से बढ़कर 28 लाख हो गई है और कालेजों की संख्या 2749 से बढ़कर 3297 हो गई है। परन्तु पुस्तकालयों तथा होस्टलों आदि की संख्या में इस गति से वृद्धि नहीं हुई है। देश के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में तेजी से जो परिवर्तन हो रहे हैं, वह शिक्षा के क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देते। प्रति विद्यार्थी व्यय भी कम हो गया है। अमरीका तथा यूरोप के देशों में प्रति विद्यार्थी किये जाने वाले व्यय का यह एक प्रतिशत भी नहीं है। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है।

शिक्षा की वर्तमान प्रणाली संकट की स्थिति में है। कालेज की प्रत्येक श्रेणी में 150 से 200 तक विद्यार्थी होते हैं। जो पुस्तकालय 16 विद्यार्थियों के लिए था, उसका अब 33 से 34 विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। इस से शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परीक्षा प्रणाली शिक्षा के विकास में सहायक नहीं है। ऐसा केवल बंगाल में ही नहीं, बल्कि उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान तथा देश के अन्य राज्यों में भी है।

प्रतिवेदन में सुधार के लिए जो योजनाएं बताई गई हैं, उनकी क्रियान्विति सम्भव नहीं है। स्वयं प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए धन नहीं है। यदि धन भी दे दिया जाये तो भी मेरे विचार में सरकार उन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। जब तक हम अपने समूचे सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन नहीं करते, तब तक शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि गत 25 वर्षों में हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं कर सके हैं। यदि दृढ़ निश्चय और उत्साह से काम किया जाये तो आगामी दस वर्षों में हम पर्याप्त प्रगति कर सकते हैं।

जहां तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह मातृ भाषा ही होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि अनुसंधान कार्य में भी मातृ भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। ऐसा करना कठिन नहीं है। प्रो० सत्येन बोस ने अनेक बार कहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनुसंधान तथा विज्ञान के विद्यार्थियों को बंगाली भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अतः इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा ही होना चाहिए। इस प्रकार समाज में शिक्षा का प्रसार तेजी से किया जा सकेगा।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi version of English Translation of speech delivered in Bangla.

प्रतिवेदन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों के कल्याण कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पुस्तकालयों की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए और अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए।

मेरे विचार में विद्यार्थियों को सलाहकार तथा निर्णय करने वाले निकायों में नहीं लिया जाना चाहिए। कालेज के रोजमर्रा के प्रशासन सम्बन्धी समितियों में विद्यार्थियों को भागीदार बनाया जाना चाहिए। हमारा अनुभव यह है कि जहां कहीं भी हमने विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त किया है, वहां स्कूल अथवा कालेज के प्रशासन को चलाने में सुविधा हुई है। विद्यार्थियों के सहयोग से परीक्षा लेने में भी सुविधा होती है। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यार्थियों के सहयोग के बिना परीक्षा लेना बहुत कठिन है।

हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों को, यह कहकर कि वे नक्सलवादी हैं, दिल्ली के कालेजों में दाखिला नहीं दिया जाता है। सभी विद्यार्थियों को नक्सलवादी कह देना ठीक नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति को देश के किसी भी भाग में बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि कालेजों में 25 प्रतिशत तथा विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत आवास अध्यापकों को दिया जायेगा। परन्तु इस बारे में अभी कुछ भी नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में कुछ अध्यापकों की छंटनी करने का प्रस्ताव है। श्री निगम सिंह महापात्र, जो कि कांथीराज कालेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं, की छंटनी कर दी गई है, ऐसी चीजें रोकी जानी चाहिए।

जब तक देश में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन नहीं किये जाते, तब तक शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया जा सकता।

Shri M. C. Daga (Pali) : People want a basic and revolutionary change in the education pattern. But there seems a general feeling that no such change can take place in the system of education in our country, because our educationists do not want or are not desirous to take such steps.

There is nothing particular in the Report of the University Grants Commission except need for more funds for education. But our education-system can not improve by merely providing more funds to the Universities or Educational institutions.

Regarding teachers, our Universities and educational institutions lack really competent teachers. They have no original thinking of their own. Competent persons are not attracted towards education, because the politics has prevailed over this field of education. There is widespread interference in our educational system. Even the great educationists today are influenced by politicians as they know that their future prospects depend upon the mercy of these politicians. Such teachers and educationists can not have influential impact on the students. In our country only those persons who do not get any job anywhere else adopt the professions of teaching. Such is the competency of our teachers. As a result of such system of education students after getting education from these educational institutions are not fit for employment. Therefore, such situation in the education system requires fundamental change. But the University Grants Commission instead of giving new thought for providing right and proper education in the direction of employment oriented not only to the students of urban areas but also to the students of rural areas too, has emphasised the need for more funds. Because of this defective system of our present education, students have no option but to run towards politics. They take part in politics only for their future prospects.

They are not interested in social welfare of the country. They know that the education they have received from the Universities shall not provide them with adequate and proper source of livelihood where as politics can help them in this matter. This entire atmosphere in the whole of the country is only because of this system of education. Therefore, Government should take bold, courageous and revolutionary steps to change this system of education in radical manner so that the country could make progress.

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : इस प्रतिवेदन में देश के विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण और प्रशासन के बारे में अनेक बहुमूल्य सिफारिशें की गई हैं। परन्तु यह सामान्य ज्ञान की बात है कि प्रत्येक वर्ष कोई न कोई विश्वविद्यालय विशेष रूप से परीक्षाओं के समय कुछ समय के लिए और कभी कभी तो अनिश्चित काल तक के लिए बन्द रहते हैं। समिति में छात्र असन्तोष की समस्या को अत्यन्त गम्भीरता से लिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के क्या कारण हैं ? क्या यह त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली के कारण है अथवा त्रुटिपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण है ? अतः इस महत्वपूर्ण मामले पर गम्भीरता से विचार करने का अब समय आ गया है। अब देश में एक समान समाज की स्थापना करने का समय आ गया है, जहां सम्पूर्ण समाज को सामाजिक न्याय मिल सके।

हमारे देश में छात्र असन्तोष का एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा सम्बन्धी योजना एवं कार्यक्रम तैयार करते समय छात्रों से कभी परामर्श नहीं लिया जाता। विश्वविद्यालयों के प्रशासन पर निगरानी रखने के लिए छात्रों को उसमें शामिल करने की आवश्यकता पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं परन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती। इस दिशा में सरकार की उदासीनता के कारण ही हमारा युवा-वर्ग अन्दोलन का मार्ग अपनाता है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय प्रति वर्ष बन्द करने पड़ते हैं। गजेन्द्रगडकर समिति ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों, सेनेटों और कोर्टों में तथा इस प्रकार के अन्य निकायों में कम से कम 15 प्रतिशत छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अतः प्रत्येक विश्वविद्यालय को चाहिए कि वे इस मुख्य और उत्तम सिफारिश को कार्यान्वित करें। यदि आवश्यकता पड़े तो सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। यदि ऐसी सिफारिशें कार्यान्वित की जाएं तो छात्रों में व्याप्त असन्तोष बहुत सीमा तक कम हो जाय। यदि सेनेट द्वारा किए गये विभिन्न निर्णयों में छात्रों को भी शामिल किया जाए तो वे उनके प्रभावों को छात्रों को भली भांति समझा सकते हैं, और छात्र समुदाय में एकता की भावना आ जायेगी। उन्हें यह भी सन्तोष हो जायेगा कि प्रत्येक निर्णय उनकी सहमति से ही लिया जाता है। परन्तु दुर्भाग्य से वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है और उन्हें अन्धकार में रखा जाता है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों को शामिल किया जाना चाहिए।

गजेन्द्रगडकर समिति की इस सिफारिश को केवल तीन विश्वविद्यालयों ने केवल आंशिक रूप में माना है। और अन्य विश्वविद्यालयों ने तो अपने विचार तक प्रकट करने की भी परवाह नहीं की है। ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिशों के प्रति यदि विश्वविद्यालयों का ऐसा रवैया रहा तो सम्मानित शिक्षकों की अध्यक्षता में समितियां और आयोग गठित करने का क्या लाभ है ? इस महत्वपूर्ण सिफारिश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में इस असाधारण विलम्ब के लिए सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालयों पर दबाव डालना चाहिए।

जहां तक देश में वर्तमान परीक्षा प्रणाली तक सम्बन्ध है, इसकी सभी व्यक्तियों ने सर्वसम्मति से निन्दा की है, यह प्रणाली बहुत ही त्रुटिपूर्ण है और इससे छात्रों में बहुत ही गम्भीर असन्तोष व्याप्त

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।

*Summarised Hindi version of English translation of speech delivered in Tamil.

है । कभी कभी तो छात्रों में इतना असन्तोष हो जाता है कि वे हिंसात्मक आन्दोलन पर उतारू हो जाते हैं । छात्रों के इस प्रकार के व्यवहार के लिए हमें उन्हें ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए । वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सन्दर्भ में शिक्षाविदों, अध्यापकों तथा छात्रों को इस प्रणाली की त्रुटियों की भली भांति जानकारी है और उनका विचार है कि इस प्रणाली में शीघ्रता से परिवर्तन किये जाने चाहिए । परन्तु आज के राजनीतिक इस वर्तमान प्रणाली को अच्छी बताते हैं । अत: मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस समस्त मामले की गम्भीरता और गहराई से जांच करें और परीक्षा सम्बन्धी नई प्रणाली बनाई जाए जो देश के समस्त विश्वविद्यालयों के लिए एक समान हो ।

सम्भवत: मंत्री महोदय को अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में विद्यमान संयुक्त मूल्यांकन पद्धति की जानकारी हो । अत: इस पद्धति को उपयुक्त संशोधन कर इसको हमारे देश में सुगमता से अपनाया जा सकता है । छात्रों के ज्ञान एवं उनकी उपलब्धि की जांच करने हेतु केवल एक ही मानदण्ड अर्थात वाह्य मूल्यांकन अपनाने के बजाए यह उचित होगा कि छात्रों की प्रगति का समय समय पर आन्तरिक मूल्यांकन किया जाए । अत: लिखित परीक्षा की पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है ।

बड़ा खेदपूर्ण विषय है कि शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकार ने गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है । अत: सरकार को इन समितियों तथा आयोगों द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिए और हमारे देश की प्रतिभा के अनुकुल शिक्षा प्रणाली तैयार की जानी चाहिए ।

Shri H. K. L. Bhagat (East Delhi) : It is evident from the report of University Grants Commission that proper attention, to certain problems of the students, particularly University students, has not been given. It is probably because of the paucity of resources. The Government extended adequate financial assistance to the Universities to run colleges, now the question is whether apart from Government, our country can mobilize new resources for this vital task ? The situation demands that we should modify our system of education in the country so that education may be less expensive, and every eligible student can get admission in Universities for higher education. For this the demands of the people for more colleges may be fully met. Even the private resources should be mobilized for this purpose. It is not advisable to let it suffer only for want of resources. Some radical steps should be taken for this purpose.

There are some national purposes and objectives of education. In order to achieve these objectives, the system of education is formulated and some priorities are essentially laid down. I want to know whether these priorities have been correctly laid down, and whether any attempt has been made to achieve these objectives ? But unfortunately, perhaps we have failed to do this and we have not made any balanced development in this regard. For this, there is one burning example that inspite green revolution in the country Government has not given proper attention in the field of agricultural education. Our country needs national integration. But nothing has been mentioned in this respect regarding steps taken for promoting the feelings and tendencies of national integration in this system of Education.

I am pained to observe that in some of the Universities in the country there are restrictions of domicile and as a result of this restriction the students of Delhi, who are living in Delhi, for more than two years, are refused to seek admission in the educational institutions outside Delhi. Even in new medical college in Delhi such students have not been given admission. Therefore, such restrictions should be scrapped and every student should be treated at par in the matter of seeking admission.

Another reason of student unrest is that no arrangements have been made to utilize their energies and attentions in spare time after college hours. When they have spare time, their energies and attention become active towards politics and they indulge in activities. The report has no mention about this.

I am told that Delhi University has been over crowded with students. The Vice-chancellor has suggested for another University for Delhi. The Government should make some arrangements for special planning study of the requirements of expansion of University education in Delhi. **Ad hoc** arrangements will not be sufficient in this regard. The teaching standards in Delhi University have been deteriorating for some time past. We should give full attention to the problems of Delhi University and try to remove the shortcomings. The University teachers are facing acute residential problem and the Government has not given any attention in this regard. Housing facilities should be provided to the teachers of Delhi University.

There should be students participation in the administration of Universities.

Regarding the recommendations of the Gajendragadkar Commission only three Universities have expressed their views and reactions to these recommendations. It is a matter of great regret that such a vital and important matter is allowed to remain undecided for a very long time.

The present system of examination should be changed by taking radical steps and other student problems should be solved by taking radical and concrete steps and practical approach in this matter.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : शिक्षा का भविष्य योग्य अध्यापकों पर निर्भर करता है। पर सारा प्रश्न देश के अनेक सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से सम्बन्धित है अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सम्बन्ध मुख्यत: वित्तीय पहलू से है अर्थात अनुदान से है, किन्तु इसकी वित्तीय पहलू से अधिक महत्वपूर्ण और भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे योग्यता सम्बन्धी गुण हैं किन्तु यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तंत्र से हम शिक्षा के गुणात्मक पक्ष पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का होना निरर्थक हो जायेगा। इसके सन्दर्भ में हमें अन्य व्यवसायों के महत्व पर भी ध्यान देना होगा अत: कुछ सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के कारण कुछ व्यवसायों में जैसे चिकित्सा और इजीनियरिंग में प्रतिभा शाली व्यक्तियों की अपार और असंतुलित भीड़ बढ़ती जा रही है। अत: सन्तुलन बनाये रखने के लिए और कुछ व्यवसायों में भीड़-भाड़ रोकने के लिए लड़कों और लड़कियों को ऐसे समय में जब वे स्कूलों की पड़ाई पूरी कर कालेजों में आएं, तो आजीविका और पाठयक्रम के लिए समुचित मार्गदर्शन किया जाये। इस प्रकार हम अध्यापकों की योग्यता में सुधार करने में भी सफल हो सकेंगे। इस समय वही लोग अध्यापन व्यवसाय में आते हैं, जो अन्यत्र नहीं चुने जाते अथवा जो अच्छे पदों को प्राप्त नहीं कर पाते या अच्छे पदों की प्राप्ति की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए अध्यापन व्यवसाय एक प्रकार का प्रथम सोपान है। यदि इस दिशा में सुधार किया जाए तो हमारे पास सुयोग्य अध्यापक हो सकते हैं।

दूसरी बात है कालेजों को वित्तीय सहायता देने की। पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में छात्रावासों की अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिएं क्योंकि इन क्षेत्रों में कालेज शिक्षा छात्रावासों पर ही निर्भर करती है। अत: आसाम, नागालैण्ड, नेफा, मेघालय, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में और मिजो पहाड़ियों में छात्रावास की सुविधाएं दी जानी चाहिए। यदि केवल राजधानियों में ही कालेज खोले जाते रहेंगे तो शिक्षा का इतना अधिक केन्द्रीकरण हो जायेगा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। अत: कालेज शिक्षा की सुविधाएं सम्बन्धी इस विषमता को दूर करने के लिए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय को पहाड़ी क्षेत्रों में कालेजों में छात्रावास की अधिक से अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए।

जहां तक अनुशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों को शामिल करने की बात है, मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में छात्रों को शामिल करने से छात्रों में व्याप्त असन्तोष दूर नहीं होगा क्योंकि छात्र-अनुशान-हीनता के समूचे मामले में अन्य अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं। केवल यही एक समस्या नहीं है कि छात्रों को प्रशासन में हिस्सा नहीं दिया जाता। परन्तु यह सुझाव स्वागत योग्य है कि इन्हें विश्वविद्यालयों के प्रशासन में शामिल किया जाए किन्तु जब तक हम अपने सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को नहीं बदलते और जब तक कुछ राजनीतिक दल, जो छात्रों के माध्यम से अपना राजनीतिक आधार बनाने का प्रयत्न करते हैं, अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते तो चाहे हम इन छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में शामिल भी करें तब भी यह समस्या ऐसी की ऐसी रहेगी। एक ओर तो अनुशासन लागू करने को जिम्मेदारी एक तंत्र पर डाली जाती है और दूसरी ओर अधिकार जताने वाला तंत्र है। परन्तु यदि इन दोनों में कोई समन्वय नहीं होगा तो अनुशासन हीनता तो अपने आप ही व्याप्त होगी। इसलिए केवल एक पक्ष को ही निन्दित नहीं करना चाहिए। अतः इसके लिए एक ऐसी जिम्मेदार एजेंसी होनी चाहिए जो दोनों ओर अपेक्षित प्रभाव डाले। गहराई से देखा जाये तो हमारे विश्वविद्यालयों के प्रशासन में ही कुछ त्रुटियां मिलेंगी। अतः हमें प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन लाना होगा। इसके साथ ही हमारे छात्रों को भी अपनी प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। हमें दोनों पक्षों को संतुलित करना चाहिए। देश के छात्रों को भली प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए। जब तक छात्रों को समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तब तक राष्ट्र की प्रगति नहीं होगी और राष्ट्र का भविष्य अन्धकारमय रहेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या को हल किया जाये जिसमें आर्थिक और राजनैतिक पहलू भी शामिल हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि बंगाल, जहां कि सबसे पहले और सबसे अधिक शिक्षा का विकास हुआ है, वहीं पर सबसे अधिक अनुशासन हीनता सामने आई है। उन समस्याओं का हल एक दूसरे पर लांछन लगाकर नहीं किया जा सकता। और न ही केवल शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन में छात्रों को प्रतिनिधित्व देकर ही यह समस्या हल हो सकेगी।

मुझे आशा है कि मेरे विचारों पर ध्यान दिया जायेगा। धन्यवाद।

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : निस्संदेह ही हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली को देखकर लगता है कि हम एक गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। अपनी इस त्रुटि से आंखें फेर लेना बड़ा कठिन है।

मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि आज स्कूलों और कालेजों में व्याप्त अनुशासन हीनता से ऐसा लगता है कि वस्तुतः छात्र ही लेक्चरारों को नियंत्रित कर रहें हैं, न कि लेक्चरार छात्रों को। मेरे विचार से तो पहले हमें छात्रों की नींव की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये। वह सुदृढ़ हो, मजबूत हो, तो उन्हें भविष्य में कठिनाई नहीं होगी क्योंकि बचपन का समय बड़ा ही प्रभावी होता है। इसलिये यदि आरम्भ में नींव अच्छी पड़ेगी तो उनका भविष्य भी सुदृढ़ और उज्ज्वल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
छठा प्रतिवेदन

प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छठे

प्रतिवेदन से, जो 17 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 17 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Jagannathrao Joshi : I introduce the Bill.

राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण योजना विधेयक
NATIONAL RIFLE TRAINING SCHEME BILL

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बीस और तीस वर्ष के बीच की आयु वाले सभी समर्थांग नागरिकों को राइफल चलाने का अनिवार्य प्रशिक्षण देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीस और तीस वर्ष के बीच की आयु वाले सभी समर्थांग नागरिकों को राइफल चलाने का अनिवार्य प्रशिक्षण देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

राजनीतिक पीड़ित सहायता विधेयक
POLITICAL SUFFERERS AID BILL

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक
PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL

(धारा 1, 15 आदि का संशोधन)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण विधेयक
HOARDING AND PROFITEERING PREVENTION BILL

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा उनमें मुनाफाखोरी के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा उनमें मुनाफाखोरी के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(नये अनुच्छेद 15 क का अन्त:स्थापन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

राजनीतिक दलबदल रोक विधेयक
PREVENTION OF POLITICAL DEFECTION BILL

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधायकों द्वारा एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने को रोकने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधायकों द्वारा एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने को रोकने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री मल्लिकार्जुन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराज नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एस० एम० सिद्दय्या : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक
INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

(धारा 2 का संशोधन तथा धारा 9 ख आदि का लोप)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(नये अनुच्छेद 141क का अन्त:स्थापन)

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री डी० के० पंडा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम
PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

(धारा 2, 10 आदि का संशोधन)

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री मधु दण्डवते : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(नये अनुच्छेद 16क का अन्त:स्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कर्णी सिंह द्वारा 5 अगस्त, 1971 को पुर:स्थापित निम्नलिखित प्रस्ताव, अर्थात् :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इसे प्रवर समिति को सौंपने के बारे में आगे विचार किया जायेगा । इसके लिये दो घण्टे नियत किये गये थे । 28 मिनट लग चुके हैं और एक घण्टा 32 मिनट शेष हैं ।

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : इस संविधान (संशोधन) विधेयक का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 49 को, जो कि संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन एक निदेशक सिद्धांत है, शामिल करना है। हमारे दल ने भी इसी प्रकार के एक अन्य संशोधन की सूचना दी है और क्योंकि दोनों विधेयकों का अभिप्राय एक समान है, इस हेतु हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

विचाराधीन निदेशक सिद्धांतों का स्वरूप कुछ इस प्रकार कर दें कि उन्हें किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और इसीलिये इसका कोई औचित्य नहीं है। कोई न्यायालय सरकार को इसे लागू करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

इसलिये मेरा निवेदन है कि कार्य करने की स्वतन्त्रता के अधिकार को मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में शामिल किया जाना चाहिये जोकि अब निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत है। कार्य करने की स्वतन्त्रता का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्त्ता को कार्य के माध्यम से अपनी जीविका कमाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सत्तारूढ़ कांग्रेस गत पच्चीस वर्ष में भी इस अधिकार को मूल अधिकारों के अन्तर्गत नहीं ला सकी और इसीलिये हमें उक्त उद्देश्य के लिये गैर सरकारी विधेयक पेश करना पड़ा। समाजवाद लाने की बातें तो खूब की जा रही हैं पर इस महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान तक नहीं दिया जा रहा। हर आदमी काम करना चाहता है परन्तु उसे काम नहीं मिलता। देश के नेता देशवासियों को कहते हैं कि कार्य करो, अधिक कार्य करो परन्तु करें कहां से? काम उन्हें मिलता ही नहीं। जब लोग सरकार से काम मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं तो उन्हें लाठियां और अश्रुगैस मिलती है। सरकार सभी प्रकार जानती है कि देश में बेरोजगारी की स्थिति किस सीमा तक पहुंच चुकी है मगर फिर भी उसने इस समस्या को हल करने के लिये कोई कारगर उपाय नहीं किये। हमने सुना है कि सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये 50 करोड़ रुपये का एक द्रुत कार्यक्रम तैयार किया है परन्तु मैं समझता हूं कि जब तक इस सम्बन्ध में उद्देश्य स्पष्ट नहीं किये जाते, कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई सुनिश्चित उद्देश्य सामने नहीं है, उधर हम देख रहे हैं कि कारखानें बन्द किये जा रहे हैं, उन पर तालाबन्दी की जा रही है तथा कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। सरकार की इन सभी समस्याओं को हल करने के लिये अनेक कानून बनाने पड़ते हैं और अनेक विवादों में आना पड़ता है। परन्तु मेरा विश्वास है कि यदि कार्य के अधिकार को मूल अधिकारों के अन्तर्गत लाया जाये तो यह सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

हमारे देश में असंख्य व्यक्तियों ने डाक्टरी, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये न जाने कितना धन तथा श्रम व्यय किया है परन्तु खेद की बात है कि इतना कुछ करने पर भी उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। शिक्षित बेरोजगारों की दशा बड़ी ही शोचनीय हो रही है और ऐसी स्थिति में निरन्तर वृद्धि ही होती जा रही है। इसका एक मात्र हल यही है कि कार्य के अधिकार को मूल अधिकारों के अन्तर्गत लाया जाये। इससे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन भी सरलता से हो जायेगा और उसे रोजगार प्रधान बनाया जा सकेगा।

आज हमारे देश में एक करोड़ के लगभग शरणार्थी आ चुके हैं और हम उन पर प्रतिमास अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। उसके लिये हमें अपने लोगों पर तरह तरह के कर लगाने पड़े हैं। क्या इसी प्रकार हम अपनी बेरोजगारी की समस्या के लिये प्रयास नहीं कर सकते? शरणार्थियों की

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।
*Summarised Hindi version of English translation of speech delivered in Bengali.

भांति ही, यदि हम अपने शिक्षित बेरोजगारों को 100 रुपये प्रतिमास भत्ता देकर गांवों में भेजें, जहां वे गांवों में निरक्षरता को दूर करें। देश में ऐसे युवकों की कमी नहीं है जो इस थोड़े से भत्ते पर भी यह काम करना सहर्ष स्वीकार कर लेंगे।

कार्य के अधिकार को मूल अधिकार मानना अनेक देशों में स्वीकार किया गया है और ब्रिटेन और सोवियत संघ में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है परन्तु हमारी सरकार ने पच्चीस वर्ष के शासन के बाद भी इस संदर्भ में कुछ नहीं किया है।

अत: हमारे देश वासियों को वे अधिकार मिलने चाहिये जिनका वर्णन इस विधेयक में किया गया है। और कार्य के अधिकार को निश्चय ही मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत लाने की संविधान में व्यवस्था करने हेतु मेरे विधेयक को स्वीकार किया जाये।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : संविधान के अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि देश में सभी नागरिकों के लिये सरकारी रोजगार देने हेतु समानता का मूल भूत अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 41 में भी कहा गया है कि बेरोजगारी के मामले में सरकार कार्य देने के अधिकार को तथा सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी उपाय करेगी। सरकार ऐसी नीतियां बनायेगी जिनसे देश के स्त्री-पुरुषों को अपनी जीविका चलाने के लिये कार्य करने के अधिकार उपलब्ध हों।

इस संदर्भ से माना कि केन्द्र सरकार ने तथा राज्य सरकारों ने अनेक उपाय किये हैं। देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किये गये हैं। परन्तु अनेक पूंजीवादी और एकाधिकार प्राप्त उद्योगपति हड़तालें, बंधों आदि की राजनीति के फलस्वरूप अपने कारखानों, व उद्योगों को बन्द करते जा रहे हैं। उधर सरकारी उपक्रमों में निरन्तर घाटा होता जा रहा है और लघु उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो रहा है और वे भी अपने कारखानें धीरे धीरे बन्द करते जा रहे हैं।

श्रम मंत्री, श्री खाडिलकर ने अपने उत्तर में कहा है कि 31 दिसम्बर, 1970 को बेरोजगारों की संख्या 29,92,982 थी। देश में शांति और स्थायित्व की स्थिति लाने के स्थान पर यदि बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में खुले रूप से उपद्रव, भ्रम और अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपये खर्च किये हैं और चौथी योजना भी अभी चल ही रही है किन्तु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। मंत्री महोदय ने बताया है कि शिक्षित इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिये सामाजिक कार्यक्रम के लिये इस वर्ष 25 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है जोकि व्याप्त बेरोजगारी की स्थिति की तुलना में बहुत अपर्याप्त है। यह तो पूरे समुद्र में थोड़ा नमक डालने वाला उदाहरण है।

देश के तीन प्रमुख राज्यों में बेरोजगारों की संख्या-तमिलनाडु में 3,00,01,481 उत्तर प्रदेश में 3,27,133 तथा पश्चिम बंगाल में 4,10,945 और दूसरे राज्यों में भी एक लाख से 2 लाख के बीच है। अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या 330 लाख हो जायेगी। और यदि जन संख्या भी इसी प्रकार बढ़ती रही तो इस बेरोजगारी की समस्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।
*Summarised Hindi version of English translation of speech delivered in Tamil.

इस संदर्भ में तमिलनाडु सरकार ने आम आदमियों और मजदूरों और दलितों की सरकार होने के नाते सूखाग्रस्त लोगों के सहायतार्थ एक योजना बनाई है और वहां की 384 पंचायत-संघों में से प्रत्येक को 300 से 400 मजदूर प्रदान किये हैं। साथ ही अनेक शिक्षित लोगों के संघ बनाकर उन्हें राज्य के ग्रामीण विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 200 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। अब तक 2000 युवकों को इन युवक संगठनों में भर्ती किया गया है और अगले वर्ष इस संख्या को दुगना कर के 4000 कर देने का लक्ष्य है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि जहां श्री खाडिलकर कहते हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं है, वहां तमिलनाडु सरकार अपने सीमित साधनों में ही राज्य के शिक्षित बेरोज- गारों की समस्या को हल करने का प्रयास कर रही है।

मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि बेरोजगारी की समस्या एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है और सरकार को इसे हल करने के लिये शीघ्र ही कारगर उपाय करने चाहिये। पहले तो वह परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करे तथा दूसरे केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर देश में कुटीर उद्योगों की तुरन्त स्थापना करें। उसके लिये केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अधिकाधिक वित्तीय सहायता दे तभी बेरोजगारी की समस्या का सफलता से कोई हल निकल सकता है।

बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी पंचवर्षीय योजनायें इस समस्या के मूल तक नहीं पहुंची हैं और लोगों की दशा में सुधार नहीं ला सकी हैं। यह बात केवल विपक्षी दल ही नहीं वरन् सरकार के मंत्री गण भी स्वीकार करते हैं। अतः केन्द्र सरकार इस समस्या की ओर और अधिक ध्यान दे। मेरा सुझाव है कि इसके लिये हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह पुनर्गठन किया जाये और शिक्षा की नीति को रोजगार पर आधारित किया जाये। इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय हो अन्यथा भविष्य के प्रति कोई आशा नहीं रह जायेगी। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को इस समस्या को हल करने के लिये पर्याप्त सहायता दे।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The Bill introduced by Dr. Karni Singh is a socialistic one although he himself does not believe in socialism. But still more surprising is the fact that the Government, which has been pleading for socialism throughout, are opposing the socialism and hence this Bill. Is it not strange ?

[श्री सेझियान पीठासीन हुए
Shri Sezhiyan in the Chair]

The Government are also in agreement that the people's hope, which was aroused during the recent elections has been dimnishing day by day and the Government have not been able to take any solid progressive step in the direction of fulfiilling their promises made during the elections. Besides that the Government creates obstacles in case some other persons try to do something in this respect that is the Government do not accept such Bills also as are meant of provide for unemployment allowance etc. I do not know in which way should we bring round our Congress rulers ?

Unemployment in the country is increasing. As a result the provision of some crores of rupees in this behalf has only benefited some contractors and engineers. There has been no progress in regard to employment opportunities for the poor. All the money will go in the hands of corrupt contractors etc. Numerous engineers, doctors and other highly educated people are wandering jobless in the country. Therefore, the amendment sought in the Constitution of India should not be objected

to. Although the Government has been shouting about socialism in the country but truly speeking they are opposed to it since they are allowing all the initiatives in the hands of anti social elements. This is bound to creat unrest and discontent among the labour, poor and then, you can well imegine what will happen in the country ?

I personally believe that the hon. Minister believes in progressive policies and hope that he would gladly accept this Bill in any revised form even. Also these rulers who have been grabbing away a large sum of the national money should also be deprived of these undesirable privileges. This would also lessen the discontent among the poor and down trodden masses of the nation.

The main worry of the people now is the constant increase in prices. The country is now on the thershold of utter poverty and rising prices. But still there are people in our country who are leading a very very luxurious life and a life of extravagance. That is why radical changes are sought in the Constitution and the Government should not object to them. The Constitution is, for the people and not that the people are for the Constitution. We therefore, should welcome such a socialistic meassure from Dr. Karni Singh. Let the hon. Minister accept it. He may make certain changes if he so desires.

With these words, I support this Bill.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : ऐसे प्रगतिशील विधेयक को पेश करने के लिये मैं डा० कर्णी सिंह को बधाई देता हूं । यह बड़े खेद की बात है कि स्वाधीनता के बाद की सरकार लाखों लोगों को रोजगार प्रदान नहीं कर सकी है । हमारे यहां हर वर्ष हजारों व्यक्ति स्नातक बन कर निकलते हैं पर एक तो उनकी शिक्षा का स्तर ही बहुत नीचा है और दूसरे उनको रोजगार प्राप्त न होने के कारण वे देश के लिये लाभप्रद और सहयोगी बनने के बजाय राष्ट्र पर भार बनते जा रहे हैं । बेरोजगारी और उदासीनता का शिकार होकर यही लोग नक्सलपंथी बनते हैं और अपनी झुंझलाहट और खिन्नता में देश के लिये अहितकर कार्य करते हैं । आज यह सब कुछ ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी कुछ योजनायें बनाये जिससे कि हमारे लाखों बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों । इसके लिये जहां छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता है, वहां कुटीर उद्योगों का बड़ा महत्व है । कुटीर उद्योगों की स्थापना न केवल शहरों में, बल्कि गांवों में भी की जानी चाहिये । गांवों में कुटीर उद्योग स्थापित करने की बड़ी क्षमता है ।

साथ ही हमारी शिक्षा प्रणाली में भी उचित परिवर्तन किया जाना चाहिये । केवल स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्तियों से हमारी समस्यायें हल नहीं होगी और उनकी समस्याओं का समाधान न हो सकेगा ।

हम अपने को एक कल्याणकारी समाज मानते हैं, परन्तु साथ ही हम देखते हैं कि हमारे देश के लोग रेलवे स्टेशनों आदि पर भीख मांगते दिखाई देते हैं । इनमें बीमार, असहाय और असमर्थ लोगों के अतिरिक्त हट्टे-कट्टे युवक लोग भी होते हैं । इस वृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिये और ऐसे लोगों को काम उपलब्ध कराया जाना चाहिये । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम ही नहीं करना चाहते । उनके लिये भी कोई कानून बनाया जाना चाहिये, जिससे कि वे कोई काम करने को विवश हों ।

इन सुझावों के साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन पर विचार करे ।

Shri Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I would like to say about the constitution and its Directive Principles. It has been clearly stated in the Directive Principles that every citizen has a right

to get employment. This obliges the Government to provide employment opportunities to all. Today our youth is complaining that they pursue higher studies but even then they do not get employment. The Government say that they give loans to engineers but the fact is that loans are not available despite many requests. Probably some may get loans but this does not solve the problem.

Crores of rupees have been spent for the implementation of Five Year Plans but inspite of this unemployment is increasing. Our Government does not want to give employment light to these unemployed people.

The Government talks of curtailing fundamental rights. According to judgement of Supreme Court, the Government can increase the Fundamental rights enshrined in the constitution but the Government hesitates in doing so. The Government has made slogan of "Remove Poverty". It has provided Rupees fifty crores to remove the poverty. But no scheme has proved successful. The Government also seems to be indifferent in this regard.

As I have stated, our four Five Year Plans have not been able to check the unemployment growth. The Employment Exchange reflects the appalling situation of unemployed educated class.

The Bill envisages that the right to get employment should be included in the Fundamental rights so that every one should be provided jobs. If the Government accepts this, then their Policies and plans would be employment oriented. This will solve to great extent the complicated problem of unemployment.

The wrong policies of the Government have put the country in great trouble. I am not aginst nationalisation. But we see that enterprises set up in Public Sector are showing constant loss and investment of crores of rupees has not resulted in adequate production. If the basic loopholes in our policies are not removed, there can not be any improvement in the deteriorating economic condition.

While supporting the Bill, I would like to urge that by amending the constitution, the right to work may be included in Fundamental Rights. Today thousands of our young people roam in the streets in search of jobs. Tired of unemployment they are compelled to take step of committing suicide. But inspite of this the Government is not prepared to change its policies.

It is my humble request that the Government may look into this. There is not such a thing in it which is unacceptable to the Government. If the Government agrees in principle that every one should get employment then they should have no objection in incorporating this in the constitution.

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं इस विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें तथा इसे कार्यरूप देने में उपस्थित कठिनाइयों के बारे में कहना चाहूंगा। इस विधेयक के द्वारा संविधान में काम करने के अधिकार तथा इसके न होने पर रोजगार भत्ता देने की व्यवस्था शामिल करने की मांग की गई है। माननीय सदस्य ने बताया है कि रोजगार भत्ता देने में 7200 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा। इस विधेयक के समर्थन में बोलने वाले सदस्यों ने सरकार से इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। मुझे प्रसन्नता होती यदि श्री पान्डे जी यह भी बताते कि प्रति वर्ष 7200 करोड़ रुपयों की व्यवस्था कहां से होगी, किसी भी सरकार के लिये इतनी बड़ी मात्रा में धन राशि की व्यवस्था करना कठिन है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि योजनाओं से कोई लाभ नहीं पहुंचा है और इससे रोजगार की सम्भावनाओं में भी वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1950 और 1954 में सरकार ने दो संकल्प पारित किये थे, जिसके अनुसार देश के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा जिससे रोजगार की

अधिकतम सम्भावनाओं की व्यवस्था की जा सके और देश की आय में वृद्धि हो सके । इन दो संकल्पों को दृष्टि में रखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि हमने इस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक की है । रोजगार की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं, जैसे (एक) छोटे परन्तु सक्षम किसानों के विकास हेतु योजना । (दो) सीमान्त भूमि पर कार्य करने वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिये योजना (तीन) बारानी खेती के विकास की योजना आदि । ग्राम रोजगार के लिये तीव्र कार्यक्रम, इंजीनियर और तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों के लिये रोजगार की योजना तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिये योजना लागू की गई है । वर्ष 1951 से 1960 के दौरान 315 लाख रोजगारों की व्यवस्था की गई परन्तु उसी अवधि में बेरोजगारों की संख्या में 380 लाख की वृद्धि हुई, जनसंख्या की वृद्धि भी एक बड़ी समस्या है ।

सरकार मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास पर बल दे रही है । तकनीकी और प्रबन्ध कार्य की जानकारी देने हेतु योजना बनाई गई है तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण देने की भी योजना बनाई गई है । हाल ही में रोजगार के बारे में सलाह देने हेतु विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है । उपरोक्त बातों को देखने से पता चलेगा कि उपलब्ध साधनों से रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने हेतु उनका अधिकतम उपयोग किया गया है ।

सरकार इस दिशा में यथासम्भव प्रयत्न कर रही है और 315 लाख बेरोजगारों को काफी सीमा तक रोजगार उपलब्ध कराया गया है परन्तु कठिनाई यह है कि नए बेरोजगार व्यक्ति भी लगातार आ रहे हैं ।

दो बार फसल के न होने तथा दो बार बाहरी आक्रमण होने और अब जो तीसरा आक्रमण हो रहा है, उन सबसे रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने के सरकारी प्रयत्नों में बाधा उपस्थित हुई है । ऐसी स्थिति में सरकार किस प्रकार 7200 करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर सकती है, अच्छा तो यह होगा कि माननीय सदस्य बतायें कि किस प्रकार इतने धन की व्यवस्था की जा सकती है । अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि सरकार रोजगार की व्यवस्था अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अन्तर्गत कर सकती है और यहां सरकार ऐसा करने में असमर्थ है ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उस पर अपनी टिप्पणियों का समापन करने से पूर्व मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्षी दल का एक उत्तरदायी सदस्य होने के नाते मैं अपने विचारों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा । इस सदन में बहुत-सी उकसाने वाली बातें कही गई हैं जिनमें से कुछ वैयक्तिक भी हैं । किन्तु इस तथ्य को देखते हुए कि हमारे लिये आपातकालीन स्थिति निकट ही है, अतः ऐसी स्थिति में मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला करने में सरकार की शक्ति कम हो । किन्तु मैं समझता हूं कि देश की जनता को इस बात का पता लग जाना चाहिये कि क्या सत्तारूढ़ दल इन समाजवादी कार्यों में ईमानदारी से विश्वास रखता है अथवा ये सब कहने की बातें हैं । इस बात का जनता निर्णय करेगी ।

कुछ ही महीनों पहले मैंने इस महान सदन में विधेयक संख्या 12 पुरःस्थापित किया था जिसमें 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिये जाने का प्रस्ताव किया गया था और साथ ही साथ वृद्धावस्था बीमे की व्यवस्था किये जाने का भी प्रस्ताव किया गया था । किन्तु वह विधेयक सभा ने पारित नहीं किया । विपक्षी दल के बहुत से सदस्यों ने यह सोचा कि वह एक समाजवादी कार्य था

तथा प्राथमिक कक्षाओं तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिया जाना निर्देशक सिद्धान्तों में से था। यदि इस व्यवस्था को संविधान के मौलिक अधिकार वाले अध्याय में सम्मिलित कर दिया होता तो उसमें कोई हानि नहीं थी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार ही है।

हम भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा चाहते हैं, चाहे वे कोई भी हों। मानव होने की प्रतिष्ठा इसी में है कि उसे कार्य मिले। रोजगार के बिना भिखारियों की भांति और कुंठाग्रस्त होकर भटकने में मानव की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मैं मंत्री महोदय की इस कठिनाई से अवगत हूं कि इस कार्य के लिये धन कहां से जुटाया जाये। किन्तु यह उनका कार्य है। सरकार लगभग 25 वर्ष से शासन चला रही है। यदि उसने हेराफेरी की है तथा देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जिसमें जन-संख्या में भारी वृद्धि हुई है तथा परिवार नियोजन कार्य कुछ असफल रहा और सरकार बचत करने में भी असफल रही है तो यह सब उसका दोष है, हमारा नहीं। विपक्षी दल का कर्त्तव्य सरकार के दोषों को बताना है तथा देश की आवश्यकताओं की ओर उनका ध्यान दिलाना है। यह देखना मंत्रालय का कार्य है कि जनता की आवश्यकताएं कहां तक पूरी हो रही हैं तथा संविधान में कब और क्या परिवर्तन करना है।

केवल यह कह कर कि हमारे पास धन नहीं है, वे अपने दायित्व को टाल नहीं सकते। सरकार को धन जुटाना ही होगा, उसे सरकारी क्षेत्र में विद्यमान त्रुटियों को दूर करना होगा, उसे योजना गत निधि में से कुछ बचाना होगा तथा उसे राज्यों को करोड़ों में दी गई राशियों में से कुछ भाग बचाना होगा। यदि ऐसा किया गया तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

आप प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को कितनी राहत देना चाहते हैं इस बात का निर्णय राष्ट्र को करना है, सरकार को करना है। मैंने इस बारे में 100 रुपयों का सुझाव दिया है। यदि आप बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये एक करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुटा सकते हैं तो भारत के लाखों भूखे व्यक्तियों की समस्या का समाधान किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मेरे विचार में बंगला देश की समस्या आगामी कुछ महीनों में हल हो जायेगी। उसके पश्चात सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि बंगला देश के शरणार्थियों पर व्यय की जा रही राशि को फिर बेरोजगारों के लिये राहत पर खर्च किया जायेगा। इस समस्या से मुक्ति पाने का एक मात्र यही मार्ग है।

संविधान बनाने वाले हमारे पूर्वजों ने संविधान में निर्देशिक सिद्धान्तों को इसलिये नहीं बनाया था कि उनकी उपेक्षा की जाये। गरीबी हटाओ, अमीरी हटाओ आदि बातें हमने बहुत सुन ली हैं। अब हम यह चाहते हैं कि सरकार कुछ प्रभावशाली कार्यवाही करे।

प्रधान मंत्री ने अपने किसी भाषण के दौरान इस सदन में यह कहा था कि यदि बेरोजगारी की समस्या हल नहीं की गई तो देश में क्रान्ति हो जायेगी। हम यह जानते हैं। हम में से जो जनता के बीच पहुंचते हैं वे जानते हैं कि जनता के दिलों में कितनी कुंठा है।

जापान भी, जो एक छोटा सा देश है तथा जिसकी जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या का पांचवां भाग है, अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सफल हो गया। वह भी एक एशियाई देश है। फिर हम क्यों इस समस्या को नहीं सुलझा सकते ?

जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से करना चाहिए। हम सबको जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करके उन्हें यह बताना चाहिए कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या के एक दिन गम्भीर परिणाम निकलेंगे तथा भारत की इतनी भारी जनता को रोजगार देना असम्भव हो जायेगा। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग से गुजर रहे हैं तथा जनसंख्या पर नियंत्रण करना हमारे लिये कठिन कार्य नहीं है।

केवल कर लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से साम्यवादी दल का यही विश्वास है कि कर लगाने तथा सम्पतियों को जब्त करने से इस समस्या का समाधान हो जायेगा। यदि आप भारत की जनसंख्या में हो रही वृद्धि को रोक सकें तथा यहां की जनता को अच्छा जीवन व्यतीत करने के साधन उपलब्ध करा सकें तो अवश्य ही इस समस्या का कुछ सीमा तक हल मिल सकता है। हम यह भी चाहते हैं कि भारत साम्यवादी देश न होकर प्रजातंत्र ही रहे तथा एक स्वतंत्र देश रहे।

राजस्थान से आये माननीय सदस्य श्री मूल चन्द डागा का कहना है कि यह सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का माध्यम है, जिससे कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को यह बता सकूं कि मैंने संसद में बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रश्न उठाया है जिससे मैं सभी को रोजगार दिलाये जाने के बारे में कह सकूं। उनकी दूसरी बात तो बिल्कुल सही है। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि 18 वर्ष पूर्व जब माननीय सदस्य श्री गोपालन ने बेरोजगारी के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया था तब मैंने कालेज छोड़ा ही था तथा उस समय अपने भाषण में यहां कहा था कि सरकार को संपदा शुल्क से जो आय होती है उसको बेरोजगारी राहत पर खर्च किया जाना चाहिये। इस प्रकार आप देश के समक्ष इस बात को न्यायोचित सिद्ध कर सकते हैं कि समृद्ध व्यक्तियों से धन लेकर उसे गरीबों को दिया जा रहा है। उस समय यह समस्या इतनी गम्भीर नहीं थी। इसके उपरांत भी माननीय सदस्य इस विधेयक की सस्ती लोक-प्रियता का साधन बताते हैं।

श्री आर० एस० पांडे ने भी एक प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा 'कि इस विधेयक के उद्देश्य सराहनीय हैं। बेरोजगारी भत्ते का लालच बेरोजगार व्यक्तियों को.....आदि आदि'। उसके उपरांत उन्होंने कहा कि "मेरे विचार से विधेयक के प्रस्तावक को अपनी आन्टियों, राजमाता ग्वालियर और राजमाता जयपुर को उनके दिये हुये धन को निकालकर बेरोजगारों को भत्ते के रूप में देने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।" अब उनके पास बचा ही क्या है। ये स्टेट सरकार को सौंप दी गई थी तथा अब यह सरकार का कर्त्तव्य है कि इस कार्य को पूरा करे। कल्पना करिये कि कल श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री नहीं रहतीं तो क्या यह संजय गांधी का फर्ज होगा कि सरकार के सभी कार्यों को वह पूरा करे। अपनी पुरानी मित्रता और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुये उनका यह कहना उचित नहीं है।

इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1933-34 में इलाहाबाद में हुये अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में की गई घोषणा में इस आशय के उपबंध को भी सम्मिलित किया था। उस घोषणा के खण्ड 2 (ख) में यह कहा गया था कि सरकार औद्योगिक श्रमिकों के हितों की भी सुरक्षा करेगी तथा उनके लिये बीमारी तथा वृद्धावस्था, जो मेरा पिछला विधेयक था तथा बेरोजगारी जिसके बारे में मेरा वर्तमान विधेयक है, में उनकी सुरक्षा करेगी। आपको इस बारे में कुछ करना है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 25 के अन्तिम भाग में इस अनुच्छेद में निहित उपबन्धों के अनुरूप उपबन्ध भी निहित हैं। अनुच्छेद 23 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है, उसे रोजगार चुनने तथा कार्य की न्याय संगत तथा अनुकूल स्थिति प्राप्त करने तथा बेरोजगारी से सुरक्षित रहने का अधिकार है।

मेरा विचार है अब इस मानवीय समस्या का उचित समय पर समाधान हो जाना चाहिये जिससे देश की सेवा करने के लिये अच्छी युवा पीढ़ी मिल सके तथा जो समाजवादी समाज की स्थापना करने में सफल सिद्ध हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि यह सदन निर्देशक सिद्धातों को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक का समर्थन करे।

सभापति महोदय : इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का एक संशोधन श्री डागा का है।

श्री मूल चंद डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The amendment was, by leave, with drawn

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो इस पर मतदान मतविभाजन द्वारा होगा, क्योंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है।

डा० कर्णी सिंह : हमें प्रतिक्रियावादी की संज्ञा दी जाती है, अतएव हम इस विधेयक को वापिस नहीं लेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

सभापति महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	26
विपक्ष में	32

इस प्रस्ताव को अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थापन

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Such Bills were moved in each previous Lok Sabha. Article 370 is included in such part of the constitution which is temporary and transitional. So it is clear that Articles included under that part of the constitution were added due to special circumstances and constitution makers wanted that these provisions should not be permanent.

When this Article was being considered in the Constituent Assembly, a voice was raised against this discrimination towards Jammu & Kashmir. This provision does not give any special concession to Jammu & Kashmir but in fact it discriminates against people of that territory.

When in the days of Pt. Nehru this issue was raised, he had stated that this Article would die with the time. It is a temporary provision. But it is a pity that this Article still continues to exist in the constitution. If we consider this matter seriously, we will find that it has become unnecessary and inundate.

When Article 370 was inserted in the constitution at that time, India was mentioned as a dominion and there is a mention of Maharaja of Kashmir. But the present position is different. India is a fully independent country and kingship is also abolished in Kashmir.

A question may be asked as to why a demand is being made to substitution of Article 370. The fact is that this Article creates a psychological war between Jammu & Kashmir and rest of India. On the one hand it is said that Jammu & Kashmir is an integral part of India and on the other hand we have accorded special status to that state. This Parliament can enact laws on the subjects contained in Union List of the constitution but they do not apply to Jammn & Kashmir. Recently we have passed constitution (24th Amendment) Bill, which establishes the supremacy of the Parliament. But in regard to Jammu & Kashmir this House is not supreme to lagislative Assembly of Jammu & Kashmir. This is a contradictory situation. This Bill has been introduced in order to remove this contradiction.

Though many a changes have taken place since framing of constitution, Jammu & Kashmir has come more nearer to the rest of the country. But still it can not be forgotten that Article 370 still exists in the constitution. I want a change in this situation.

A citzien of India cannot purchase any land in Jammu & Kashmir. There is a provision that only "Subjects" of Jammu & Kashmir are permitted to purchase land there. Though Jammu & Kashmir is a part of India and monarchy has been abolished in the area but still "Subjects" are there. It is said that if this check is not exercised capitalists of the country would purchase all land of the area. There is no need to retain Article 370 in the constitution merely to save the land from going into the hands of capitalists. Puchase of land could by banned. This aspect is covered in the State List. Though I feel that any citizen of the country should have right to go anywhere in the country, to purchase land and to work any where. This is neecssary for integration of the country. There is economic aspect of the problem also. There has not been proper development of Industries. Huge amounts of money provided to the State Government have not been spent properly. Central Government could not undertake big projects in Jammu & Kashmir. Education is free in Jammu and Kashmir. Young people are coming out of Universities after completing education. They need employment and that is possible through industrialization. Article 370 discourages people from rest of the country to invest in that part of the country. There is discontentment amongst educated people and

anti-national elements tend to take advantage of the situation. All these problems do exist in other parts of the country. We have to pay special attention towards Jammu & Kashmir. We have to accelerate the pace of economic development in that part. Now, the time has come when we should start considering substitution of Article 370 and a process should start in that direction. With these things in mind, I have moved my Bill. I feel that laws passed by Parliament on matters contained in Union List should extend to Jammu & Kashmir and this article should become inoperative after 26th January, 1972. When Parliament can provide funds for the development of Jammu & Kashmir, it should have powers to enact laws for Jammu & Kashmir under Union List.

Uptill now it was said that this issue is pending in U. N. O. We should not, therefore, touch Article 370. But now the situation is different. People of Jammu and Kashmir have seen the treatment meted out to the people of East Bengal. Now there would not be a single person who would like Jammu & Kashmir to join Pakistan and get crushed under the military power of Pakistan. It is, therefore, necessary that we should withdraw the issue of Jammu & Kashmir from U. N. O. and put an end to all uncertainties in this regard. I hope that this House would accept my Bill in this regard.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और अधिक संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री मूलचन्द डागा ने विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित करने का संशोधन पेश किया है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पर आगामी सत्र के प्रथम दिन तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये ।"

We have been waiting for many years that Article 370 shall cease to be operative. Many a time Government has announced that Jammu and Kashmir is an integral part of India. This issue has been discussed many a time and it is not understood what is the hitch before the Government for making Article 370 inoperative ? It has been stated by the Government that it feels that Article 370 would be substituted at an appropriate time. When that appropriate time would come is not clear ?

I have moved an amendment that this Bill should be circulated for eliciting public opinion. Due to Bangla Desh developments serious situation has engulfed the country. Pakistan appears to be in a fighting mood with this country. It is, therefore, not appropriate to take up this issue at this juncture.

We all believe that Jammu and Kashmir is an integral part of India and Article 370 should be made inoperative. But as I have already stated, the country is passing through times. We should, therefore, take concurrence of the people of Jammu and Kashmir on this Bill. Hence this Bill should be circulated for eliciting public opinion. In this manner people of the area would get an opportunity to express their views about this matter.

*श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलबेरिया) : देश की आज की स्थिति तथा जम्मू काश्मीर राज्य के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। देश की एकता की सुदृढ़ता के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे उपाय किये जायें जिनसे राज्य शक्तिशाली बनें और स्वेच्छा से केन्द्र के साथ सहयोग करें। इस राज्य के लोगों की इच्छानुसार ही संविधान की धारा 310 के अन्तर्गत राज्य को विशेष स्थान दिया हुआ है।

हमारा दल यह अनुभव करता है कि रक्षा, विदेश व्यापार, वित्त आदि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में राज्यों को अधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। ऐसा करने से वे केन्द्र को सुदृढ़ बनाने में स्वतः ही आगे आएंगे। केन्द्र को ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसा करने से भारत की एकता कमजोर होगी। यदि हम भारत को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें विभिन्न राज्यों को अधिक शक्तियां देकर राज्यों के लोगों के मन में विश्वास पैदा करना चाहिये न कि राज्यों के अधिकारों का हनन करने के प्रयास करने चाहिये जैसा कि इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : संविधान की धारा 370 के संविधान में से हटाये जाने के प्रश्न पर इस सदन में किसी न किसी रूप में कई बार विचार हो चुका है। 1966 के बजट सत्र में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने एक संकल्प पेश किया था। उस समय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि तत्सम्बन्धी संवैधानिक और वैधानिक त्रुटियों को दूर करने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

अतः मैं सिद्धान्त रूप से तो इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह ठीक है कि इस विधेयक के द्वारा लोगों के दिलों में बैठी गलत भावनाओं को समाप्त होने में सहायता मिलेगी। परन्तु यह केवल कानूनी स्थिति है। समस्त व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये यहां तक कि प्रशासन के लिये भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई बाधा नहीं है।

जहां तक भूमि के क्रय करने सम्बन्धी प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, इस प्रतिबन्ध के होते हुए भी राज्य ने लोगों को वहां आने, बसने और नौकरी आदि करने में बाधा उपस्थित नहीं की है। लोग वहां धन लगा सकते हैं और उद्योग स्थापित कर सकते हैं। आज बिरलाओं और साहू जैन द्वारा स्थापित कारखाने वहां चल रहे हैं। इस प्रतिबन्ध का वास्तविक उद्देश्य यह है कि वहां कृषि भूमि की बहुत कमी है। इस कमी को दृष्टि में रख कर ही राज्य सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है।

जम्मू और काश्मीर के विशेष स्थान की बात की गई है। कानूनी दृष्टि से तो जम्मू और काश्मीर का अवश्य ही विशेष स्थान है। इस विशेष स्थान का वास्तविक लाभ तो केवल गृह मंत्रालय के अधिकारियों को ही होता है। वह जब राज्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तो विशेष सेवा नियम बनाकर इस कानूनी स्थिति का वास्तविक लाभ उठाते हैं।

जहां तक जनमत जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित करने हेतु प्रतिस्थापित प्रस्ताव की बात है मैं उसका विरोध करता हूं। जनमत जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जम्मू और

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।
*Summarised Hindi version of English translation of speech delivered in Bengali.

काश्मीर राज्य विधान सभा के बहुमत, वहां के सत्तारूढ़ दल तथा अन्य ओगों ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने की आवश्यकता पर बार बार बल दिया है ।

अब इस बारे में निर्णय करना केन्द्रीय सरकार का कार्य है कि इस अनुच्छेद को बनाये रखना लाभदायक होगा अथवा इसे हटाना अधिक लाभप्रद होगा । गृह मंत्री को चाहिये था कि अन्तिम निर्णय करके आज संसद को उसकी सूचना दी जाती कि अनुच्छेद 370 को हटाने के सम्बन्ध में केंद्रीय नीति क्या है ।

यह ठीक है कि आज चुनाव आयोग उच्चतम न्यायालय आदि के अधिकार क्षेत्र में वह राज्य भी है, वहां पर गवर्नर है, वहां पर प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्य मंत्री है । इस सबसे राज्य की जनता में यह भावना आ गई है कि वे शेष भारत के साथ पूर्णतया मिल गये हैं । किन्तु इस सम्बन्ध में जो कानूनी कठिनाइयां हैं, उन्हें भी दूर किया जाना चाहिये । इसमें समय नहीं गंवाना चाहिये । और न ही बार बार इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये । इस चर्चा को अन्तिम चर्चा होना चाहिये और इसका श्रेय प्रस्तावक को दिया जाना चाहिये जिन्होंने इस सदन में यह इतिहास बनाया है और अन्ततोगत्वा अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : No body can differ with the objectives of this Bill and so far as Article 370 is concerned, its continuance appears unnatural. But we have to keep in view the present situation of the country. Would it be beneficial for the country to substitute this Article ?

There are people who openly say that territorial nationalism is not good. In my opinion it is not so. Instead Communal nationalism, once preached by Jinnah, is of course disastrous. It is the territorial nationalism on the basis of which we have been demanding for full integration of Jammu and Kashmir State. This is one of the factors. Another factor is that a portion of Kashmir was forcibly occupied by Pakistan. There is no doubt that Pakistan occupied Kashmir is an integral part of India and we would like to see that Pakistan's forcible occupation over it is finished soon. Pakistan's Military Rulers are inflicting atrocities on the people of Pakistan occupied Kashmir in the same way as they are doing in Bangla Desh. At this time, if we abrogate Article 370, it will have adverse effects on our efforts to attract the people of Pakistan occupied Kashmir and to take that area back from Pakistan. We should not take such steps as will give them an opportunity to think that some thing is being forced on the people of Kashmir.

I agree that Kashmir Government have recently taken some steps which have made Article 370 ineffective. As a matter of fact several restrictions have been abolished. For example, some industrialists have purchased land in that state to set up industries. The question of separate flag etc. will be solved in due course. In this context we should seriously think whether we should enact legislation to abrogate Article 370, whether it is advisable to interfere with the affairs of State in this way. Here, we should take into account the demand for more autonomy being made by some States. We should not do anything which goes against the will of the people and State Legislature of the State. The move for abrogation of Article 370 will be against the interests of the country and will not serve the purpose at this juncture. As regards changes to be brought in Kashmir, the will of the people and Legislature of that State should prevail. So, I think that this Bill will be a hinderance in achieving this objective.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : श्रीमान्, मैं इस गैर-सरकारी विधेयक के प्रस्तावक श्री अटल-बिहारी बाजपेई को बधाई देता हूं कि वह इसे बड़े ही उपयुक्त समय पर लाये हैं । हमारा देश इस बात का धनी है कि यहां अनेक संस्कृतियां और भाषाएं है । हमारे राष्ट्र की यह एक विशेषता है कि यहां अनेकता में एकता है । हम सब भारतीय हैं फिर संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध क्यों रखा जाये,

जिससे कुछ नागरिकों की राष्ट्रीयता के बारे में संदेह की गुंजाइश हो। मैं यह बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि यह अनुच्छेद निरर्थक है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। भारत संघ के राज्यों में ऐसे उपबन्ध से भेद-भाव क्यों रखा जाये। अत: साथ ही हमने देखा है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार भी इस पक्ष में नहीं है कि यह उपबन्ध रहे। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि इस अनुच्छेद को संविधान से पूर्णत: निकाल दिया जाये। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस बार ऐसा करने का साहस करेगी और इस आशय की घोषणा अभी करेगी।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, श्री बाजपेई ने विधेयक पेश करते समय नेहरू द्वारा दिये गये इस आश्वासन का उल्लेख किया था कि अनुच्छेद 370 धीरे धीरे प्रभावहीन हो जायेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि उक्त आश्वासन का अक्षरश: पालन किया जा रहा है। इस समय स्थिति यह है कि संघ सूची और समवर्ती सूची का कोई भी विषय राज्य सरकार की स्वीकृति से जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू किया जा सकता है। इस सभा द्वारा पारित कई विधेयक राष्ट्रपति के आदेशों से वहां लागू किये जा चुके हैं। सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, डाक तथा तार, नागर विमानन जैसे केन्द्रीय सरकार के विभागों और आकाशवाणी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अब जम्मू तथा काश्मीर राज्य भी आता है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी उस राज्य में नियुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस अनुच्छेद का प्रभाव कम होता जा रहा है और कुछ दिन बाद बिल्कुल प्रभावहीन हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगली बार पूरा करें।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 22 नवम्बर, 1971/ 1 अग्रहायण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 22, 1971/ Agrahayana 1, 1893 (Saka)

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—29.12.71—490